खण्ड-216, अंक-8
गुरूवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(8 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-सदन, लखनऊ में ११ बजे दिन में अपराह्न, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री,
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली अख्तर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह , श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती,
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुधाम्राप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशनारायणसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरजभान रामोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (रहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जनता विद्यालय, बनकटा के हाई स्कूल का परीक्षा फल रोकना

**१—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में जनता विद्यालय, बनकटा के हाई स्कूल का सन् १९६० का परीक्षा फल रोक लिया गया है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—जी हां, १४० परीक्षार्थियों का परीक्षाफल सामूहिक रूप से अनुचित साधन प्रयोग के कारण रोका गया है ।

**२—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त विद्यालय के परीक्षा फल के सम्बन्ध में हाई स्कूल ऐण्ड इन्टर मीडिएट बोर्ड ने गुप्तचर विभाग के द्वारा जांच कराई थी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन-किन अनुचित साधनों का उपयोग किया गया और उनके प्रमाणित सबूत क्या हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—साधन तो जैसे परीक्षाओं में बरते जाते हैं वही हैं और इसकी जांच हो रही है । जांच होने के बाद पूरी बात बतायी जा सकती है कि क्या हुआ ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच कौन कौन से लोग कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, आपकी आज्ञा से कल इस पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि कैसे जांच होती है। इन्टरमीटियेड बोर्ड जांच करता है। एक परीक्षा समिति है वह उपसमिति बनाती है जो वहां जाकर जांच करती है। जिन लड़कों को वह दोषी पाती है उनके पास आरोप-पत्र भेजती है, उस पर सफाई आती है और तब परीक्षा समिति फैसला लेती है और उस पर शिक्षा परिषद् और अगर शिक्षा परिषद् इन-सेशन न हो तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी स्वीकृति लेकर उन्हें बताया जाता है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुचित साधनों के प्रयोग में सामूहिक नकल हुई थी . . . .

श्री अध्यक्ष—उसकी जांच हो रही है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनता विद्यालय में ४० छात्रों पर जो नकल करने के आरोप हैं वह उसी विद्यालय के छात्र हैं या और किसी विद्यालय के भी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि वह परीक्षा का केन्द्र रहा होगा क्योंकि किसी एक स्कूल में परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है केन्द्रों में। तो यह बनकटा स्कूल केन्द्र रहा होगा उसमें उस स्कूल के भी छात्र रहे होंगे और आस-पास के स्कूलों के भी छात्र रहे होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने परीक्षार्थियों में से ४० को रोका गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि जब उन पर सामूहिक अनुचित साधनों के प्रयोग का अभियोग है तो सभी को रोका गया होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सामूहिक नकल का आरोप है ऐसी हालत में उस सेन्टर के सुपरिन्टेन्डेन्ट और इन्वेजिलेटर्स पर भी आरोप हैं, उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया यह कुल बातें इन्टरमीडियेट बोर्ड के हाथ में हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—यानी इस सम्बन्ध में आपको कुछ मालूम नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, क्या मालूम हो सकता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—इस सदन में बार-बार विभिन्न जिलों में विद्यार्थियों के परीक्षा फल रोकने के सम्बन्ध में चर्चा होती रही है, इस बात को देखते हुये क्या सरकार परीक्षा पद्धति में कोई आमूल परिवर्तन करेगी जिससे कि इतने बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के परीक्षा फल न रुकें ?

श्री अध्यक्ष—इस पर कल आम बहस हो चुकी है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—इस बात को देखते हुये कि इस सेशन के तीन महीने बीत चुके हैं क्या सरकार जल्द से जल्द निर्णय करने की कृपा करेगी जिससे वे इस साल प्रवेश पा सकें ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब दिया जा चुका है।

छोटी छतरमंजिल

**३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छोटी छतरमंजिल का जो भाग ध्वस्त नहीं हुआ है, उसे गिरा देने का सरकार ने निर्णय कर लिया है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसन)—जी नहीं ।

प्रदेशीय कोआपरेटिव रजिस्ट्रार, लखनऊ के कार्यालय की इमारत को खतरा

**४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय कोआपरेटिव रजिस्ट्रार, लखनऊ के कार्यालय की इमारत खतरनाक अवस्था में घोषित कर दी गई है और इसीलिये वहां सारा कार्य बन्द है ? यदि हां, तो कब से ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—२२-८-१९६० को प्रदेशीय कोआपरेटिव रजिस्ट्रार के कार्यालय की इमारत खतरनाक घोषित कर दी गई और तब से ही वहां केवल आवश्यक कार्य किया जा रहा है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आवश्यक काम करने वालों और आवश्यक कागजों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—वे उस हिस्से में काम कर रहे हैं जो खतरनाक घोषित नहीं किया गया है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—सरकार ने दूसरी इमारत के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—बहुत से मकान किराये पर देखे और ढूंढ़े । आज भी अखबारों में निकला है कि सरकार मकानों के किराये का ब्लैक मार्केट कर रही है । लेकिन मकान अभी नहीं मिले हैं । इस्टेट विभाग के मंत्री जी से प्रार्थना की है कि वह कोई प्रबन्ध करें ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या असुरक्षित हिस्से के काजगात हटा लिये गये हैं ? यदि हां, तो वे कहां रखे गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह सूचना है कि कागजात निकाल लिये गये हैं और अलग-अलग जगहों पर रखे हैं ।

राज्य में विनियमित क्षेत्रों के मास्टर प्लान

**५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंच महानगरियों के अतिरिक्त राज्य में कितने शहरों को राज्यपाल द्वारा रेगुलेटेड एरिया घोषित किया जा चुका है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—कवाल नगरों के अतिरिक्त गोरखपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, बाजपुर, किछा और रुद्रपुर तथा उनके समीपवर्ती क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन "विनियमित क्षेत्र" घोषित किया जा चुका है ।

**६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त रेगुलेटेड एरिया घोषित किये जाने के उपरान्त उन शहरों में से किन-किन की मास्टर प्लान तैयार हो चुकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कवाल नगरों के अतिरिक्त, गाजियाबाद, बाजपुर, किछा और रुद्रपुर के मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं ।

**७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उक्त मास्टर प्लान की संक्षिप्त रूप-रेखा सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कवाल नगरों के मास्टर प्लान व रिपोर्ट स्थानीय डेवलपमेन्ट बोर्ड व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (अब नगर महापालिका) द्वारा प्रकाशित किये जा चुके हैं । गाजियाबाद का मास्टर प्लान २७ अगस्त, १९६० को सभापति, नियंत्रक प्राधिकारी, गाजियाबाद (कमिश्नर, मेरठ डिवीजन) द्वारा समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिये दिया जा चुका है । उनकी प्रतियां उक्त अधिकारियों के यहां प्राप्य हैं । बाजपुर, किछा, रुद्रपुर के मास्टर प्लान नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में प्राप्य हैं । उक्त मास्टर प्लानों की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत करना कठिन होगा और उसमें समय भी लगेगा ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन आधारों पर शहरों को विनियमित घोषित किया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सबसे मुख्य बात यह है कि वहां बस्ती बहुत अधिक बढ़ने की आशा हो ।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या वहां की इमारतों के लिये रूल्स और रग्यूलेशन्स बन चुके हैं या अधिकारी लोग वैसे ही नक्शे पास कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं ।

श्री तेजासिंह—क्या आम लोगों को पता है कि वे अपने मकान कैसे बनवायें या सिर्फ अधिकारियों के पास ही यह चीज है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जनता को यह बता दिया गया है कि सड़क से इतनी हट कर इमारत होगी और इतना बिल्ट-अप एरिया होगा । मोटी बातें सबको मालूम हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जब उसकी विधिवत् घोषणा नहीं हुई है समाचार-पत्रों द्वारा या गजट द्वारा, तो सब लोगों को कैसे पता हो गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिनका उससे वास्ता नहीं है उनको शायद नहीं मालूम है । जिन लोगों को वे मिलते रहते हैं, उन्हें मालूम है ।

श्री तेजासिंह—जिन लोगों को मकान बनाने होते हैं क्या उनको पहले ही मालूम होता है या उनके नक्शे नामंजूर होने पर मालूम होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—करीब-करीब सबको मालूम है लेकिन यह जरूर है कि जिन लोगों ने वर्षों पहले नक्शे बनवाये उन्हें दोबारा बनवाने पड़े हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार मास्टर प्लान के कार्यान्वित करने की लागत का अनुमान भी लगाती है ? यदि हां, तो यह भी निश्चय किया जाता है कि सरकार कितना देगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मास्टर प्लान में खर्चा प्राइवेट पार्टीज का होता है । सरकार कोई अन्दाजा नहीं करती है । सड़क वगैरह का खर्चा मोटे तौर से लगाया जाता है । सरकार का हिस्सा उसमें नहीं होता है ।

श्री मदन पांडेय—क्या विनियमित शहरों में गोरखपुर का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है ? यदि हां, तो उसके प्रकाशित होने में क्या विलम्ब है और वह कब तक प्रकाशित हो जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वह तैयार हो चुका है, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं किया गया है । कब तक प्रकाशित हो जायगा इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—मकान बनवाने के लिये नगरपालिका से सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता होती है । तो क्या उनके नियमों में परिवर्तन किया गया है या कोई उनको आदेश दिये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक मुझे मालूम है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

श्री प्रतापसिंह—रुद्रपुर, किच्छा और बाजपुर के प्लानों के लिये क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि रुद्रपुर का कालोनाइजेशन आफिस में, और किच्छा और बाजपुर के हवां की तहसीलों के आफिसों में देखे जा सकें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जरूरत होगी तो जरूर चला जावेगा ।

श्री तेजासिंह—गाजियाबाद के मास्टर प्लान में कुछ इलाके को रिजर्व्ड एरिया लिखा है और उसमें जिन लोगों ने मकान बनाने के लिये नक्शे दिये हैं वे इस बिना पर रद्द किये गये हैं कि वह रिजर्व्ड एरिया है । तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक वह रिजर्व्ड एरिया रहेगा और कब वहां नक्शे पास होने का समय आवेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कुछ बातें अभी तक आखिरी तौर से तय नहीं हुई हैं । जब वे तय हो जावेंगी तो वह खोल दिया जायगा ।

महुआपार के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

**८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री ग्राम महुआपार, थाना तखा, जिला आजमगढ़ के एक हरिजन द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्र के विषय में विधान सभा के दिनांक २६–८–६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को कब जांच के लिये भेजा गया और उनके द्वारा उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को १३–६–६० को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया । जिलाधीश ने जांच करवाई और आरोप सही नहीं पाये गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिलाधीश ने जांच स्वयं की है या किसी अधिकारी से करायी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन्होंने दो दरख्वास्तें दीं । एक दरख्वास्त श्री जयराम वर्मा द्वारा आयी थी, वह १२ दिसम्बर को जिलाधीश के पास कार्यवाही के लिये गई । उन्होंने सर्किल आफीसर को जांच के लिये भेजा जिन्होंने पाया कि शिकायत सही नहीं थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने अभियुक्तों पर कौन-कौन आरोप लगाये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसमें यह था कि महावीर सिंह, जगदीश सिंह, विजय सिंह, तारासिंह, दीनानाथ, प्रभुनाथ आदि लोगों ने आवेदक और उसके दो लड़कों को दीवाली के दिन मारा और उसके कपड़े-लत्ते और पैसा और सामान लूट लिया । उसके झोपड़े और घर की दीवाल को गिराकर जमीन में मिला दिया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बागपत तहसील में कैनाल संग्रह अमीनों को तरक्की न मिलन की शिकायत

*१—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि कैनाल विभाग के संग्रह अमीनों को, लगान संग्रह करने वाले अमीनों की भांति सालाना तरक्की नहीं दी जाती ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—जी नहीं । चूंकि एक ही सर्विस काडर के अमीनों द्वारा लगान व कैनाल देय वसूल किया जाता है, इसलिये उनकी सालाना तरक्की के नियम एक ही हैं ।

*२—**आचार्य दीपंकर**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रश्न नहीं उठता ।

*३—**आचार्य दीपंकर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बागपत तहसील में ऐसे कितने कैनाल संग्रह अमीन हैं जिन्हें यह तरक्की नहीं मिली है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसा कोई अमीन नहीं है ।

आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि कुछ दिनों तक कैनाल विभाग के संग्रह कर्मचारियों को उसी प्रकार की तरक्की और सुविधायें नहीं दी गईं जो कि माल विभाग के संग्रह कर्मचारियों को दी गई थीं और क्या सरकार इसकी जांच करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार मेरे कथन को सच मान कर इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि तहसील बागपत में और मेरठ जिले में कैनाल विभाग के संग्रह कर्मचारियों को सालाना तरक्की की सुविधा नहीं दी गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, जांच करा ली जायगी ।

[८ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

दोहरीघाट, परशुरामपुर तथा रसूलपुर अस्पतालों की भवन निर्माण योजना

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल, दोहरी घाट, परशुरामपुर तथा रसूलपुर, जिला आजमगढ़ के भवन का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—दोहरीघाट में एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण का उत्तरदायित्व विकास आयुक्त ने ले लिया है, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । परशुरामपुर में मुख्य एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है तथा रसूलपुर में एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन के निर्माण के लिये टेन्डर मांगे गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दोहरीघाट एलोपैथिक अस्पताल के बनने की योजना कब स्वीकार की गई थी ? और विकास आयुक्त को कब सुपुर्द किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह योजना कब स्वीकार की गई, इसकी तो जानकारी नहीं है । विकास आयुक्त को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, वह इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं । इतनी ही सूचना मेरे पास उपलब्ध है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैंने पूछा कि यह योजना कब स्वीकार की गई और विकास आयुक्त को कब आदेश दिये गये और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विकास आयुक्त की ओर से इसमें विलम्ब किया जा रहा है क्योंकि योजना को स्वीकार हुये ४–५ साल हो गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह कहना ठीक नहीं है कि विकास आयुक्त की तरफ से देरी की जा रही है । उसने कुछ इनफार्मेशन कलेक्टर से मांगी है, उसका इन्तजार कर रहे हैं, आ जाने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—रसूलपुर एलोपैथिक अस्पताल के बनाने का काम कब शुरू होगा और इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टेंडर मांगा गया है, टेंडर आ जाने पर जब तय हो जायगा तो वह शुरू हो जायगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—परशुरामपुर डिस्पेंसरी के निर्माण का कार्य अभी हो रहा है, सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि वहां शय्याओं की संख्या बहुत कम है, तो क्या सरकार उसकी तादाद बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी इमारत तो बन जाने दीजिये, फिर बेड्स वगैरह बढ़ाने की बातचीत पर सोचेंगे ।

आजमगढ़ सदर अस्पताल का भवन-निर्माण

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के नये भवन का निर्माण कब से तथा कितने रुपयों में कराया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आजमगढ़ सदर अस्पताल के नये भवन का निर्माण-कार्य भूमि प्राप्त होने पर आरम्भ होगा तथा इस कार्य के लिये ७,८०,००० रु० की (पी० डब्ल्यू० डी० चार्जेज को छोड़ कर) स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल के लिये जो भूमि ली जाने वाली है उसकी कीमत क्या है और वह कितने एकड़ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक्वायर करने के बाद एवार्ड जब हो जायगा तभी कीमत मालूम होगी । अभी तो रिट पेटीशन हाईकोर्ट में दायर हो गया है और सब मामला रुका पड़ा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सदर अस्पताल जिस इमारत में इस वक्त है उसके सम्बन्ध में क्या उनकी योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब हमारी नई इमारत बन जायगी तो इसमें जिले के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, मलेरिया, फाइलेरिया के, सब उसमें एकोमोडेट करेंगे, अभी ऐसा ही खयाल है, फिर आगे चल कर देखा जायगा ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य में रेड टेपिज्म के कारण अक्सर देर हो जाती है, तो आगे देर न हो और निर्माण-कार्य ठीक से हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था करने पर वे विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कांस्टीट्यूशन हम नहीं अमेंड कर सकते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा ख्याल किया जायगा, तो माननीय मंत्री जी का खयाल तो बदलता रहता है, वे बतलाने की कृपा करेंगे कि निश्चित योजना क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी यह ख्याल है, जब इमारत बन जायगी तो पक्का हो जायगा मामला ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पी० डब्ल्यू० डी० चार्ज को छोड़ कर ७ लाख के लगभग व्यय हुआ, तो वे बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० का चार्ज कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हाफ परसेंट चार्ज होता है ।

खसरे में कैफियत के खाने में काबिज लिखने से अव्यवस्था

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—खसरे में कैफियत के खाने में लेखपालों द्वारा काबिज लिखे जाने की व्यवस्था के बारे में १९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर के क्रम में क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जन-प्रतिनिधियों ने उनका ध्यान समय-समय पर इस ओर दिलाया है कि खसरे में कैफियत के खाने में काबिज लिखने से बड़ी अव्यवस्था फैलती है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां ।

*४—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो क्या सरकार इसे बन्द करने के बारे में विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उपरोक्त कथित अव्यवस्था कैसे मिटाई जाय ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्यायमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अव्यवस्था को ठीक किया जा सके, इस पर विचार करने के लिये सरकार ने किसी कमेटी का निर्माण किया है ? यदि हां, तो इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, ऐसा नहीं किया गया है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये कि काबिज लिखने की प्रथा समाप्त की जाय, इस पर सरकार शीघ्रतापूर्वक निर्णय क्यों नहीं करती, इसके क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सदन में विवाद के संबंध में मैंने अपनी दिक्कतें बताई थीं । अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है फिर आयेगा तो फिर बता दूंगा कि क्या दिक्कतें हैं ।

श्री रामायणराय—क्या यह सही है कि उक्त कारण से सूबे के लाखों किसानों को जमीन से हाथ धोना पड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना हमें नहीं है ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या मंत्री जी कोई ऐसा आदेश देने जा रहे हैं कि लेखपाल जब काबिज लिखे तो उसकी एक लिखित सूचना असली काश्तकार को और एक ग्राम समाज के चेयरमैन को दे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो है उसमें, अगर रूल आप पढ़ें तो यू विल फाइंड इट देयर ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या यह सही है कि कार्यालय लिखने के जो मौजूदा नियम हैं उनका पालन नहीं हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा तो खयाल है कि होता है। कहीं-कहीं नहीं होता होगा, हमारी नोटिस में आवे तो हम देखें।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या मंत्री जी ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि लेखपाल द्वारा जो इन्दराज हो उसकी प्रति तहसीलदार को भी दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो सब बातें विचाराधीन हैं, कोई निश्चित राय नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मंत्री जी जब यह तस्लीम करते हैं कि अव्यवस्था है और जांच के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं तो जब तक जांच नहीं हो पाती और व्यवस्था नहीं होती तब तक ऐसा प्राविधान करेंगे कि लेखपाल जब लिखे तो गांव समाज के अध्यक्ष की कंसेन्ट भी उस समय ले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो नियम हमारे हैं उसी के मुताबिक उसे अमल करना है और जब हम यह निर्णय कर लेंगे कि क्या हो तब वह होगा। यह कहना गलत है कि हम इस बात को मानते हैं कि वाकई अव्यवस्था है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस किस्म के खाना कैफियत और खसरे के केस प्रान्त में कितने होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस मिलने पर हम पता लगायेंगे, है बड़ा बेढब काम।

श्री उग्रसेन—इस बात को मानते हुए कि इसका पर्यवेक्षण और ठीक व्यवस्था जरूरी है, क्या मंत्री जी इसका सर्वेक्षण करायेंगे कि लेखपाल ने प्रदेश के किसानों के कितने परसेन्ट गलत इन्दराज कर दिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं करा सकते, असंभव है।

घोसी तथा मऊनाथभंजन अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की योजना

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के घोसी तथा मऊनाथ भंजन एलोपैथिक अस्पताल के प्रान्तीयकरण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, आजमगढ़ जिले के घोसी तथा मऊनाथ भंजन एलोपैथिक अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की योजना क्रमशः सन् १९५४ तथा १९४८ से सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताएंगे कि इन दोनों अस्पतालों के प्रान्तीयकरण में क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि अन्तरिम जिला परिषद, आजमगढ़ और सरकार से कोई पत्र-व्यवहार इस तरह का हुआ जिसमें परिषद् ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके उसके पास भेजा कि इन दोनों अस्पतालों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय और जो धन इस वक्त अंतरिम जिला परिषद् व्यय करती है उसे वह वहन करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस धन से काम नहीं चल सकता।

सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत तरबगंज तहसील में कार्यवाही

*६—श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० एल० आर० डी० स्कीम में कृषकों को सीरदार बनाने से पहले भू-स्वामी या नये सीरदार बनने वालों को गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में कोई सूचना दी गयी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत कोई कृषक सीरदार नहीं बनाया गया बल्कि ऐसे कृषकों के संबंध में आवश्यक नक्शे बनाये जा रहे हैं जिन्हें कानून सीरदार मानता है, लेकिन जो अभीतक दर्ज नहीं थे, ताकि भू-अभिलेखों में शुद्धियां की जा सकें। ऐसे नक्शे तहसील तरबगंज में बन चुके हैं और संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देने की कार्यवाही हो रही है।

*७—श्री शीतलाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सी० एल० आर० डी० स्कीम में कौन-कौन फसली सन् के काबिज सीरदार बनाये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जैसा कि उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट है कोई कृषक सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत सीरदार नहीं बनाया गया है।

श्री शीतलाप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आवश्यक नक्शे के तैयार होने से पहले कृषकों के नाम की किस आधार पर लगान वसूल करने की लिस्ट तैयार की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक कोई टम्पोरेरी लिस्ट उन्होंने बना रखी है, उसी के आधार पर किया है। आब्जेक्शन करने का सबको अधिकार दिया गया और जो आब्जेक्शन कर देंगे उनका स्थगित हो जायेगा जब तक फैसला न हो।

श्री शीतलाप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि ७५ परसेन्ट लगान ऐसे लोगों के नाम बनाया गया है जिनका कब्जा १३६० फसली के कागजात में नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हमें ऐसा पता नहीं है।

श्री शीतलाप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि अमीन की लिस्ट में वल्दियत नहीं लिखी है जिसकी वजह से गांव में जितने एक नाम के व्यक्ति हैं उन सबको परेशानी उठानी पड़ती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

*९—श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बाढ़ पीड़ित समिति चोरगलियां के सुझाव

*१०—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास ३०-३-५९ से आज तक बाढ़पीड़ित समिति, चोरगलियां, जिला नैनीताल की ओर से बाढ़-पीड़ितों को बसाने के लिये कोई सुझाव आये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या किया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, बाढ़ पीड़ित समिति चोरगलियां से सुझाव प्राप्त हुआ था कि उन बाढ़ पीड़ितों को, जिनकी भूमि जलमग्न हो गई है, उनको जलमग्न भूमि के स्थान पर अन्य भूमि दी जाये। बाढ़ पीड़ितों को बसाने के लिये ग्राम स्योराजपुर व ग्राम बेचाबंगर, कालाढंगी में जमीन दी जा चकी है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ पीड़ित समिति, चोरगलियां, से कब प्रस्ताव आया और कितने विस्थापित लोगों को कालाढूंगी में जमीन दी गई और कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—काला ढूंगी में ८ आदमियों को दी गई । यह सूचना नहीं है कि कब दी गई और कब प्रस्ताव आया ।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुए कि १०० आदमी से ऊपर उस बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, और उनमें से केवल ८ को जमीन दी गई, बाकी आदमी बेजमीन और बेरोजगार पड़े हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१८ लोगों को और दी गई है । जिनका बड़ा नुकसान हुआ उन्हीं लोगों को दी गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—कुल कितने बाढ़ पीड़ित चोरगलिया में थे जिनका जिक्र इस बाढ़ पीड़ित समिति ने किया, और कितनों को जमीन दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टोटल संख्या नहीं है । २६ को हमने दिया है वह हमारे पास है ।

किछा मण्डी के अग्निपीड़ितों को सहायता

*११—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९६० को दिन के ३ बजे किछा मन्डी, जिला नैनीताल में यकायक आग लग गई ? यदि हां, तो उससे कितने धन की हानि हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, उक्त अग्निकांड से १ लड़का, १ लड़की तथा २ बकरियों की मृत्यु हुई और लगभग २२,०४७ रु० की अनुमानित हानि हुई ।

*१२—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से इस संबंध में क्या सहायता दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त अग्निकांड से पीड़ितों को १७७८ रु० की सहायतायें नकद, दवा, आटा व चावल, बर्तन व कम्बल के रूप में दी गई ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब २२ हजार से ज्यादा का नुकसान हुआ तो इतनी कम मदद क्यों की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई सरकार पूरा नुकसान पूरा नहीं कर सकती ।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुए कि जिनके मकानों में आग लगी वह सब बहुत गरीब मजदूर थे, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मदद से उनकी झोपड़ियां बन गईं और उनकी मरम्मत हो चुकी है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जिस-जिनको जरूरत थी उनको कुछ सहायता दी गई, अब यह उनका काम है कि बनायें या न बनायें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुए कि किछा इलाके और किछा मंडी में इस बीच में सरकार के प्रयत्न से बड़ी आबादी बढ़ी है तो किछा, बाजपुर आदि जो कस्बे सरकार ने बसाये हैं इनके लिये सरकार कोई फायरब्रिगेड की व्यवस्था करेगी ताकि कोई अग्निकांड न हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब कभी विस्थापित लोग बसाए जाते हैं तो पहले झोपड़ियां बनती हैं, धीरे-धीरे मकान बनाये जाते हैं, और वह रिप्लेस हो जाते हैं ।

अक्षुरगंज, लखनऊ के महिला रक्षागृह से महिलाओं का भागना

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि लखनऊ के अक्षुरगंज मुहाल के महिला रक्षागृह में ५ अगस्त, १९६० को एक तथा कुछ ही दिन पहले तीन महिलायें भागने पर चौक की पुलिस द्वारा पकड़ी गई थीं और उन्होंने उक्त रक्षागृह के संबंध में कई सनसनी खेज बयानात दिये हैं ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट)—जी हां। पुलिस में इन महिलाओं द्वारा सनसनी खेज बयानात देने के संबंध में इस विभाग को कोई सूचना नहीं है ।

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि उक्त महिलाओं के उक्त बयानात के बावजूद पुलिस ने उनको उसी रक्षागृह के हवाले कर दिया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—जैसा कि प्रश्न सं० १३ के उत्तर में कहा जा चुका है कि इस विभाग को उक्त महिलाओं द्वारा पुलिस में सनसनी खेज बयानात देने के संबंध में कोई सूचना नहीं है, इतना अवश्य सत्य है कि इन महिलाओं को पुनः उक्त रक्षा गृह के हवाले कर दिया गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उक्त महिलाओं ने उक्त रक्षा गृह से भागने के क्या कारण बतलाये थे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—कारण की तो बहुत सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन यह घटना इस प्रकार से हुई थी कि एक तरफ की दीवार में से वह औरतें निकल गईं और निकलने के बाद उनमें से तीन के संबंध में यहां चौक के थाने से इत्तला मिली तो जो अधिक्षका थीं उन्होंने जाकर उनसे बातचीत की और वह तीनों वापस आ गईं और कुछ सरकारी सामान भी वह ले गई थीं और इसके बाद दो की और सूचना मिली वह भी आ गईं और फिर तीसरी भी आ गई ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे पुलिस में इन महिलाओं ने कुछ अपने बयानात दिये हैं ? यदि हां, तो संक्षेप में बतायेंगे क्या बयान दिये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई बयान की हम लोगों को सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य को हो तो वह बता दें ।

श्री अदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले की जो जांच हो रही थी वह खत्म हो गई या अभी जारी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—किस प्रकार की जांच में समझा नहीं । यदि जांच का संबंध पुलिस से है तो उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है । यदि मेरे विभाग से संबंध है तो उसकी कोई विशेष जांच नहीं हुई । जो ६ महिलाएं भाग गई थीं और वापस आ गई थीं १ उनमें से फिर भाग गई उसका पता नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन महिलाओं ने पुलिस में बयान दिये । तो क्या जब मंत्री जी ने इसकी सूचना मंगायी तो यह भी मंगायी कि उन्होंने पुलिस के सामने क्या बयान दिये थे ? और पुलिस ने क्या सूचना दी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पुलिस से कोई सूचना नहीं मंगवायी और न उसको आवश्यक समझा गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी को ज्ञात है कि महिला रक्षा गृह से जो महिलायें भागी वह वही थीं जो कि अनैतिक वृत्तियों के कारण वहां महिला रक्षा गृह में रखी गई थीं, तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे अनैतिक वृत्ति की जो इनमेट्स हैं उनके लिये कुछ समाज शिक्षा और नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सके ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नैतिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा, दोनों का प्रबन्ध किया गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—मंत्री जी को पता है कि उक्त रक्षा गृह के संबंध में अवांछित रिपोर्ट्स के कारण उसका अनुदान १९५८ से बन्द कर दिया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो रक्षा गृह सरकारी है, अनुदान का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जो अनैतिक अपराधों में पकड़ी जाती हैं उन महिलाओं को वहां रखा जाता है और जहां उनको रखा गया है वहां की इमारत इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गई है कि कोई १०,५ लड़कियां कभी भी भाग सकती हैं और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कई बार सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है तो मंत्री जी इमारत की मरम्मत करा के सुरक्षा का इन्तजाम करेंगे जिससे इस तरह फिर कोई न भागे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे ज्ञान नहीं है वह सरकारी इमारत है या किराये की है। जहां तक मुझे मालूम है किराये की है। उसकी और किस प्रकार रक्षा की जाय, उसमें कोई नई इमारत बनवा दी जाय यह तो संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा फिर तो केवल यही विचार किया जायगा कि रक्षा गृह कहीं दूसरी जगह जाय। लेकिन इतनी बात भी सही है कि इतना अरक्षित नहीं है। जो भागी थीं वह एक तरफ की दीवार तोड़ कर भागी थीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या जो महिलायें भागीं उन्होंने कभी अपने अधिकारियों से या सरकार से अपने साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या ज्यादती किये जाने की कोई शिकायत की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में उस रक्षा गृह के प्रबंधकों के विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत आयी थी और वैसी ही अनैतिक व्यवहार की शिकायत अब पैदा होने पर ये कन्यायें वहां से भाग गयी थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मेरे इल्म में तो इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। न तो वहां पर कोई प्रबन्धक है, वह सरकारी रक्षा गृह हैं, सरकार की ओर से प्रचालित है और उसके संबंध में किसी भ्रष्टाचार का प्रश्न उठा नहीं और न कोई शिकायत आज तक आयी ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो महिलायें वहां से भागीं या भगायी गयीं उन्होंने बड़े सनसनीखेज बयानात दिये और यहां पर माननीय पालीवाल जी ने भी पूछा कि क्या बयानात दिये तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह बयानात उनके पास हैं नहीं, उन्होंने उनके मंगाने की आवश्यकता नहीं समझी। मेरा कहना यह है कि जब स्पष्ट बयानात का उल्लेख है तो माननीय मंत्री जी ने क्यों नहीं आवश्यक समझा और क्यों नहीं उनको मंगवाया ? मैं इसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप पूरक प्रश्न में पूछ सकते थे । मेरी व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है । अगर माननीय मंत्री जी समझते थे कि जानकारी हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वैसा उत्तर उन्होंने दे दिया ।

लिपस्टिक का प्रयोग बन्द करने का सुझाव

*१५—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या न्याय मंत्री का ध्यान केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के हाल के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि लिपस्टिक के प्रयोग के फलस्वरूप महिलाओं में त्वचा रोग फैल रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं।

*१६—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो क्या वह उसके प्रयोग को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार मेरी इस सूचना को सही मान कर कि लिपस्टिक के प्रयोग से महिलाओं में त्वचा रोग फैल रहा है इसलिये इस पर रोक लगाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी हमारे पास कोई कानून तो है नहीं रोकने का, लेकिन सब माननीय सदस्य कोशिश करें जो महिलाओं के सम्पर्क में हैं, उन्हें सलाह दें कि लिपस्टिक म इस्तेमाल करें।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को ही सूचना मान कर लिपिस्टिक जिन पदार्थों से बनती है उनके संबंध में विशेषज्ञों से जांच कराने की कृपा करेंगे कि क्या वस्तुतः इससे नुकसान होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब माननीय करमाकर जी, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बता दिया है तो मुझ इन्क्वायरी कराने की कोई जरूरत तो मालूम नहीं होती।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सदन के बहुत से सदस्यों ने माननीय माल मंत्री से यह दरख्वास्त की है कि वे अपनी पत्नियों को लिपस्टिक लगाने से नहीं रोक सकते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर वे उनको हमारे सुपुर्द करें तो मैं उनको रोक दूंगा।

महात्मा गांधी के जन्म-दिवस पर बन्दी मुक्त करने का विचार

*१७—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह पूज्य बापू के जन्म-दिवस पर इस वर्ष २ अक्तूबर को कुछ बन्दियों को जिलेवार मुक्त करने जा रही है ? यदि हां, तो किस आधार पर, किस संख्या में बन्दी जिलेवार छोड़े जायेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—२ अक्तूबर, १९६० को बन्दियों को मुक्त करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

श्री हरदयालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह प्रश्न विचाराधीन है तो कितने बन्दी छोड़े जायंगे और कब तक वह लिस्ट पूरी कर लेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—२ अक्तूबर से पहले ही।

श्री मोतीलाल अवस्थी—२ अक्तूबर से पहले जिन कैदियों को रिहा करना चाहते हैं और उस पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं तो राजबंदी कैदियों के छोड़ने के सवाल पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, यह प्रश्न विचाराधीन है। इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि राजबन्दी या समाजवादी व्यक्ति तो स्वेच्छा से जेल में जाते हैं इसलिये उनके रियायत पर छूटने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में विभाग से कब तक आदेश किये जायंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी मैंने बताया कि २ अक्तूबर से पहले जरूर भेज दिये जायंगे।

श्री ऊवल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कैदियों के छोड़े जाने का प्रश्न विचाराधीन है जिनको सजा काटने के लिये केवल दो तीन चार महीने बाकी रह गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, जरूर है।

श्री हरदयालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने दिनों की अवधि के कैदी छोड़े जायंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं समझा नहीं।

श्री हरदयालसिंह—श्रीमन्, किस अवधि के कैदी छोड़े जायंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जरूर इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो लोग छोड़े जायंगे उनकी एक निश्चित लिस्ट बनेगी।

अौड़ा ग्राम के निकट पहाड़ खिसकने से क्षति ग्रस्तों की सहायता के लिये प्रार्थना

*१८—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा, तहसील बारा मण्डल, पट्टी बोरारौपल्ला के ग्राम अौड़ा (अमृतपुर) के पीछे का पहाड़ ३१ जुलाई तथा १ अगस्त, १९६० को रात्रि में धंस गया जिसके कारण उक्त ग्रामवासियों की समस्त सम्पत्ति को क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो क्षति का अनुमान क्या है तथा क्षतिग्रस्तों को सरकार द्वारा अब तक क्या सहायता दी गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जिला अल्मोड़ा की पट्टी पल्ला बोरारो के ग्राम अौड़ा (अमृतपुर) घौलाड़ा, गुरूड़ा के पीछे का पहाड़ दिनांक ३१ जुलाई व १ अगस्त, १९६० की रात्रि में अधिक वर्षा के कारण खिसक गया। इसके फलस्वरूप एक बढ़ते हुए पानी के नाले ने समीप के खेतों की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाई। ग्राम अौड़ा, घौलाड़ा और गुरूड़ा की ९ एकड़ भूमि जिसमें धान और मड़ूआ की फसल खड़ी थी पानी के नाले से नष्ट हो गई।

उक्त घटना से प्रभावित १४ व्यक्तियों को २५ रु० प्रति व्यक्ति की दर से ३५० रु० अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार बतायेगी कि यह सही है कि इस दुर्घटना के कारण फसल ही नष्ट नहीं हुई बल्कि भविष्य में खेती योग्य भूमि नहीं रह गई है जिससे १,३०० से अधिक परिवार भूमिहीन हो गये हैं, तो उनके पुनर्वास का सरकार क्या कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस घटना के कारण तीन गूलें टूट गई हैं और १२ एकड़ भूमि बेकार हो गई है तो क्या इन गूलों को ठीक कराने की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, इसकी भी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पहाड़ गिर गया है जिससे जमीन दब गई है तो उसके उठाने और फिर पहाड़ न गिरे इसकी कोई व्यवस्था की है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न की जा सकती है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी क्षति हुई है और कितने प्रतिशत मुआवजा दे रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—४,१५० रु० के अनुमानित मूल्य की फसल नष्ट हुई है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां भूमि बड़ी महंगी है और अगर सरकार उसमें भूमि संरक्षण का कार्य न करेगी तो लाखों रुपये की भूमि के नष्ट होने का अन्देशा है, यह देखते हुए कोई ऐसा कार्य करवायेंगे कि भूमि बहने और टूटने से रुक जाय?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—अभी ऐसी कोई इत्तला सरकार के पास नहीं है कि कोई पहाड़ गिरने से और नुकसान का अन्देशा है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कई परिवार भूमिहीन कर दिये गये हैं, उनको सीलिंग में प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—अभी यह कब्ल अज वक्त है। सीलिंग बिल अभी पास नहीं हुआ है। अपर हाउस में जाने वाला है। फिर देखा जायगा।

*१९–२१—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बढ़या ग्रामवासी श्री बच्चन द्वारा आत्महत्या

*२२—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि सी० ओ० सर्किल, निजामाबाद के ग्राम बढ़या, जिला आजमगढ़ के बच्चन कुर्मी नामक एक २० वर्षीय युवक ने जिसकी जमीन चकबन्दी कार्यकर्ताओं ने खराब कर दी और जिसकी अपील भी नहीं सुनी गई, ऊब कर आत्महत्या कर ली?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बच्चन की आत्महत्या का चकबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं था।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी जी ने पत्रकारों के बीच में अपने वक्तव्य में यह कहा था कि इसने चकबन्दी के कारणों से आत्महत्या की है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी आत्महत्या का कारण क्या था?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—बड़ा मुश्किल है। उससे पूछा जाता तो बता सकता। हम तो नहीं बता सकते।

श्री प्रतापसिंह—जब माननीय मंत्री जी को यह पता है कि उसकी मौत चकबन्दी के कारणों से नहीं हुई है और वह मर गया तो क्या उन्होंने इस बात की छानबीन करवायी कि किन कारणों से उसने आत्महत्या की, या किस बीमारी से वह मरा यह बतायेंगे?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—हम को कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं थी। चकबन्दी से सम्बन्धित होता तो हम पता लगाते। वैसे मौतें हुआ ही करती हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या किस ढंग से की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना की आवश्यकता होगी। पुलिस डिपार्टमेंट से पता लगाना पड़ेगा।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की, क्या उसके घर के किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई सूचना रिपोर्ट की नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कि उसने चकबन्दी से ऊब कर आत्महत्या नहीं की यह किस अधिकारी के जरिये मिली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे अधिकारियों ने हमें रिपोर्ट दी।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारियों ने यह क्यों नहीं पता लगाने की कोशिश की कि उसने आत्महत्या किस कारण से की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्होंने अपना फर्ज नहीं समझा इसका पता लगाना। यही कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जो प्रश्न किया गया वह यह किया गया कि चकबन्दी के कारण से ऊब कर उसने आत्महत्या की। तो यह तो माल मंत्री हैं, उक्त प्रश्न गृह मंत्री से पूछना चाहिए था। वे सब तरह से पता लगा लेते कि क्यों आत्महत्या की है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि आत्महत्या करने से पहले यह आदमी कुआं में भी कूदा था आत्महत्या करने के लिए और कुआं से निकाले जाने के बाद उसने बयान दिया था कि मैं चकबन्दी से ऊब कर कुएं में कूद गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे तो इत्तला है नहीं। शायद हमारे मित्र को ज्यादा मालूम है इसके बारे में।

*२३—कुंवर श्रीपालसिंह—[हटा दिया गया।]

चकबन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ पर व्यय

*२४—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५६ में चकबन्दी कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिये जो स्कूल मोतीमहल, लखनऊ में खोला गया था उस पर सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ तथा क्या यह स्कूल जिलाधीश, लखनऊ के मातहत था ? यदि हां, तो स्वीकृत रुपयों का व्यय संचालक चकबन्दी ने स्वयं क्यों किया जिस पर लेखाधिकारी ने भी आपत्ति की है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सन् १९५६ में मोतीमहल, लखनऊ में खोले गये चकबन्दी प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल ३४,७१८ रुपया व्यय हुआ। यह प्रशिक्षण केन्द्र जिलाधीश लखनऊ के अधीन नहीं था तथा उपर्युक्त व्यय के सम्बन्ध में लेखाधिकारी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

गाजीपुर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन व लेडी डाक्टर न होने की शिकायत

*२५—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर सदर अस्पताल में गत दो माह से सिविल सर्जन नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। वहां सिविल सर्जन का पद रिक्त नहीं है।

*२६—श्री ऊदल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वहां कोई महिला डाक्टर नहीं हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। वहां के महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर भी है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरी जानकारी जो है अब तक वहां सिविल सर्जन नहीं है, बल्कि जो सहायक डाक्टर वहां थे वही उस पद पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां की जनता को काफी असुविधा हो रही है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां सिविल सर्जन को भेजने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेडिकल आफिसर आफिशियेट करते हैं ऐसे सिविल सर्जन को।

चकबन्दी योजनान्तर्गत गांव की आबादी के लिए भूमि

*२७—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभी प्रदेश की गांव सभाओं को चकबन्दी योजना में आबादी हेतु छोड़ी गयी भूमि में किसानों को मकान बनाने के लिये भूमि देने के अधिकार नहीं दिये गये हैं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, यह सही नहीं है। गांव सभाओं को चकबन्दी योजना के अधीन गांव की आबादी के लिये छोड़ी गई भूमि को ग्राम निवासियों को देने का अधिकार प्राप्त है।

*२८—श्री शिवराजसिंह यादव—यदि हां, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि गांव सभाओं को चकबन्दी योजना के तहत में आबादी के लिए छोड़ी गई भूमि को मकान बनाने के लिए भूमि देने का अधिकार प्राप्त है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा ऐसा खयाल है कि है। ठीक में नहीं कह सकता। इसके लिए नोटिस की जरूरत है लेकिन खयाल ऐसा है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आबादी के लिए भूमि देने पर भी उसके लिए गांव समाज को कुछ रुपया देना पड़ता है? गांव समाज कुछ पया लेता है प्रार्थियों से?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो नियम है। गांव समाज मैनुअल में पढ़ लीजिए। सब साफ हो जायगा।

भिक्षुक आवास-गृह

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की ओर से देश के किन-किन जिलों में कितने-कितने स्थान भिक्षमंगों के रहने हेतु खोले गये हैं?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इस समय सरकार की ओर से भिक्षुकों के आवास एवं पुनर्वासन के लक्ष्य से दो राजकीय कर्मशालायें एक हरिद्वार तथा दूसरी वाराणसी में खोली गयी हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आवास गृह बनाये गए हैं, बनारस, देहरादून, हरिद्वार में इनमें भिक्षमंगों की तादाद क्या है और इसमें कितने भिक्षमंगों को रखने का स्थान रखा गया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---इसमें १०० भिक्षुकों तक के आवास का प्रबन्ध है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि ये आवास सरकारी इमारतों में रखे गए हैं या किराये की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---हरिद्वार में किराये की इमारत है और वाराणसी में भी एक प्रकार से किराये की है एक पुराने ट्रस्ट की इमारत।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि जो भिक्षुक इसमें रखे जा रहे हैं उनको केवल रखा जा रहा है या किसी काम में लगाया जा रहा है और क्या इन भिक्षुकों में वयस्क लोग भी हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---हरिद्वार में जो भिक्षुक रखे गए हैं उनको दर्जी का काम, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, दरी कालीन और कपड़ बनाना आदि काम सिखलाया जा रहा है और जो वाराणसी में हैं उनको बागवानी का काम और औद्योगिक प्रशिक्षण आदि सिखलाया जा रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में से भी ऐसे भिक्षुकों का आवासगृह खोलने का उनका विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी तो विचार नहीं है।

वेश्या-वृत्ति रोकने के लिये संरक्षण गृह

*३०---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में कितने स्थान वेश्याओं को वेश्यावृत्ति से हटा कर दूसरे कार्यों में लगाने हेतु सरकार ने खोले हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत वेश्याओं को वेश्यावृत्ति से हटाकर दूसरे कार्यों में लगाने हेतु सरकार ने सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य तथा उत्तर रक्षा योजना के अन्तर्गत स्थापित महिलाओं के १२ जिला शरणालय एवं प्रवेशालयों को तथा उद्धार गृह (रेस्क्यू होम, देहरादून) को संरक्षण गृह घोषित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में पांच और संरक्षण गृह खोले जा रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह जो १२ जिला शरणालय बनाये गये इनमें कितनी वेश्यायें रखी गईं और इनसे क्या कार्य लिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पहले भाग का उत्तर इस समय हमारे पास नहीं है। इसके औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

हकीमों और वैद्यों के वेतन के सम्बन्ध में राजाज्ञा

*३१---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रिन्सिपल का चुनाव हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---जी हां, हो गया है।

नोट:---तारांकित प्रश्न ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २०-३-५६ को उनके विभाग द्वारा कोई जो० ओ० अधीनस्थ काम करने वाले आयुर्वेदिक विभाग के वैद्यों के सम्बन्ध में निकाला गया था ? यदि हां, तो उनका खुलासा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

(१) आयुर्वेदिक विभाग के वैद्यों व हकीमों के वेतन-क्रम को ७५-५-१२०-८-२०० रु० से १२०-४-१६०-६० रो०-८-२०० रु० में १-३-१९५६ से परिवर्तित करना,

(२) वैद्यों व हकीमों का एक गजेटेड केडर २००-१०-३१०-६० रो०-१५-४०० रु० के वेतन-क्रम में स्थापित करना जिसके अन्तर्गत १४ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारियों, मैनेजर व असिस्टेन्ट मैनेजर, स्टेट फार्मेसी के पदों को सम्मिलित किया जाना तथा १० आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सकों के पदों को नान-गजेटेड से गजेटेड में परिवर्तित करना ।

*३३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जी० ओ० का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वैद्यों व हकीमों के वेतन-क्रम में परिवर्तन १-४-१९५६ से ही लागू कर दिया गया था ।

गजेटेड कैडर के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जा रहा था तथा १-६-१९६० से ११ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारियों की तथा असिस्टेन्ट मैनेजर स्टेट फार्मेसी को नियुक्ति गजेटेड कैडर में लोक सेवा आयोग की सिफारिश के पश्चात् कर दी गई है ।

१० गजेटेड चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है । आयोग की सिफारिश आने के पश्चात् शीघ्र ही इन पदों पर भी नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

अल्मोड़ा जिले की दारुण पट्टी में सिंचाई के गलत इन्दराज

*३४--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुमाऊं में जो जमीन का बन्दोबस्त चल रहा है उसके सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं कि जिन खेतों में या खेत के जिस हिस्से में आलू की फसल हो या फल के ५ भी पेड़ लगे हों उसे सिंचित (तलाऊं) क्षेत्र कागजात माल में दर्ज कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुमाऊं भूमि बन्दोबस्त नियम ११(१) के अनुसार हर जमीन जिस पर बाग (orchard) या जिस पर आलू बोया गया हो 'तलाऊ' दर्ज की जाती थी पर अब इस बात की हिदायत कर दी गयी है कि ऐसा न किया जावे ।

*३५--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या यह सही है कि इस आदेश के कारण पट्टी दारुण, जिला अल्मोड़ा के गांवों में ऐसे कई खेत हैं जो पहाड़ की चोटी पर बसे हैं जहां सिंचाई कभी न हुई न उसकी सम्भावना है, परन्तु वे सिंचाई वाले दर्ज किये गये, यहां कि किसी एक खेत के आलू की फसल वाला हिस्सा सिंचित (तलाऊं) व अन्य फसल वाला शेष हिस्सा असिंचित उपराऊ दर्ज हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अल्मोड़ा के पट्टी दारुण के कुछ आलू के खेत जिनमें सिंचाई नहीं होता था 'तलाऊ' दर्ज कर दिये गये थे । परन्तु अब उन खेतों को फिर 'असिंचित' दर्ज कर दिया गया है ।

मटरूमल धन्नालाल टी० बी० अस्पताल के कर्मचारियों को आवास व्यवस्था न होना

*३६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री मटरूमल धन्ना लाल टी० बी० अस्पताल में मेडिकल आफिसर, कम्पाउन्डर्स, नर्सों और मेहतर और छोटे दर्जे के कर्मचारियों के निवास की अभी तक अस्पताल में या उसके समीप कोई व्यवस्था किन कारणों से नहीं हो सकी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---स्थानाभाव के कारण इन कर्मचारियों के लिए अभी तक भवन नहीं बन सके। परन्तु सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में एक डाक्टर और दो कम्पाउन्डरों के लिये भवन बनाने के आदेश दिये हैं।

*३७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार जब तक अन्य क्वार्टर्स की व्यवस्था न हो सके, लेबर कालोनी के कुछ मकान नर्सों, कम्पाउन्डर्स तथा छोटे कर्मचारियों के प्रयोग में लाने की व्यवस्था करा देने की कृपा करेगी ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लेबर कालोनी के मकान नर्सों के लिये सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वह आबादी से दूर स्थित हैं और वहां रहने की पूरी सुविधायें इस समय उपलब्ध नहीं हैं। कम्पाउन्डरों और छोटे वर्ग के कर्मचारियों को वहां मकान दिलाने के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

*३८---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों से नर्सों की स्वीकृति हो चुकी है परन्तु स्थानाभाव के कारण ही वहां पर अभी तक नर्सों के भेजने की व्यवस्था नहीं हो सकी ? सरकार कब तक नर्सों के भेजने और छोटे कर्मचारियों के निवास की अस्थायी व्यवस्था करा सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नर्सों की कमी और इस अस्पताल में नर्सों के लिये स्थान की उचित व्यवस्था न होने के कारण वहां नर्सें नहीं भेजी जा सकी हैं। यदि नर्सों के लिये शहर में रहने की उचित व्यवस्था हो गयी तो इस अस्पताल में जल्दी नर्सों के भेजने का प्रबन्ध किया जायगा।

छोटे दर्जे के कर्मचारियों को, जैसे प्रश्न सं० ३७ के उत्तर में बताया गया है, लेबर कालोनी में भवन दिलाने के सुझाव पर विचार किया जायगा।

वर्षा पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

*३९---श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई के प्रथम पक्ष की अतिवृष्टि से राज्य के किन-किन जिलों को हानि पहुंची है और वह हानि किस-किस प्रकार की है तथा कितनी-कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जुलाई के प्रथम पक्ष में अति वृष्टि से केवल मेरठ, जौनपुर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, तथा बहराइच जिलों में हानि पहुंची जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। फसल को भी थोड़ी बहुत क्षति पहुंची है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७९ पर)

*४०---श्री नागेश्वर प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायतार्थ किस-किस जिले को क्या-क्या और कितना-कितना दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अपेक्षित सूचना प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर से सम्बन्धित संलग्न सूची के स्तम्भ ८ व ९ में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७९ पर)

सीतापुर जेल का निरीक्षण

*४१—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या २-६-६० को जिला जेल, सीतापुर का निरीक्षण किसी एम० एल० ए० द्वारा किया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा और मुआयने में किन-किन बातों पर सरकार का ध्यान ध्यान दिलाया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, २ जून, १९६० को जिला जेल, सीतापुर का निरीक्षण श्री मूलचन्द एम० एल० ए० ने किया था और उन्होंने अपने निरीक्षण में बन्दियों के भ.जन की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य, अस्पताल और दवा का प्रबन्ध, टट्टीघरों का प्रबन्ध, बन्दियों की मुलाकात तथा एक मुलाकाती के पीटे जाने के सम्बन्ध में कहा था ।

*४२—श्री मूलचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, सीतापुर में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों ने २ मई, १९६० से लगायत ३० जून, १९६० तक कितनी दरख्वास्तें जेल अधिकारी के खिलाफ सरकार को भेजीं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस अवधि में ऐसी कोई दरख्वास्तें सरकार को नहीं भेजी गई हैं ।

तराई उपनिवेश कार्यालय, नैनीताल द्वारा राजनीतिक पीड़ितों को जमीन

*४३—श्री पन्नेराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५८ से जून, १९६० के बीच तराई उपनिवेश कार्यालय, नैनीताल द्वारा कितने राजनीतिक पीड़ितों को जमीन एलाट की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउन्डरों का वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*४४—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी कम्पाउन्डरों की वेतन-वृद्धि तथा अन्य सुविधाओं का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*४५—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार ने उनकी वेतन-वृद्धि का निश्चय कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*४६—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या यह सही है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् से जो सहायक वैद्य की परीक्षा होती है सरकार ने उसको अब तक मान्यता नहीं प्रदान की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के सहायक वैद्य के डिप्लोमा को कम्पाउन्डरों की नियुक्ति के लिये मान्यता प्राप्त है ।

फाइलेरिया विभाग, फैजाबाद डिवीजन में गबन की जांच

*४७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार को ज्ञात है कि फाइलेरिया विभाग, फैजाबाद डिवीजन में बहुत बड़े गबन का पता हाल में लगा है ? अगर हां, तो वह धनराशि क्या है और इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गबन होने की शिकायत आई थी पुलिस अभी उसकी जांच कर रही है, जांच समाप्त होने पर सही अन्दाजा गबन की हुई रकम का बताया जा सकता है।

अतारांकित प्रश्न

भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण व दावे

१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ), श्री अमरनाथ (जिला कानपुर) तथा श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—१-२८-६-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १५ से २० अगस्त, १९५९ तक जिस भूमि का हस्तान्तरण (transfer) हुआ व जिस भूमि के दावे अदालत में दायर हुये उसमें से कितनी भूमि ऐसे खातेदारों की थी जिनकी जोत ४० एकड़ से अधिक थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। इसमें कम से कम एक महीने का समय और लगेगा।

हिन्दी में साहित्य न मिलने पर आपत्ति

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—मैं एक निवेदन करना चाहता था। यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में हमको साहित्य मिला है वह अंग्रेजी में मिला है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि हम अंग्रेजों के पुत्र नहीं हैं। हमें उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये वह हमको हिन्दी में मिल जाना चाहिये जिससे उस पर हम कुछ विवाद में भाग ले सकें।

श्री अध्यक्ष—मैंने उस रोज कहा था कि इस विषय के ऊपर १७ तारीख से बहस होगी। उसके २, ३ दिन पेश्तर ही आपको हिन्दी में उसकी प्रतिलिपि मिल जायगी।

नियम समिति की सिफारिश

सचिव, विधान सभा—मैं नियम २५१ के अन्तर्गत विधान सभा की नियम समिति की सिफारिश सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८० पर)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह सिफारिश सब लोगों के पास पहुंच गई होगी। इस पर ७ रोज तक विचार करके माननीय सदस्य कोई संशोधन देना चाहें तो वे नियम के अनुसार दे सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—यह सिफारिश क्या है, हम लोगों को नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—जहां पर आपका 'पिजन होल' है, वहां आपको ये कागज मिलेंगे। आपने देखा नहीं है। ७ रोज के भीतर उस पर संशोधन दिया जा सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं वहां से अभी उठाकर लाया हूं और कोई कागज वहां पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अगर वहां पर नहीं हैं तो आपको मिल जायगा। यह मान लेना चाहिये कि वह किसी और जगह जरूर है।

विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा रेलवे के रियायती टिकटों को गलत ढंग से लेने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत जिस प्रश्न को उठाने के लिये ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से श्री गोविन्दसिंह बिष्ट ने प्रस्ताव रखा है वह यह है कि दिनांक ७ सितम्बर को केन्द्रीय रेलवे उपमंत्री श्री रामा स्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यू० पी० के एक एम०एल० ए० ने हरिजन किसानों के नाम पर २९८।। टिकट चौथाई दर पर लिये पर उनमें से केवल १५।। सीट हरिजन किसानों की थीं। शेष टिकट रियायती दर पर गलत तौर से लिये गये। उक्त रहस्योद्घाटन से हमारे प्रांत के समस्त जन प्रतिनिधियों और खासकर ४३१ एम० एल० ए० की इज्जत को गहरा धक्का लगा है। जिस किसी ने ऐसा किया उसका शेष से अलग किया जाना जरूरी है। इस गम्भीर महत्वपूर्ण निश्चित प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री व नेता सदन का ध्यान आकृष्ट कराया जाय ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे

इसके ऊपर सूचना कौन मंत्री देंगे ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नोटिस मुझे अभी ११ बजे के बाद मिली है। इसके लिये ४, ५ रोज का समय मिलना चाहिये। मैं समझता हूं अगले मंगल तक सूचना आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—तो अगले मंगल को इसकी सूचना और वक्तव्य मुख्य मंत्री जी देंगे।

एक दुखद घटना पर विचार व्यक्त करने की प्रार्थना

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैं एक बहुत ही दुखद सूचना सदन को देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप उस पर हम लोगों को अपनी शोक संतप्त भावनाओं को प्रकट करने का अवसर देंगे ....

श्री अध्यक्ष—मैंने उसके ऊपर विचार किया। इस सदन के जो सदस्य रहे हों उन्हीं के देहांत पर हम लोग अपनी शोक की भावनायें व्यक्त करते हैं जिन सज्जन के बारे में आप सूचना देना चाहते हैं वह इस सदन के सदस्य कभी नहीं रहे। ऐसी हालत में मैं यह उचित समझता हूं कि अभी नेता सदन भी यहां पर मौजूद नहीं हैं आप उनसे चर्चा कर लें। अभी तक इस विषय में हमने यह प्रथा कायम की है कि सदस्यों के अतिरिक्त जो अखिल भारतीय महत्व के लोग हैं और जिनकी उच्च कोटि की ऐसी सेवा रही है कि सभी क्षेत्रों के लोग उनका आदर करते हों, उनके विषय में भी उनकी मृत्यु पर हमने चर्चा की है।

इन सब बातों का अधिक विचार, मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल और नेता सदन, दोनों कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस विषय में मैं चर्चा करने के लिये आज इजाजत नहीं दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आज अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो कब इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप विचार कर लें तो कल हम ले सकते हैं। आज तो निश्चित भी नहीं है, उड़न्तू खबर है।

श्री उग्रसेन—सरकार को तो खबर होगी और उपनेता सदन से पूछ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी नेता विरोधी दल भी नहीं हैं और नेता सदन भी मौजूद नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—दोनों उपनेता मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आज यहां चर्चा उचित नहीं होगी ।

श्री उग्रसेन—मुझे अभी सूचना मिली है कि कौंसिल एडजर्न हुई है इसी कारण, तो आप माननीय उपनेता सदन से राय ले लें और समय दिया जाय उनको कुछ कहने के लिये ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश में खाद (अमोनियम सल्फेट) के तस्कर व्यापार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री गौरीशंकर राय तथा रामसुन्दर पांडेय द्वारा दिनांक २ सितम्बर, १९६० को दी गयी सूचना पर उत्तर प्रदेश में खाद (अमोनियम सल्फेट) का भाव ४० रुपये प्रति बोरा तथा देश के दूसरे प्रदेशों में इसका भाव अधिक होने के कारण राज्य स्तर पर इसका संगठित तस्कर व्यापार होने तथा कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आदि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत कृषि मंत्री का वक्तव्य होगा।

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के अन्तर्गत गौरीशंकर राय जी ने जो विधान सभा का ध्यान आकर्षित किया है और जिस सिलसिले में २,०९३ खाद की बोरियां इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाती हुई पकड़ी गयीं, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वास्तव में इस प्रकार की सूचना हम को पत्रों द्वारा एक दिन पूर्व ही प्राप्त हो गयी थी और हमने इस सूचना प्राप्त होने के पश्चात् इस बात का पता लगाया कि क्या कारण था और क्या वजह थी और क्या स्थिति थी जिसमें यह खाद दूसरी जगह भेजी जा रही थी। जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा इसका सारा पता लगाया और यह मालूम हुआ कि २२,२३ तारीख की रात को वहां पर २३९ बोरे अमोनियम सल्फेट राव पट्टी मद्रास को भेजी जा रही थीं और करीब करीब ४ वैगन लद गये थे और कुछ बोरियां और थीं जो लदने वाली थीं। चार वैगन जो लद गये थे उनको पुलिस ने आगे जा कर बरेली में रुकवा दिया और बाकी जो वैगन चले गये हैं उनके लिये आदेश दे दिया है कि जहां भी वह पहुंचे हों उनको रोक दिया जाय। इस सिलसिले में इंक्वायरी हो रही है पुलिस के द्वारा भी और सी० आई० डी० के द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करा रहे हैं और प्रांतीय सरकार भी यह सोच रही है कि इस के ऊपर पूरी कार्यवाही की जायगी जब हमारे पास इस प्रकार की रिपोर्ट आ जायगी। इसकी क्या वजह है कि जो फर्टलाइजर काम आना चाहिये तरक्की में वह इस प्रकार बाहर चला जाय, आया जिनको वह मिलता है वह उसे इस्तेमाल न कर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं अथवा इसमें किसी कर्मचारी का दोष है, यह सब बातें इंक्वायरी होने के बाद ही मालूम हो सकती हैं और उन पर उसी समय प्रकाश डाला जा सकता है।

इस सिलसिले में एक निवेदन में और कर दूं कि हमने तीन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें २ व्यापारी हैं अथवा उनका कार्य करने वाले मुनीम हैं और एक फार्वर्डिंग एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो गिरफ्तारियां होंगी वह इंक्वायरी पूरी होने के बाद की जायंगी। और मैं समझता हूं कि जब तक इंक्वायरी न हो जाय कोई बात इस सिलसिले में कहना मुनासिब न होगा और अभी किसी व्यक्ति अथवा किसी कर्मचारी का नाम न लिया जाय। इस संबंध में सरकार सतत् प्रयत्न कर रही है और उसको रोकने के लिये कदम उठा रही है।

अब जहां तक इसके वितरण का प्रश्न है इसके लिये सहकारी एजेंसियां बनी हुई हैं जिसके द्वारा इसका वितरण होता है। कोआपरेटिव यूनियनें बनी हुई हैं, और उनके द्वारा इसका वितरण होता है। केन यूनियनें हैं, केंद्रीय कोआपरेटिव यूनियनें हैं और डिस्ट्रिक्ट यूनियनें हैं, जिनके द्वारा इसका वितरण होता है।

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

इसका लाइसेंस जो है वह एग्रीकल्चरल आफिसर देते हैं। किसी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। यानी जो कोआपरेटिव यूनियनें हैं, अथवा केन यूनियनें हैं केवल सहकारी संस्थाओं को देते हैं। यह वितरण इन्हीं के द्वारा होता है। तो यह जो खाद बेचा गया था वह इन्हीं सहकारी यूनियनों द्वारा बेचा गया था।

इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसान जो खाद खरीदते हों, वे उसे खरीद कर, अपने प्रयोग में न लाते हों, और उसे ज्यादा पैसा लेकर बेंच डालते हों। इसके अलावा इसमें कुछ कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है। इसमें व्यापारियों की भी साठ-गांठ हो सकती है। इसलिये इन सब की जांच हो रही है और मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि इस संबंध में सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और जो भी दोषी पाया जायेगा उसको भी सख्त सजा दी जायेगी। इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मसला ऐसा है जिसमें सभी लोगों को मिल कर सरकार को सहयोग देना चाहिये। आप सब का जब सहयोग होगा तभी यह काम हो सकेगा। हमने लोगों को सस्पेंड भी किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिसकी भी गलती इसमें होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और इसको रोकने में जो भी आवश्यक कदम होंगे उनको उठाया जायेगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि पिछले वर्ष भी लाखों रुपये की अमोनियम सल्फेट की खाद दूसरे प्रदेशों को यहां से गयी और ब्लैक बाजारी हुई और इस तरह से स्मगलिंग हुई ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—लाखों रुपयों की गयी, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कई जगह से यह सूचना मिली कि स्मगलिंग किया गया। इस संबंध में मेरी सूचना ही नहीं है, बल्कि इस पर कार्यवाही भी की गयी। पुलिस के हवाले भी कई मुकदमे किये गये। इन्वेस्टीगेशन भी हुआ और माल भी जब्त किया गया। असल में एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद जाने की उतनी सख्तियां नहीं हैं जितनी कि हम चाहते हैं। यहां पर खाद ४० रुपये बोरा और १६ रुपये मन बिकता है और दक्षिण की तरफ, मदरास आदि की तरफ, इसका भाव १००-१२५ रुपये तक है। इसका दो तरह से प्रयोग होता है। एक तो यह कि इसको खाद के ही प्रयोग में लाया जाय। दूसरे इसको शराब बनाने के काम में भी लाया जाता है। जो लोग इसके प्रयोग से अच्छी फसल पैदा करने में सफल हुए हैं वे ज्यादा पैसा देकर भी इसको खरीदते हैं और इसका खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। हमें अपने रकबे और आबादी के लिहाज से जो खाद मिलती है वह बहुत काफी मिलती है। इसलिये दूसरे प्रदेशों में जहां इसकी ज्यादा जरूरत होती है, वे ज्यादा कीमत देकर इसको खरीदते हैं और इसमें ब्लैक मार्केटिंग होती है। जहां हमको पता चलता है, वहां हम कार्यवाही भी करते हैं और इसको रोकने का प्रयास करते हैं इसके लिये जरूरत यह भी होगी कि केन्द्रीय सरकार के कानून को सख्त किया जाय ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में यह न जा सके।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अमोनियम खाद का तस्कर व्यापार प्रदेश के हर रीजन में संगठित रूप से चल रहा है और अगर हां, तो अब तक इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—अब संगठित रूप से चल रहा है, यह मान कर तो हम नहीं चल सकते, लेकिन यह सही है कि यह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। बात यह है कि हमारे यहां लोग अभी उतने खाद माइन्डेड नहीं हैं जितने होने चाहिये। यह कोआपरेटिव्ज की मारफत बेचा जाता है और केन यूनियन भी इसका वितरण करती हैं। यह हो सकता है कि यह यूनियनें अपने यहां से खाद उन व्यापारियों को दे देती हों, और नाम किसानों के लिख देती हों। यह एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता

है कि किसान स्वयं खरीद कर उनको देते हों। हम उसमें काफी सख्ती कर रहे हैं और कैन डिपार्टमेंट और कोआपरेटिव फेडरेशन का हमने काफी कसा है कि इस चीज को जितनी भी शक्ति से रोक सकें, रोकें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि कोआपरेटिव से जो कर्जा किसान को दिया जाता है उसमें १० फीसदी खाद जबरदस्ती उसके ऊपर आपका डिपार्टमेंट थोपता है, जिसकी वजह से किसान उसको ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचता है?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जो कोआपरेटिव का कर्जा है उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि उसका असली कारण यह है कि किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये जिन-जिन चीजों की जरूरत है वह चीजें दे दी जायं और अगर सही तरह से इसका प्रयोग हो तो कैश में रुपया कम दिया जा सके और काइंड में, जिन्स में, ज्यादा दिया जा सके, यानी जितने बीज की जरूरत है वह दिया जाय, जितनी खाद की जरूरत है वह दी जाय, जितने औजारों की जरूरत है वह दिये जायं और जितनी कीड़े मारने वाली दवाओं की जरूरत है वह दी जायं। उसके बाद और थोड़े से पये की जरूरत हो तो वह दिया जाय, यह उसका आधार है। जो कर्जा दिया जाता है उसमें खाद का एक स्थान है और जब वह यह कहते हैं कि इतने पये की जरूरत है तो जितना खाद उसको दिया जाना चाहिये वह दिया जाता है।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल यह पूछा था मंत्री जी से, दोबारा दोहराता हूं, कि क्या १० फीसदी उस कर्जे का खाद की शक्ल में किसान को दिया जाता है जिससे वह खाद को बाजार में बेचता है ज्यादा से ज्यादा कीमत पर?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने बहुत विस्तार में समझाया, मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं। १० फीसदी नहीं, कहीं ज्यादा हो सकता है जहां जैसी जरूरत हो।

श्री अध्यक्ष---वह पूछते हैं कि क्या खाद किसान को जबरन दिया जाता है?

श्री मोहनलाल गौतम---जब वह मांगते हैं कि इतने क्राप लोन की, इतने बीज और इतने फर्टिलाइजर की जरूरत है तो अगर फर्टिलाइजर होगा वह तो दिया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार जो जांच करा रही है उसके पूरे हो जाने पर उसकी रिपोर्ट सदन को देगी?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा देंगे तो....

श्री अध्यक्ष---वह तो आपकी मरजी के ऊपर है।

श्री मोहनलाल गौतम---वह कोई छुपी चीज नहीं है। अगर आप आज्ञा देंगे तो जरूर पेश करूंगा और जो-जो कार्यवाही होगी वह भी।

श्री अध्यक्ष---यह आपकी मरजी के ऊपर है। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा देंगे या सदन देगा तो मैं जरूर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं कुछ आज्ञा नहीं देता, आप मंत्री की हैसियत से जो सूचना देना चाहें वह दे सकते हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक मात्रा में कितनी खाद दी गयी और खाद का काश्तकार द्वारा बेचना किसी कानून के द्वारा वि द्ध है या नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जहां तक गन्ने की योजना का सवाल है एक एकड़ के लिये १२० पौंड से लेकर १५० पौंड तक नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो केन यूनियन द्वारा एक एकड़ पर अलग-अलग क्षेत्र समितियां हैं वह ५० रुपये से १०० रुपये तक प्रति एकड़ पर खाद देती है जोकि एक बोरी से ढाई बोरी तक की खाद होती है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---श्रीमान् जी, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न कीजिये।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं पूछ ही रहा हूं। मेरे जिले में अगर गन्ने के संबंध में बीज लेना चाहता है कोई तो उससे कहा जाता है कि खाद लीजिये। कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा लेने जाता है तो जबरदस्ती खाद दी जाती है। मैंने डी० एम० को और आपको भी लिखा। अगर कोई बीज लेने जाता है गेहूं, चना तो भी खाद जबरदस्ती दी जाती है, १०० रुपये के बीज पर ७५ रुपये की खाद दी जाती है।

श्री अध्यक्ष---आप सूचना मंत्री जी को भेज दीजियेगा।

श्री गौरीशंकर राय---मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि जो कर्जे दिये जाते हैं उनमें कुछ परसेंटेज खाद की शक्ल में लेना जरूरी होता है तो जो मजबूरन अधिक खाद मिल जाती है उसी खाद को किसान अधिक दाम पर बाजार में बेचता है, इसकी उनको जानकारी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जितनी खाद की जरूरत हमको अपने प्रदेश में है उससे हमको बहुत कम मिल रही है। यही अवस्था सारे देश की है। इसलिये हमने जिस किसान को जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती खाद देने की व्यवस्था नहीं की है।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय नवल किशोर जी और मेरे प्रश्न का क्या यही उत्तर है, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष---जी हां। आपको उत्तर तो मिल गया। इसका उत्तर जो उन्होंने दिया है वह ठीक है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो जांच वह करा रहे हैं उसके सिलसिले में जो वितरण की तीनों एजेंसियां हैं उन तीनों से कोई स्मगलिंग के लिये नहीं दे रही है, इसकी जांच करावेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जैसा उपमंत्री जी ने कहा कि कृषि विभाग तो सिर्फ एलाट कर देता है। वितरण की ऐजेंसी प्रांविशियल कोआपरेटिव फेडरेशन या केन फेडरेशन है और जांच के माने यही है कि दोनों की जांच होगी क्योंकि यही जब एजेंसियां हैं तो इन्होंने या तो दिया नहीं और किसानों ने वहां ट्रांसफर किया और या किसानों को दिया और किसानों ने बेचा। तो जांच करा लेना बेकार होगा अगर इसका पता न चले कि क्यों दिया जा रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि गतवर्ष जो खाद का तस्कर व्यापार हुआ था उसमें प्रांतीय सरकार ने बम्बई सरकार को

कोई पत्र लिखा था कि पूना और बोरली में खाद जा रहा है और उसको पकड़ने की व्यवस्था करें और उन्होंने उस पर अपनी असमर्थता प्रकट की थी और कहा कि कंसाइनी और कंसाइनर का नाम ही नहीं है कैसे पकड़ा जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम--एक चीज तो मेरे पास ललौमपुर सीरी की है। उसमें से पकड़ा भी गया था लेकिन यह सही है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको खाद की ज्यादा जरूरत है और वह पकड़ने के लिये तैयार नहीं हैं बल्कि स्वागत करते हैं यदि उनके यहां खाद आवे। पर अभी कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में जब कुछ प्रदेशों ने यह कहा कि इसकी रुकावट हो तो कुछ मंत्रियों ने यह भी कहा कि इसकी रुकावट न करें, जहां जरूरत होगी वहां अपने आप जावेगा।

श्री अध्यक्ष--अब यह चर्चा समाप्त की जाती है। घंटों इस पर बहस नहीं होगी।

एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। भुवाली एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये १ सदस्य के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की परीक्षा नियत समय पर की गयी और वे ठीक पाये गये। नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय १३ सितम्बर, १९६० के सायंकाल ५ बजे तक। यदि उस समय तक अतिरिक्त नाम वापस नहीं किये गये तो मतदान पूर्व-स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक १६ सितम्बर, १९६० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा। नाम ये हैं:--

१--श्री राम दुलारे मिश्र,
२--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय,
३--श्री मुरलीधर,
४--श्री मुरलीधर कुरील,
५--श्री चिरंजीलाल जाटव,
६--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला,
७--श्री बुलाकी राम,
८--श्री शिवप्रसाद नागर।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--दूसरी सूचना सदन के प्रोग्राम के बारे में कल जो मैंने बातचीत की थी यहां पर तो माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने यह कहा था कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनके लिये समय निश्चित हो चुका है कार्य मंत्रणा समिति से। उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन करके जो प्रोग्राम रखा है और जिस क्रम से वह कार्य लिया जायगा, वह इस तरह से है। ८ सितम्बर को यूरक अनुदान पर विचार होगा। ९ सितम्बर को वित्तीय वर्ष १९५६-५७ की अतिरिक्त व्यय की मांगों पर मतदान होगा। १० को बाढ़ से संबंधित परिस्थिति पर विवाद होगा। ११ को इतवार है उस रोज कुछ नहीं होगा। १२,१३ और १४ को यह बिल जो अभी प्रस्तुत है क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद विधेयक इसी पर विचार होगा। १४ को इंटरमीडियेट एजूकेशन रेगुलेशन्स पर जो अमेंडमेंट्स प्राप्त हों उसके कंसीडरेशन के लिये दो घंटे का समय दिया जायगा। उस दिन चार बजे तक तो यह बिल रहेगा उसके बाद दो घंटे यह चलेगा इसलिये एक घंटे का समय उस दिन बढ़ाना पड़ेगा। १५ तारीख को सेल्स टैक्स लिया जायगा। इसके लिये कार्य मंत्रणा समिति ने एक दिन दिया है। उस दिन

[श्री अध्यक्ष]

वह पूरा होगा। १६,१७ और १९ (१८ को इतवार होगा) को तृतीय पंचवर्षीय योजना (प्रादेशिक) पर विचार होगा। २० तारीख को सेल्स मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल पर विवाद होगा। इसके लिये कार्य मंत्रणा समिति ने एक रोज दिया है। २१ तारीख को कंसोडरेशन एंड पासिंग आफ दि लैंड लाज बिल-अगर वह सदन में उपस्थित हो जायगा-लिया जायगा। २२ और २३ तारीख को असरकारी दिन होंगे। इसके बाद, जैसा कि अभी तक विचार है, हम उठ जायेंगे।

१७ तारीख को जो तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस जारी रहेगी १६ से शुरू होकर तो १७ को तो शनिवार है, अगर सभी लोग मंजूर करते होंगे तो उस दिन वह बहस जारी रहेगी।

श्री सदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब १७ और १८ तारीख को कोआपरेटिव सेमिनार कर रहे हैं तो फिर उसमें हम लोग भाग नहीं ले पायेंगे। जहां तक शनिवार की बात है उसके लिये तो एतराज है ही और फिर सेमिनार भी है इसलिये अगर इसको खते हुये इसमें संशोधन कर लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम आया है वह नेता सदन ने भी तय किया और मैं समझता हूं कि आचार्य जी ने और पार्टियों के नेताओं से भी बातचीत करके तय किया। मैं अभी इसपर शनिवार के लिये राय नहीं लेता हूं, इस पर कल भी राय ली जा सकती है, इसपर पुनर्विचार करके अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसकी सूचना आचार्य जी मुझको दे देंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक जानकारी करनी है। अभी आपने फर्माया कि यह जो जिला परिषद बिल है यह १२,१३ और १४ को चलेगा। पहले इसके लिये जो टाइम का एलाटमेंट हुआ था उसके हिसाब से ८ दिन दिये गये थे क्लाज वाइज डिस्कशन के लिये और दो दिन जनरल डिबेट के लिये। तो उस हिसाब से अभी चार दिन बाकी रहते हैं। यह एक दिन कैसे कम हो गया, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष--कोई दिन कम नहीं हुआ, वह १४ को ही पूरा होता है। ९ तारीख को भी विधेयक पर विवाद है जिसे आपने गिना नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, ५ घंटे का एक दिन माना जायगा या जो भी समय बचेगा उसका एक दिन मान लिया जायगा?

श्री अध्यक्ष--इस विधेयक में घंटे के हिसाब से नहीं है, दिन के ही हिसाब से समय निश्चित है कुछ बिल्स हैं जिनमें घंटे के हिसाब से रखा गया है।

श्री उग्रसेन--तब तो श्रीमन्, जिला परिषद् बिल में नुकसान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--अभी लंच टाइम नहीं दिया जा रहा है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पितृ-विसर्जन की छुट्टी नहीं होगी?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। छुट्टी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। ९ तारीख को ५६-५७ के अतिरिक्त अनुदान होंगे। उसके बाद बताया गया कि जिला परिषद् विधेयक होगा। तो कौन सी बात मानी जाय?

श्री अध्यक्ष--इस विधेयक में घंटे के हिसाब से नहीं है, दिन के ही हिसाब से समय निश्चित है कुछ बिल्स हैं जिनमें घंटे के हिसाब से रखा गया है।

श्री उग्रसेन--तब तो श्रीमन्, जिला परिषद् बिल में नुकसान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--अभी लंच टाइम नहीं दिया जा रहा है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पितृ-विसर्जन की छुट्टी नहीं होगी?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। छुट्टी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। ९ तारीख को ५६-५७ के अतिरिक्त अनुदान होंगे। उसके बाद बताया गया कि जिला परिषद् विधेयक होगा। तो कौन सी बात मानी जाय?

श्री अध्यक्ष---प्रतिरिक्त अनुदान में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक डेढ़ घंटा ही लगेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय पालीवाल जी से मेरी बातें हुई। मेरा विचार है कि दोनों दिन साधारण विवाद रहे और कल को खंडशः हो जाय। यह चार करोड़ का बहुत महत्वपूर्ण बजट है।

श्री अध्यक्ष-----दोनों एक साथ नहीं हो सकते।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट----इसमें चार करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। टैक्सेशन भी है।

श्री अध्यक्ष---बातचीत के बाद ही वह तय हुआ है कि आज यह लिया जायगा और कल को वह लिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---कम से कम जनसंघ की तरफ से ऐसी बातचीत नहीं हुई। इस तरह से बजट के लिये टाइम करटेल करना ठीक नहीं है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---इसके विषय में चर्चा हो ही गयी। जो कार्यक्रम तय हुआ था वह शायद बिष्ट जी को स्मरण न हो। उसमें ऐसा था कि आज सप्लीमेंटरी बजट होगा और कल एप्रोप्रियेशन बिल हो जायगा। परम्परा के अनुसार वह एक घंटा या इससे कम में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से वह हो जायगा। यह कोई नयी चीज नहीं है। आज सप्लीमेंटरी के लिये पूरा दिन है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अध्यक्ष महोदय, अभी तो यह बताया गया था कि एग्रीड चीज थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि परम्परानुसार यह किया जा रहा है। माननीय मंत्रीजी हाफ ट्रुथ का सहारा लेते हैं।

आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ टैक्सेशन बिल हैं। एक खाद्यान्न पर और दूसरा सेल्स टैक्स बिल, उन पर टाइम लिमिट करना ठीक न होगा।

श्री अध्यक्ष---आपने तो सदन के प्रस्ताव का भी विरोध करना शुरू कर दिया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---ऐसा प्रस्ताव तो हुआ नहीं।

१४ अप्रैल, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १---२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की १४ अप्रैल, १९६० की बैठक में श्री गणेशचन्द्र काछी द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १---२ के अन्तर्गत अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था---

"क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय तकावी की वसूली बन्द है या हो रही है। यदि हो रही है तो क्या मंत्री जी जांच के द्वारा उसको बन्द करने की कृपा करेंगे?"

इसका उस दिन जो उत्तर दिया गया था वह सही नहीं था। शुद्ध उत्तर निम्नप्रकार से है।

"मैनपुरी जिले में गत खरीफ १३६७ फसली में मालगुजारी की कोई छूट नहीं दी गयी, इसलिये तकावी में भी कोई छूट या मुल्तवी नहीं की गयी। अतःरबी १३६७ फसली में वसूली बन्द कराने का प्रश्न नहीं उठता।"

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

अतः आप से निवेदन है कि १४ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही के विवरणमें तदनुसार संशोधन कराने की कृपा करें ।

(मूल प्रश्नोत्तर तथा अनुपूरक प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८१ पर)

अनुपूरक अनुदानों को प्राक्कलन समिति के समक्ष भेजने का प्रस्ताव

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आपकी आज्ञा से मैं एक प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं । उसको मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं—

"प्रक्रिया नियमावली के नियम २३२ के अनुसार उत्तर प्रदेशीय शासन के द्वारा प्रस्तुत १९६०–६१ के अनुपूरक अनुदानों को प्राक्कलनों की परीक्षा हेतु प्राक्कलन समिति को निर्दिष्ट किये जाने के लिये प्रस्ताव करता हूं ।"

अब नियम २३२ इस प्रकार है—

"ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिये, जो समिति को ठीक प्रतीत हों या उसे सदन द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायं, एक प्राक्कलन समिति होगी ।"

स्वरूप से प्राक्कलनों की परीक्षा करने की इस प्रकार की व्यवस्था है, यह कोई नयी बात नहीं है । हाउस आफ कामन्स की यह प्रथा है, और उसका कंवेंशन है, उसके अनुसार ऐसा करना उचित माना गया है । मैं उस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ६८१ की कुछ लाइनें पढ़ देता हूं—

"The reference of the estimates to the consideration of a select committee has become a regular feature of Commons procedure since 1912, with the exception of the war years 1914—20 and 1939—45. In these exceptional periods the examination of war expenditure was entrusted to Select Committees on National Expenditure."

यानी प्राक्कलनों को एक सेलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट किया जाना यह हाउस आफ कामन्स की सन् १९१२ से करीब-करीब आम बात हो गयी है । सिवा १९१४ से १९२० तथा १९३९ से १९४५ के पीरियड को छोड़ कर जब कि युद्धकाल था ।

तो इस दौरान में भी सेलेक्ट कमेटी राष्ट्रीय खर्चे की परीक्षा करती थी, उसके सुपुर्द कर दिया जाता था । तो इस प्रकार हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं को आधार मान कर ही हम अपने इस सदन की कार्यवाहियों का संचालन करते हैं और उसके अनुकूल ही यह परम्परा भी पड़ती है । यहां तो ऐसी परम्परा पड़ी हुई है कि तमाम प्राक्कलनों की पूर्व परीक्षा हुये बगैर ही उन्हें सदन में प्रस्तुत किया जाता है और हम बजट का पैसा पास भी कर देते हैं । इसमें एक निश्चितता होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि यह उचित व्यवस्था होगी यदि इस समय हम लोग इस पूरे अनुपूरक अनुदानों को जिनकी मांग की गयी है, उनके प्राक्कलनों की परीक्षा के लिये इस सदन की जो सरकारी समिति है जिसे एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, उसके सुपुर्द कर दिया जावे । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह सदन इन अनुपूरक अनुदानों की जो हमारे सामने मांग रखी गयी है, उन्हें प्राक्कलन समिति के सुपुर्द कर देगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । कुछ हमारे यहां की भी प्रथा है । यह स्पष्ट है कि हम अनुपूरक अनुदानों को प्राक्कलन समिति के सुपुर्द नहीं करते । अगर किसी विभाग का कोई डिमांड यहां पेश हो और उनको पारित भी कर दें और फिर सदन यह चाहे कि इसके जो एस्टीमेटेड एमाउन्ट हैं उनकी जांच कर ली जाय तो बाद में भी सदन उसे एस्टीमेट

कमेटी को भेज सकता है । लेकिन पूरे अनुदानों के बारे में कि वे अनुदान एस्टीमेट कमेटी में भेज दिये जायं, इस तरह की प्रथा हमारे यहां नहीं रही है। ठीक है, हाउस आफ कामन्स में इस तरह की प्रथा चली आ रही हो, वहां ऐसा होता रहा हो, लेकिन यहां यह प्रथा नहीं है। क्योंकि यह प्रथा डालने की सदन की इच्छा होती तो हम नियमों में उसका जिक्र कर देते। हम लोगों के नियम तो बाद में बने हैं, पारसाल ही बने। तो जानबूझ कर हमने अपने यहां इस तरह की प्रथा नहीं रखी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं। यह वैध नहीं है, अवैध है।

१९६०-६१ के प्रथम पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—अब इस पर आम बहस होगी। श्री नारायणदत्त तिवारी जी, इसे आप शुरू कर रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय गेंदासिंह शुरू कर रहे हैं।

***श्री गेंदासिंह** (जिला बेबरिया)—श्रीमन्, जो अनुपूरक बजट आज आपके सामने प्रस्तुत है उस पर बहुत कानूनी सवालों की पेचीदगियों में मैं नहीं जा सकता हूं, दूसरे महानुभाव उन पेचीदगियों में जायेंगे, लेकिन मैं मोटी-मोटी बातें कुछ अपनी निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अनुपूरक अनुदान उन मदों के लिये किया जाता है यह बड़ी मोटी बात है कि जिन मदों के सम्बन्ध में मुख्य बजट के वक्त यह समझ में बात न आई हो कि ऐसी जरूरत आ जायगी, उनके लिये खास तौर से अनुपूरक मांग की सुविधा रखी गई है। लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि काफी बड़ी-बड़ी रकमें ऐसी हैं जिनकी जरूरत सिर्फ इस वार्षिक बजट के समय नहीं बल्कि उसके पहले वर्षों से ही सामने थी, लेकिन उसको मद्दे नजर नहीं रखा गया। ऐसी जरूरतें थीं जिनको सरकार ने मुख्य बजट में रखना उचित नहीं समझा। जैसे ५७ लाख २० हजार रुपये की रकम कानपुर के नगर में जमीन प्राप्त करने के लिये रखी गई है। जो बजट साहित्य हमें मिला है उसे अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि यह मामला वर्षों से पेश है और भारत सरकार से तो बात-चीत १९५९ में हो चुकी थी। सन् ५९-६० में बात हो चुकी थी लेकिन ६०-६१ के मुख्य बजट में उसके लिये गुंजायश नहीं की गई। उस वक्त उस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता था। मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं वह यह कि इस बात को कहना कि ऐसी मदों को यहां रखा गया है कि जिनको हम मुख्य बजट में नहीं रख सकते थे और उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, गलत है।

छोटी-छोटी रकमों में भी यही बात की गई है, जिसके बारे में मैं आगे कहूंगा। मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट में बहुत पालिसी की बात करना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है इसलिये मैं अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं माल मंत्री जी को इस बजट के सम्बन्ध में बोलते हुये भूल नहीं सकता क्योंकि वह इस सदन के उपनेता भी हैं। बहुत थोड़ी रकम उन्होंने मांगी है, लेकिन उसका महत्व देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उनको बख्श दिया जाय। भू-राजस्व में उन्होंने एक छोटी सी रकम, १०० रुपये की प्रतीक मांग की है। क्यों की है? इसलिये कि चकबंदी वाले जो गांव हैं उनमें ऐसे गांवों को प्रोत्साहन देंगे जो गांव चकबंदी के काम में सबसे ज्यादा सहयोग देंगे। सहयोग किसानों का चाहिये, इस बात का ज्ञान सरकार को जल्दी नहीं हुआ, काफी दिन बाद हुआ। श्रीमन्, मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर गांवों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो एक काम कर दें और वह यह है कि जो इंतखाब काश्तकारों को मिलता है उसका कंट्रोल रेट ८ आना और ४ आना है, ४ आना २५ नम्बर खसरे का और ८ आना खतौनी का, हमारा यह आफर है कि १ रुपये में दिलवा दें, तो हम उनको माला पहना दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

श्रीमन्, उनका लेखपाल उनका बड़ा प्यारा नौकर है। अभी मैं अपने हल्के में गया तो वहां मालूम हुआ कि १५ रुपये से कम किसी इंतखाब के लिये नहीं लेता है। कोई ५० रुपये और १०० रुपये की बात भी कहते हैं। इसको हम श्रीमन्, भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे क्योंकि यह आम बात हो गई है। चकबंदी में तो जो कर्मचारी हैं वह यह समझ कर जाते हैं कि हम साल भर भी काम करेंगे तो जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसका नाम भ्रष्टाचार नहीं लेता लेकिन यह जरूरी समझता हूं कि जहां सरकार किसानों का समर्थन और सहयोग की आवश्यकता समझती है वहां इन बातों को भी ध्यान में रखे। वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं आखिर यह चकबंदी का काम विकास का है तो क्या इसकी कीमत ली जानी चाहिये? जो सरकार की मालगुजारी पहले थी उससे कई गुनी बढ़ गई है। किसान को २५,२६ करोड़ रुपया मालगुजारी देनी पड़ती है। उसके बदले में पहले सैटिलमेंट हुआ करता था, कागजात की दुरुस्ती सरकार की जिम्मेदारी थी उसके लिये किसान से एक पैसा नहीं लिया जाता था। आज चकबंदी होती है तो सारा खर्चा किसान से लिया जाता है कुर्की से। मैं पूछना चाहता हूं कि चकबंदी के काम में कागज दुरुस्ती का काम भी होता है और वह चकबंदी का आधा काम है तो सरकार यह बोझ क्यों किसानों पर डालती है। आधा खर्चा तो सरकार के ऊपर उसके कागज दुरुस्ती का जाना चाहिये। चकबंदी का खर्चा किस पर जाय इस पर दो रायें हो सकती हैं। मैं चाहता हूं सुल्तान आलम खां जी जरा गौर करें चकबंदी का काम अपने जिम्मे लें और कागज दुरुस्ती का काम रेवेन्यू विभाग करे और रेवेन्यू विभाग इस काम को करके विकास विभाग को चकबंदी का काम सुपुर्द कर दे।

(इस समय १२ बज कर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

किसान के ऊपर यह बोझ न पड़े। चकबंदी का किसान पर बोझ डालना मुनासिब नहीं है।

दूसरी डिमांड जो हमारे सामने है वह वन की है और माननीय वित्त मंत्री जी से ताल्लुक रखती है। मैं एक बात उनसे जानना चाहता हूं। उन्होंने जिस समय १,१०,००० रुपये की रकम पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये मांग की थी उस समय समझ में नहीं आया था कि यह बड़ा भारी काम है। अब उसके लिये इन्होंने ७,१०,००० रुपये की मांग की है। जंगल का मामला है, ठीक है, मैं उसके झगड़े में नहीं पड़ता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जंगल पर बहुत बहस हो चुकी है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर लीसा का जो व्यापार पहाड़ में है उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं? और गड़बड़ यह है कि सरकारी फैक्ट्रियों को देने के अलावा जो दूसरे लोगों को कुछ निजी लोगों को लीसा दिया जाता है उसके देने का क्या हिसाब-किताब है? कोआपरेटिव जो हैं उनको नहीं दिया जाता है लेकिन कुछ निजी लोगों को दे दिया गया और बहुत सस्ती कीमत पर लीसा दिया जाता है और उसी लीसे को वह दूसरी जगह ले जाकर महंगी कीमत पर बेचते हैं। लेकिन अगर उसी लीसे को कोई कोआपरेटिव संगठन लेना चाहता है और वाजिब दाम देना चाहता है तो जंगल विभाग नहीं देता। यह बड़ी बदनामी की बात है। सरकार को इस बात को समझना चाहिये कि आखिर क्या बात है और क्यों सरकार ऐसा करती है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिये कि क्या वजह है कि इनडिविजुअल लोगों को सस्ते दाम पर दिया जाय और कोआपरेटिव संगठन को न दिया जाय।

एक बात की बड़ी खुशी है कि सरकार ने आज सबसे पहले यह मंजूर किया कि कम तनख्वाह पाने वाले आदमियों को जरा ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिये। शब्द यह हैं "पदोन्नति के अवसर बहुत ही सीमित होने के कारण इस सेवा के सदस्यों में बराबर निराशा की भावना बनी रहती है। सरकार ने इस विषय में यथोचित रूप से विचार किया है और इस सेवा के सदस्यों के लिये पदोन्नति के और प्रेरक अवसरों की व्यवस्था करने तथा उन्हें अपनी कार्य क्षमता और सत्यनिष्ठता के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य

से १ अक्टूबर, १९६० से अवर निबन्धकों (सब-रजिस्ट्रार) की सेवा में बीस पदों की एक अवर श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) का ३५०-२०-४५० रु० के वेतन-क्रम में सृजन करने का निश्चय किया गया है ।"

यह बात तो मैं मानता हूं कि अगर कम तनख्वाह हो और पदोन्नति का अवसर न हो तो वैसी हालत में सत्यनिष्ठता और कार्यक्षमता में कमी होगी । यह सरकार ने सबसे पहली मर्तबा अबकी स्वीकार किया । लेकिन क्या यह बात केवल सब-रजिस्ट्रार के लिये सोची जाती है, उनसे नीचे वालों के लिये क्यों नहीं सोची जाती । हम ऊपर वालों के विरोधी नहीं हैं लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे वालों पर भी ध्यान दिया जाय । हमको कुछ ऐसा लगता है कि चपरासी एक ऐसी कौम है जिनको किसी तरक्की की जरूरत नहीं मालूम होती और न उसकी सत्यनिष्ठा और कार्य-क्षमता में कोई फर्क ही आता है चाहे तनख्वाह उसे भले ही कम मिले । मैं समझता हूं सरकार को इस पर विचार करना चाहिये ।

श्रीमन्, सिंचाई की कुछ व्यवस्था हुई है । बड़े अफसोस की बात है कि १ करोड़ ५३ लाख रुपया छोटी योजनाओं में खर्च करने का सरकार का आयोजन था और सरकार ने सोचा कि इस साल उस पर कुछ रुपया खर्च करेंगे । मगर केवल ९ लाख रुपये उस काम के लिये मांगे गये हैं । सरकार समझती है कि इसमें १ करोड़ ५३ लाख रुपये का समावेश हो जायगा । और वह भी मुख्य बजट में नहीं बल्कि सप्लीमेंटरी बजट में आया । मैं समझता हूं कि यह उदासीनता है असली कामों के प्रति और सिंचाई की छोटी योजनाओं के प्रति । कृषि पर आधारित जो हमारी सारी एकोनामी है उसमें सिंचाई की छोटी योजनाओं की इस कदर उपेक्षा करना मैं समझता हूं बहुत गैरवाजिब है ।

इसी सिलसिले में मैं यह भी कह दूं कि वाटर लागिंग और बाढ़ से बचाने के लिये एक बड़ी स्कीम की जरूरत है । पश्चिमी जिलों में बाढ़ से लाखों रुपये की फसल बरबाद हो गयी है । एक करोड़ रुपये की योजना इस काम के लिये आज से कई वर्ष पहले बनायी गयी थी, लेकिन कुछ भी रुपया सरकार ने उस पर खर्च किया है, कम से कम इस सदन को मालूम नहीं है । बाढ़ के दिन यह प्रश्न आने वाला है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस सप्लीमेंटरी बजट में वह कौन सी रकम है जो पश्चिमी जिलों में वाटरलागिंग के प्रश्न को हल करेगी जिसके लिये पहले से योजना बनी हुई है और भारत सरकार ने भी रुपया देना स्वीकार कर लिया है । मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने ५७ करोड़ की योजना मंजूर की है वाटरलागिंग की समस्या को हल करने के लिये । बाढ़ सम्बन्धी जानकारी जब बाढ़ पर बहस होगी तो सरकार को ज्यादा होगी, लेकिन इन आपत्तियों से हम कैसे बचेंगे इसके लिये सप्लीमेंटरी बजट में कोई गुंजायश नहीं की गयी है । अभी और सप्लीमेंटरी बजट आने वाला है इसलिये मैंने चर्चा कर दी कि कम से कम थोड़ा तो सरकार इधर सोचे । मुझे बड़ा अफसोस है कि इस वक्त जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी माननीय राजबहादुर के अलावा ऐसा नहीं है जिसको कुछ इस सम्बन्ध में सुना सकूं । वित्त मंत्री जी जरूर हैं । जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट वाटर कूलर से शुरू होता है । वाटर कूलर जरूर चाहिये आपके जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग को । श्रीमन्, हमारे कृषि मंत्री जी विदेशों से घूमकर आ रहे हैं तो हम सोचते थे कि खेती-बारी में, उद्योग-धंधों में नई बातें जरूर आयेंगी और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से उसका सीधा ताल्लुक होगा । लेकिन, श्रीमन्, मैंने देखा कि उसमें वाटर कूलर से शुरुआत हुई है और फिर देखिये कि सब से बड़ी रकम किधर गई है । हमारा सूबा खतिहर सूबा है इसमें २५,२६ हजार की रकम कृषि के लिये रखी है और कोआपरेटिव का तो नाम भी नहीं है । शायद मंत्री जी सोचते हैं कि न जाने क्या बात हो जायगी ।

श्रीमन्, आगे उत्तराखंड डिवीजन का निर्माण हुआ है । इसके लिये मैं खुशी जाहिर करना चाहता हूं । यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिये था । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाया नहीं है । उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर जिस समय चीनी लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे और मैं समझता हूं कि और किसी को जानकारी हो या न हो लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी थी और हमारे साथी प्रताप सिंह जो यहां

[श्री गौड़ सिंह]

बैठे हुये हैं, वह और हमारे नौजवान साथी चन्द्रशेखर सिंह जी जब उत्तराखंड से लौटे तो उन्होंने कहा कि यह हरकतें हो रही हैं। मैंने कहा कि अखबारों में बयान देने की जरूरत नहीं है। चीफ सिक्रेटर तथा चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखो और उनकी सूचना में यह बात ले आओ। जब मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे पूरी जानकारी है और उसकी रक्षा का हम प्रबंध कर रहे हैं।

अब, श्रीमन्, हमारी जमीन तक बिगड़ गई उसके लिये यह कहेंगे कि जमीन उपजाऊ नहीं थी। लेकिन जो आदमी वहां मार दिये गये उसके लिये क्या कहेंगे। वह तो देशभक्त थे। हमारी सरकार आज भी चेते और मैं प्रदेश की सरकार को वार्न करना चाहता हूं कि यह उत्तराखंड का ही मामला नहीं है बल्कि समूचे देश का मामला है। हम जानते हैं कि चीन कभी भी तलवार के बल पर हिन्दुस्तान में पनाह नहीं पा सकता है बल्कि देश की तथा उत्तराखंड की गरीबी के कारण पा सकता है। उत्तराखंड के जो निम्नश्रेणी के आदमी हैं उन्हें अहसास होना चाहिये कि हिन्दुस्तान में रहकर उन्हें इज्जत के साथ रोटी मिल सकती है, अगर उनको यह अहसास नहीं रहेगा तो मैं समझता हूं कि महज एक जिले को बना देने से हिफाजत नहीं कर सकते हैं। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये, और अगर गया तो हमारी और आपकी आबरू, इज्जत और प्रतिष्ठा बनी रहेगी।

श्रीमन्, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से सारे प्रदेश का बड़ा भारी सम्बन्ध है। हमारे प्रदेश की जेलों में यह प्रबंध किया जा रहा है कि जेलों में ही कम्बल बनाये जायेंगे और पुराने कम्बलों को बदल दिया जायगा। एक बात और लिखी है कि तीन हजार जो हर साल हटा दिये जाते थे वह नहीं हटाये जायेंगे। तीन हजार कम्बल जो वहां दिये जाते थे वह बहुत रद्दी होते थे। अब सरकार को ज्ञान हुआ है कि जेलों में कम्बलों को बनाया जाय और खराब कम्बलों को न दें। आयन्दा जो कुछ भी होने वाला हो, लेकिन एक तो बहुत देर में अहसास हुआ, दूसरे यह भी देखा जाय कि कैदियों की सुविधा काटने के लिये इसमें आयोजन है, उसे कभी इस हाउस को स्वीकार नहीं करना चाहिये और वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिये कि इस तरह से न सोचा जाय।

एक बात की इस हाउस में दो दिन पहले बड़ी चर्चा हुई कि २७ महीने कोई आदमी जेलखाने में बिना किसी जुर्म के रोक रखा गया। सरकार को उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मैं सप्लीमेंटरी बजट में इस बात को कहते हुये फिर दोहराना चाहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को बताया जाना चाहिये कि आखिर उस आदमी को २७ महीने तक क्यों रोका गया। और लोग भी रोके जाते हों तो सरकार क्या बन्दोबस्त करने जा रही है कि आगे लोग रोके न जा सकें ?

शिक्षा के क्षेत्र में मेरा कोई अधिकार नहीं है लेकिन एक बात जरूर कह देता हूं कि भारत सरकार ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर रुपया हम देंगे लेकिन राज्य सरकार को काम जल्दी चलाना चाहिये। यह बात दो तीन वर्ष से विचाराधीन थी। इस वक्त सरकार आयी है यह कहने के लिये कि अब हम अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर गांवों में बनाने के लिये पैसा देने जा रहे हैं। बड़ी चालाकी से कुछ लफ्ज लिखे गये हैं। अध्यापकों को पुस्तक सहायता देने के लिये १ लाख रुपये की धनराशि शिक्षा निदेशक के अधिकार में रख दी गयी थी। कुछ ऐसी ही रकम लिखी गयी है। छात्राओं को छात्र-वेतन देने के लिये आपने रकम रख दी थी। अगर रख दिया गया था तो फिर इसमें क्यों रखा गया ? यह तो बताना चाहिये कि खर्च हुआ या नहीं। अगर खर्च नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब आर्टिकल ४५ का हवाला दिया गया, अब उसका ध्यान आया कि ६ से १४ वर्ष की अवस्था वाले बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये। संविधान में ऐसी व्यवस्था है।

मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान को जिस तरह से रौंदा जा रहा है और स्टेट गवर्नमेन्ट अपनी शान समझती है कि भारतीय संविधान को जितना रौंदा जायगा उतना ही भारत भर में कहा जायगा कि बड़ा राज्य है। मैं समझता हूं कि उस पर अच्छी चर्चा हो सकती है

कि भारतीय संविधान को सरकार किस तरह से रौंदती है। इस सिलसिले में मैं कह दूं कि १९६० तक यह कहा गया था कि जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव अलग हो जायगी। क्या हुआ ? वित्त मंत्री जो बड़े साफगो हैं। एक मर्तबा हमने चर्चा की कि क्यों नहीं अलग कर देते ? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों को दुरुस्त करने के लिये नहीं कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि क्या आप कुछ इशारा करते हैं, तो उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि तुम्हारे जैसे लोग जो रोज जेल जाते हैं उनको ठीक करने के लिये ऐसा करते हैं। हमारे जैसे लोगों को दुरुस्त करने के लिये अपने सिर पर क्यों इतना पाप रखते हैं उसको अलग करें। उसी तरह से शिक्षा का हाल है। शिक्षा पर और लोग चर्चा करेंगे। लड़कियों का पचास फीसदी शिक्षा का मामला है। वित्त मंत्री जी एक तरफ नेता हैं और मुझे खुशी है कि बेगम साहिबा भी दूसरी तरफ नेता हैं। पचास फीसदी नेता सैयद साहब हैं और सवा पचास फीसदी नेता बेगम साहिबा हैं। तो मैं समझता हूं कि कम से कम वर्तमान वित्त मंत्री के जमाने में, उस सवा पचास फीसदी का यह हाल नहीं होना चाहिये। किसी वक्त हम जायंगे वहां और जा कर कहेंगे कि वित्त मंत्री साहब का यह कहना है। यहां जवाब दें या न दें वहां हम जवाब लेंगे।

चिकित्सा और जनस्वास्थ्य में भी कुछ रकम रखी गयी है। डाक्टर चिकित्सालय में नहीं है, अस्पताल चल रहा है बिना डाक्टर के। मेडिकल कालेज की मांग करते हैं मोहिले साहब कि इलाहाबाद में कर दीजिये, या गोरखपुर के लिये मांग आती है तो मेडिकल कालेज के लिये पैसा नहीं है और आप समझिये कि जो डाक्टर आज हैं वह कहते हैं कि हम गांव में रहेंगे नहीं। दो सौ या तीन सौ रु० उसका वेतन है और ऐसे डिपार्टमेन्ट जिनमें कि रिश्वत लेने की काफी गुंजायश है वहां उनसे ज्यादा वेतन है। तो कौन डाक्टर जायगा ? हां, यह बात जरूर है कि उसको प्रैक्टिस करने की इजाजत है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सोचना चाहिये। और जनस्वास्थ्य के लिये क्या कहा जाय ? जबकि बरेली और मेरठ में आज गैस्ट्रो-एन्ट्राइटिस से इतनी मौतें हो रही हों तो यह एक बहुत चिंता की बात है। यह कोई मामूली बात नहीं है श्रीमन्, और मैंने तो बहुत जगह सुना, माननीय राजस्व मंत्री ने जो आपने उत्तर में कहा कि लोग अपने भाग्य से जीते हैं और अपने भाग्य से मरते हैं तो अगर अपने भाग्य से जीना और अपने भाग्य से मरना है तो फिर आप क ह के लिये हैं। क्यों लगान वसूल करने के लिये आप डंडे लेकर और वारन्ट लेकर खड़े हो जाते हैं। यह अगर आप सिखायेंगे तो अराजकता बढ़ेगी और मैं यह समझता हूं कि जब कभी भी सरकार कोई ऐसा जवाब दे तो उसका जवाब उधर से क्या होना चाहिये ? सारी जनता उसका क्या जवाब देगी ? श्रीमन्, वह बड़ा खतरनाक जवाब होगा और यह खतरनाक जवाब बड़ी नाबाजिब बात है।

विकास योजनाओं के ऊपर इस वक्त ज्यादा क्या कहा जाय क्योंकि आगे जो प्लानिंग की बहस होने वाली है उस वक्त हम ज्यादा बात उस पर कहेंगे। इसके बाद इसमें कुछ ऐसी मदें भी रखी गई हैं जिनका ऊपर नाम पढ़ा जाय तो कुछ और मद मिलेगी और नीचे देखा जाय तो कुछ और ही मिलेगी। एक मद है बस सेवाओं और कृषि अभियंत्रण आदि की। उस रकम को देखा जाय तो खेती सम्बन्धी उसमें कोई चर्चा नहीं है।

अब खेती का एक अनुदान संख्या २३ आता है। उसमें बड़ी मेहनत कृषि विभाग ने की और खास तौर से रूस की तरफ से सीख-सिखाकर माननीय मंत्री जी आये तो उन्होंने जो इस सप्लीमेंटरी बजट में सप्लीमेंट किया अपनी बुद्धि से वह यह कि एक रकम इसके लिये दिखा दी कि बनारस जिले में आम की फसल की गिनती कराओ। राजबिहारी जी हंस रहे हैं। हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि बनारस जिले में आम की फसल की गिनती क्या कराई जायगी ? श्रीमन्, बाकी और किसी काम में आप देखने की कोशिश करें जहां कि खर्च करने की जरूरत है तो कहीं देखने में नहीं आयेगा। एक जगह जरूर यह देखा कि १५ हजार रुपये से एक कृषक समाज कोई बना है हमारे प्रदेश में उसको देने का आयोजन है। इस कृषक समाज के बारे में मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप जरा सुन लें यह इसमें लिखा हुआ है कि सन् १९५० में

[श्री गेंदा सिंह]

यह बना था और इसके अध्यक्ष सहकारिता मंत्री हैं और कृषि, सहकारिता, गन्ना-विकास तथा पशुपालन विभागों के कुछ पदाधिकारी उसके सदस्य हैं। यह संगठन अराजनीतिक है और सरकारी कर्मचारियों को भी इसके कार्यकलापों में भाग लेने की अनुमति है बशर्ते कि उनके सामान्य कर्त्तव्यों का पालन करने में बाधा न पड़े। श्रीमन्, यह अराजनीतिक है, नानपोलिटिकल है। नानपोलिटिकल के माने कभी-कभी बड़े बुरे हो जाते हैं। उस कृषि समाज में सहकारिता के मंत्री सभापति हैं। अब वह कितने बड़े अराजनीतिक हैं, हमारे कृषि मंत्री जी इसको हम क्या कहें, दुनिया कहती है। जिस राजनीतिक आदमी से साथ हो गया उसी से उनका काम बिगड़ गया और दूसरे वर्ष दूसरी जगह जाना पड़ा। वे अराजनीतिक हैं, नानपोलिटिकल हैं, मैं मान लेता हूं लेकिन बाकी लोग जो हैं वे सरकारी अफसर रहें। मैं समझता हूं कि हम लोग भी कृषि से सम्बन्ध रखने वाले हैं। अगर इस संस्था से हम लोगों का भी सम्बन्ध होता तो शायद हम समझते हैं कि हम इस तरह की अपनी बातें इस सदन में न कहते। श्रीमन्, आप भी खेती बाड़ी से सम्बन्ध रखने वाले हैं। इस कृषक समाज से आपका सम्बन्ध हो तो आप बतावें। हमको सन्तोष हो जायगा लेकिन आपका भी इससे सम्बन्ध नहीं है। आपका सम्बन्ध खंडसारी और गुड़ से है। आपका सम्बन्ध इस समाज से होता तो हम समझते कि ठीक है।

जहां तक पशुपालन का सम्बन्ध है उस पशुपालन की शुरुआत आपने हरजाना देने से शुरू की है। पशुपालन में हरजाना देने से क्या मतलब है इसको आप समझ सकते हैं। कोई डिग्री हो गई किसी आदमी की। मैं समझ रहा हूं कि डिग्री कैसे हुई होगी। कोई नानपोलिटिकल मामला रहा होगा इसलिये अदालत ने हरजाना दिलाया। पशुपालन का अजीब हाल है। मैं क्या बताऊं। मैं कहता हूं कि आज इस पशुपालन पर बहुत छोटी-छोटी चीजों में जाने की जरूरत है। मैं इस वक्त अगर यह कहूं कि लाखों आदमी देश में बकरी पालते हैं तो ठीक ही होगा। हमने खुद यह अनुभव किया है कि अगर बकरी का सांड जो ४०,५० रुपये में मिलता है, १०,५ हजार खरीदकर सारे प्रदेश में छोड़ दिये जायं तो जहां पर नसल बदलने का सवाल है इससे बहुत लाभ प्रदेश को हो सकता है। इटावा के सांड यदि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती के जिलों में छोड़ दिये जायं तो वे बहुत काम के साबित हो सकते हैं। एक जिले का सांड दूसरे जिले में अगर छोड़ दिया जाय तो इससे नस्ल के सुधार में काफी काम हो सकता है। परन्तु यह रिसर्च का सवाल है कि हमारे यहां का सांड भी बरेली में काम कर सकता है या नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काम में जरा अक्ल लगाने की जरूरत है और थोड़े रुपये से बड़ा काम हो सकता है।

कम्पोस्ट बनाने की प्रथा ऐसी है कि जिससे कम रुपये खर्च करने से ज्यादा आमदनी हो सकती है। हमारे देश के अन्दर छोटे-छोटे किसान हैं। अभी यहां पर जिक्र आया था कि उस खाद को दूसरे सूबे के लोग उठा ले गये। कृषि मंत्री जी ने कहा था कि दूसरे सूबे के किसान लजाते नहीं हैं। वह हमारे सूबे से उठा ले गये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूं कि मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि ऐसे काश्तकारों को खाद दिया गया है कि जिनका खाद कागज पर तो लिखा जाता है लेकिन उनके नाम के खाद के लिये वहीं पर व्यापारी बैठा हुआ है। वहीं से बोरियों की बिक्री हो जाती है। जो काश्तकार लेते हैं वह उसमें २,३ रुपया कम करके दूसरे को दे देते हैं क्योंकि उनको नकद रुपये की जरूरत पड़ती है। उसने २ रुपये का घाटा खाकर उनसे लिया और फिर वही खाद दूसरी जगह जाकर कुछ नफे से बेच दिया। अगर इसकी जानकारी कृषि डिपार्टमेन्ट को नहीं है तो मैं समझता हूं वह दिन में अन्धा है। यह इतना खुला हुआ है कि जिसको सभी जानते हैं। इन सब बातों को यदि ध्यान में रखा जाय तो हम थोड़े पैसे में अधिक काम कर सकते हैं।

मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश में कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जा रही है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूं कि हमारे देश का जो उद्योग है उसको मारने की चेष्टा की जा रही है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसी को सामने रखकर मैं बात कर रहा हूं। अब सरकार की नीति कुछ ऐसी है कि वह खंडसारी और गुड़ उद्योग की भी मदद करने जा रही है, लेकिन जो द्वितीय

पंचवर्षीय योजना में उनको करना चाहिये था उसको उन्होंने नहीं किया और अभी भी मैं कहता हूं कि उनकी वक्र दृष्टि इस तरफ है, अच्छी दृष्टि नहीं है। वह वक्र दृष्टि से उधर न देखें। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जिस प्रकार गन्ना उत्पादकों की दुर्गति हुई है और वह इसलिये कि गुड़ और खांडसारी की कीमत गिराने की कोशिश की गयी और जिसकी वजह से बेवक्त खंडसारी बंद हुई और गन्नेवालों का नुकसान हुआ, वही इस बार होने जा रहा है। गुड़ और खंडसारी वालों में जिस समय मुकाबिला हुआ उस समय सरकार ने अपना वजन मिल मालिकों की तरफ डाल दिया और नतीजा यह हुआ कि गन्ना जून तक पेरा गया। बहेड़ी की फैक्टरी तो जुलाई तक चली। नवम्बर से जुलाई तक फैक्टरी चले यह कोई वाजिब बात नहीं है और, श्रीमन्, आप बतलायें कि नवम्बर का गन्ना जुलाई तक खड़ा रहे इसमें क्या तुक है। यह नेशनल लास है। मैं किसी चीनी मिल को नुकसान पहुंचाने की गरज से ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं उनको यहां से उखाड़ना नहीं चाहता, मैं सब का भक्त हूं, किसानों का भक्त हूं, अगर सरकार का भक्त नहीं हूं तो उस के लिये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि पिछले साल ३४ करोड़ मन गन्ना पेरा गया और इस साल शायद ३८ करोड़ मन गन्ना पेरा जायगा। जिस रोज मैं प्लानिंग की मीटिंग में गया, वहां पता चला कि साढ़े पांच करोड़ मन गन्ना पिछले साल पेरा गया था और उन्होंने बतलाया कि ७ करोड़ ६० लाख मन अगले साल होगा। अब यह दो करोड़ मन कहां जायगा ? अगर यह जा सकता है तो ठीक, अन्यथा हम इसको ग्राम स्तर पर कंज्यूम करने की कोशिश करें। कोल्हू देकर खंडसारी बनवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में सरकार की ठोस पालिसी होनी चाहिये और उसे सोचना चाहिये कि वह कौन सा ऐसा उद्योग है कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं और सरकार का ध्यान उस उद्योग की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिसमें कम मेहनत में सरकार आगे आने वाले बजट में अपनी नीति निर्धारित कर सकती है। इस समय यह मानी हुई बात है कि हमारे प्रदेश के १०० में ७० आदमी खेती में लगे हुये हैं। अगर उनका रिटर्न हम थोड़ा भी बढ़ा कर देखें तो यह बात इंडस्ट्री की भी मदद करेगी और देश की इकोनामी को भी मदद करेगी और इस समय जो खेती में काम करने वाला मजदूर है उसको भी कुछ ज्यादा मिलेगा। सप्लीमेंटरी बजट को मैं वाटर कूलर बजट कहता हूं, इसका मैं यह नाम रखता हूं और वह इसलिये कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य मंत्री जी का महकमा है और वह वाटर कूलर से शुरू हुआ है। यह अगले जाड़े के लिये तो बंदोबस्त कर रहा है लेकिन जो ठीक आज ही इसे करना चाहिये था उसका बन्दोबस्त नहीं कर रहा है।

एक मिनट के लिये मैं और माफी चाहूंगा और उसमें जो एक बड़ी आवश्यक बात मैं कहना चाहता हूं वह है मंहगाई की बात। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि १०० रुपये से नीचे वालों को अगर १२ रुपया बढ़ा देगी राज्य सरकार तो उसका २/३ भाग केन्द्रीय सरकार देगी। मुझे अफसोस है कि सरकार ने पहली अप्रैल से इसे--मंहगाई बढ़ाने कीबात को--मंजूर किया और वह इसे सप्लीमेंटरी बजट में लायी। जब सप्लीमेंटरी बजट में मंजूर करना था तो इसे मुख्य बजट में आना चाहिये था। लेकिन मुख्य बजट में यह बात इसलिये नहीं आयी कि हमारी नीयत अच्छी नहीं थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज को दबा कर काम लेने के लिये तैयार थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेन्ट के इम्प्लाइज ने, ४ करोड़ आदमियों ने, जो इस सरकार का मुकाबिला किया और आजादी मिलने के बाद जो सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया उससे स्टेट गवर्नमेन्ट को कुछ होश हुआ, लेकिन पूरा होश नहीं हुआ। मैं स्टेट गवर्नमेन्ट से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेन्ट से क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेन्ट ज्यादा गरीब है ? मदरास की सरकार से क्या उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब है ? काफी दिन पहले मदरास की सरकार ने जो मंहगाई भत्ता दिया, वह मंहगाई भत्ता उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं दिया ? और फिर बावजूद इसके कि केन्द्रीय सरकार ने यह मंजूर किया कि जो कुछ तुम दोगे उसका दो तिहाई हिस्सा हम देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है और अमीरों को अमीर, धनियों को धनी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन बातों की ओर ध्यान दे क्योंकि वह आज जितनी बड़ी ताकत आपके पास है उतनी बड़ी ताकत अब आने वाली

[श्री गेंदासिंह]

नहीं है, कम से कम आप इतना तो कर दीजिये कि लोग यह कहें कि गांधी जी के राज्य से हमको कुछ राहत मिली। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आगे की कार्यवाही होने के पूर्व, मैं सदन की यह इच्छा जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सम्बन्ध में कोई समय निश्चित करना चाहेगा क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति के अनुसार अनुपूरक अनुदानों के लिये आज तक का ही समय है और आज ही इसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल भी लिया जायेगा। वैसे तो कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं अगर समय का नियंत्रण हो जाये, तो ठीक होगा। तो आप लोग इसके लिये अपने सुझाव दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हर एक के लिये १० मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—साधारण सदस्यों के लिये १० मिनट का समय और जो अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से बोलें उनके लिये २० मिनट हों।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उनके लिये १५ मिनट कर दिये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसके लिये तो प्रस्ताव आ चुका है कि ढाई बजे तक सामान्य वाद विवाद हो और उसके बाद कटौती के प्रस्ताव ले लिये जायं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय तिवारी जी ने जो फरमाया, मैं उससे सहमत हूं।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है तो माननीय उपनेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया उसी के अनुसार कार्य चलेगा। १० मिनट का समय वक्ताओं के लिये होगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—मैं, श्रीमन्, कोशिश करूंगा कि १० मिनट में ही समाप्त कर दूं।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने जो ४ करोड़ रुपये की धनराशि के अनुपूरक अनुदान पेश किये गये हैं। मान्यवर, यह इस वर्ष ही कोई नयी बात नहीं है, वरन् हर साल ऐसा होता है। और यूं भी जनतांत्रिक प्रणाली भी ऐसी ही है कि बजट के समय हम तमाम बातों को सोच नहीं पाते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर कि बजट बनाते समय सरकारी विभाग सोच नहीं पाते हैं और बात में उनको करना पड़ता है और उनके कारण अनुपूरक बजट को लाना पड़ता है।

मान्यवर, इसके पहले भी मैं इसी सदन में कई बार कह चुका हूं और आज फिर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह अनुपूरक अनुदानों को पेश करने की परम्परा पड़ गयी है उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं उनसे बराबर मेरी यह शिकायत रही है कि वे बजट बनाते समय इतने जागरूक नहीं रहते जितने जागरूक उन्हें रहने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि बजट इस ढंग से हमारे सामने आता है कि हमें उसको देखकर सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर मैं यह निवेदन करूं कि यह अनुपूरक बजट देखने में तो ४ करोड़ का है, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल्स में जांय तो आप देखेंगे कि यह असल में इससे कहीं ज्यादा है और गवर्नमेंट ने ११ करोड़ रुपये के खर्च करने का अधिकार इन अनुपूरक अनुदानों के द्वारा लेना चाहा है। कई विषयों में १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट की बात कही गयी है। और उसके अन्दर केवल इतना कह देते हैं कि इतना खर्चा होगा २० हजार, ३० हजार, १ लाख, २ लाख, ३ लाख और यह कहते हैं कि यह बचत जो मौजूदा अनुदान है उसके अन्तर्गत हो जायगी लिहाजा उसकी एक सौ रुपये की टोकन ग्रान्ट पास कर दी जावे।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि टोकेन ग्रान्ट का बहुत ही मिसयूज होता है, गलत इस्तेमाल होता है । मैं आजतक यह नहीं समझ पाया कि सेविंग के माने क्या हैं । फाइनेंशयल हैंडबुक में हम जानते हैं कि यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे एस्टीमेट जहां तक हों ऐक्युरेट होने चाहिये और सेविंग भी उतनी ही गलत चीज है जितना कि उसका ओवर एक्सपेंडीचर होता है । लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं क्योंकि डेवलपिंग इकोनामी में सेविंग होनी चाहिये, पर मैं समझता हूं कि सेविंग के मा.ने यह है कि जितना काम विभाग के सामने हो उसके पूरा होने के बावजूद भी अगर उस अनुदान में कुछ धनराशि की बचत हुई तो वह सेविंग हुई ।

हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस पैसे को विभाग खर्च नहीं कर पाता है, जो सही माने में खर्च ही नहीं हुआ है उसको बचत के रूप में दिखलाया जाता है । तो यह इनएफिश्येंसी आफ दी डिपार्टमेंट के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है और हमको धोखा लगता है कि डिपार्टमेंट में बड़ी एफिश्येंसी है कि हमारा काम भी पूरा कर दिया और पैसा भी बच रहा । तो बजट में यही स्पष्ट बताया जाना चाहिये कि टोकेन ग्रान्ट में दिखाई गई बचत का क्या तरीका है और यह भी बताया जाय कि किस तरीके से वह बचत की गयी है । जहां केवल कुछ हजार रुपये की टोकेन ग्रान्ट है वहां उनके अन्तर्गत ६,९९,००,००० रुपये का खर्चा गवर्नमेंट करने जा रही है । यह पैसा कहां से आयेगा ? अगर ज्यादा डिटेल में जायें तो यह आम तौर से देखने में आता है और मेरा अनुभव है प्राक्कलन कमेटी में बैठने के बाद कि जो योजनायें हम दे देते हैं सरकारी विभागों को, उसके अन्दर जो स्थापना व्यय है उसमें एक पैसे की भी कमी नहीं होती, मगर जो डेवलपमेंट साइड है, विकास का खर्चा है, जो योजनायें विकास के लिये हैं वह अन्दर पूरी नहीं हो पाती हैं और उस न खर्च हुये पैसे को हमको बता दिया जाता है कि वह हमारी बचत है और उसको हम दूसरी मद में खर्च करने की कोशिश करते हैं । तो मेरा निवेदन है वित्त मंत्री जी से कि मेहरबानी करके आइंदा से कोशिश करें कि बजट के साथ-साथ यह भी साइड मिलनी चाहिये कि टोकेन ग्रान्ट के अन्दर किस तरीके से बचत होगी और कौन-कौन से आइटम्स हैं जिनमें कमी और बढ़ोत्तरी होने की बात है । सोचने की बात तो यह है कि बहुत सी बातें जो समझनी पड़ जाती हैं, साहित्य में उनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि एक बात तो समझ में आ सकती है कि जिन खर्चों का हम अन्दाज न कर सकें और जो अनफोरसीन आजायं तो उसको अनुपूरक ग्रान्ट में दीजिये, लेकिन अनुपूरक ग्रान्ट के बहाने से जो नयी मदें पेश करते हैं जिनको आप भी स्वयं पहले से जानते हैं और आपके कर्मचारी आप से ज्यादा जानते हैं असल में वह समझते हैं कि दो डेढ़ घंटे डिबेट होगी, ज्यादा बहस हो नहीं पायेगी, इसलिये इसके अन्दर पेश करने की चेष्टा करते हैं । एक दो एग्जाम्पिल देना चाहता हूं इस सम्बन्ध में । एक मद है कि मार्सिडीज के दो ट्रैक्टर्स खरीदे जायेंगे जंगलों के अन्दर से लीसा लाने के लिये । मान्यवर, कौनसी इसमें अनफोरसीन बात थी ? हम जानते हैं कि हमारे जंगलों के पास सड़कें अच्छी नहीं हैं । कहा गया है कि खच्चरों पर आने से खर्चा ज्यादा पड़ता है । यहां यह भी प्रश्न उठता है कि गरीब खच्चर वालों को जो कुछ पैसा मिल जाता है, उसका क्या होगा । खैर, यह तो दूसरी बात है मैं उसमें नहीं जाता । तो कौनसी इसमें ३ महीने में नयी सड़कें बन गयीं जिससे ट्रैक्टर्स पहुंच जायेंगे ? लीसा को प्राप्त करने में कितना खर्चा होता है यह तो बहुत अर्से से आपके विभाग के विचाराधीन है । तो मैं समझ नहीं पाया कि इसमें कौनसी ऐसी बात थी जो अनुपूरक बजट में इसको पेश किया गया। क्यों नहीं बजट में, जो मार्च में पेश किया गया, उसमें पेश किया गया ?

तीसरी बात यह है कि फारेस्ट की मद में सड़कों के लिये ७,१०,००० रुपये की नयी मांग पेश की गयी है । कहा गया है कि कुछ सड़कें कम हैं । इसके अन्दर कुछ और भी नयी ग्रान्ट्स ऐसी हैं जिनका पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से सम्बन्ध है । मैं उनको इसलिये इस श्रेणी में नहीं गिनता बल्कि उसका समर्थन करने के लिये तैयार हूं क्योंकि उसका पैसा केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है । तो यह हो सकता है कि जिस समय आपने बजट पेश किया था सरकार को पता नहीं था कि

[श्री नवलकिशोर]

केन्द्र से कितना पैसा आपको मिलेगा । हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार और आपके बीच में वह चीज उस समय तक तय न हो पायी हो, इसलिये वह लक्ष्य है, लेकिन फारेस्ट की सड़कों को बनाने के लिये जो अनुपूरक अनुदान आप चाहते हैं वह मैं नहीं समझ पाया कि यह कौन सी अनफोरसीन मद थी ।

सब-रजिस्ट्रार के लिये सेलेक्शन ग्रेड की बात है । आप जरूर दीजिये, लेकिन यह भी कौन-सी अनफोरसीन बात है ? यद्यपि मैंने उसको उस प्वाइंट आफ व्यू से एग्जामिन नहीं किया है कि उस पर क्या खर्च पड़ेगा लेकिन इसके लिये यानी सेलेक्शन ग्रेड के लिये ३ महीने तक इंतजार करना था या जिस वक्त मार्च में बजट पेश किया गया था उसी वक्त रखा गया होता । मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह अनफोरसीन आइटम हो सकता है ।

इसके अलावा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की जो आपस में नान-कोआर्डिनेटिंग स्पिरिट है और उसके कारण इनएफिशिएन्सी है तो उसका एक तरीका बन गया है कि जहां वह हो और एक विभाग दूसरे विभाग से कोआर्डिनेशन न करे तो हम विभाग में स्टाफ को बढ़ाने की मांग करते हैं । मिसाल के तौर पर पिछले बजट में था सिंचाई के बारे में लोगों को कान्सश बनाने के लिये एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना की जाय । वह बात मेरे दिमाग में आ ही नहीं पाती है । यह भी चूंकि विभागों में आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है यह मांग रख दी जाती है कि स्टाफ बढ़ा दिया जाय । इसमें एक चीज और है कि सिंचाई विभाग में एक सांख्यिकी विभाग बना दिया जाय । हमारे डिपार्टमेंट्स की एक टेन्डेन्सी है I should be the monarch of all I survey. एक प्रकार का विभागीय सम्राज्यवाद सा चल रहा है । जिससे कि हम दूसरे किसी विभाग पर निर्भर न रहें और अपने में ही स्वतंत्र तथा स्वावलम्बी हो जायं । हमारा इतना बड़ा स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है मगर हमारे सामने बिलकुल बच्चों का सा आर्गूमेंट दिया जाता है, जैसे कि हम सातवें या आठवें में पढ़ते हों कि इंजीनियरिंग विभाग में आंकड़े इकट्ठा करने में समय लगता है लिहाजा चीफ इंजीनियर के हेडक्वार्टर पर एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट खोल दिया जाय । इसमें कौनसी अनफोरसीन बात थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर स्टेटिस्टिक्स के बारे में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोआर्डिनेशन नहीं है तो जिसकी गलती है उसका जवाब मांगा जाय मगर उनके पास में कोआर्डिनेशन की वजह से या जो इन्एफीशियेंसी है तो उसका जवाब यह नहीं है कि उसकी बिना पर स्टाफ बढ़ा दिया जाय और प्रशासकीय स्टेट के ऊपर जिसका खर्चा पहले से ही बढ़ गया है उसके ऊपर और भार बढ़ाते चले जायं, यह उचित नहीं है ।

मेरे दोस्त गेंदासिंह जी ने कई बातें कहीं । उनकी सांडों वाली बात का समर्थन न करते हुये भी वाटर कूलर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ठंडा पानी हर डिपार्टमेंट को मिल जाय यह ठीक ही है लेकिन अब सितम्बर में जब ठंड पड़ने लगी है वाटर कूलर्स लगाये जांय और उनके लिये सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में धन मांगा जाय, तो यह जो ऐटीट्यूड डिपार्टमेंट का है उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिये ।

एक आखिरी बात मैं और कहूंगा कि यह शिकायत बराबर लोगों को रही है कि जिस समय हमारा बजट बनता है तो इस तरह की एक परम्परा बन गयी है, ऐसी मनोवृत्ति दिमागों में पैदा हो गयी है कि हम जो चाहेंगे बजट में बनाकर रख देंगे वह बजट तो पास हो ही जायगा और हमारी जो अबूरदर्शिता है उसको अनफोरसीन के नाम पर जब चाहेंगे सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के अन्दर पेश कर देंगे यह मनोवृत्ति उचित नहीं है मैं यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं । वैसे तो यह सप्लीमेंटरी बजट आवश्यक है मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन जो मैंटेलिटी है विभागों की वह खत्म की जाय तभी यह चीज अच्छी तरह से चल सकती है ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बातें अभी मेरे पूर्व वक्ता नवलकिशोर जी ने रखी है उनकी किन्हीं बातों का समर्थन करते हुये इस बात की तरफ हाउस का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि यह जो प्राक्कलन आदि समितियां बनी हुई हैं और जिनका यह कार्य रहा है कि सरकार के इस प्रकार के अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदानों का जो परीक्षण कभी-कभी होता है और उनके सम्बन्ध में ये समितियों जो अपनी राय देती हैं या जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं उनको सरकार ध्यान से देखे और उनके आधार पर जो नया ज्ञान हो उससे इन अधूरे बजटों में कुछ थोड़ा सा-सुधार कर ले। मुझे कहना पड़ता है कि यह सरकार प्राक्कलन समितियों का निर्माण तो कर देती है, उनके प्रतिवेदनों को भी ले लेती है लेकिन उनपर कोई ध्यान नहीं देती। अगर इस ध्यान न देने का ही यह लक्षण है कि न केवल नवलकिशोर जी ही बल्कि उस समिति के अनेक सदस्य यह कहने के लिये तैयार हैं कि सरकार प्राक्कलनों के प्रति सचेत नहीं है। आज हमारे सामने चार करोड़ रुपये के जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत हैं, मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार को जानकारी न होने या उसकी लापरवाही के परिणामस्वरूप ही पेश किये गये हैं। यह सही है कि सरकार टोकेन ग्रान्ट के रूप में १०० रुपये कह देती है लेकिन अगर उनको जोड़ा जाय तो मालूम होगा यह मदें केवल ४ करोड़ रुपये की ही नहीं हैं बल्कि और बड़ी रकम का यह बजट है।

यूं तो इस अनुदान के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं सीमित बातों की ओर ही इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

चकबन्दी की बात सबसे पहले आ जाती है। इस चकबन्दी के द्वारा हर एक कृषक को चकमाबन्दी में फंसाया जाता है। इस बजट में रखा गया है कि इस चकमाबन्दी में जो गांव सहयोगी साबित होंगे उनको ५०० रुपये का पुरस्कार दिया जायगा। इस पुरस्कार के लिये इस बजट में १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट मांगी गई है। चकमाबन्दी में लोगों को फुसलाने के लिये और फूल चढ़ाने के लिये यह तरीका अपनाया गया है। आज किसान इस चकमाबन्दी से पीड़ित है और रो रहा है और आप कहते हैं कि सहयोग के लिये इनाम देंगे। मैं नहीं जानता कि आपको कौन सहयोग दे रहा है। इस चकमाबन्दी के कारण आज वह मुकदमाबाजी कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं और आप कहते हैं कि पुरस्कार देंगे उसको जो कि आज इससे रो रहा है।

सिंचाई की कहानी ज्यादा कहने के लिये नहीं है। इस कृषि प्रधान देश में सिंचाई की योजनाओं को न लाकर आप कहते हैं कि साइन्स कान्फ्रेंस होगी और इसके अधिवेशन होने में सवा लाख रुपया खर्च होगा। उसमें विदेश के बड़े-बड़े एक्सपर्ट आयेंगे, वह लम्बे-लम्बे लेक्चर देंगे, लोगों को सुनने का मौका मिलेगा लेकिन इस देश में जहां हमें जरूरत इस चीज की है कि छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं को चलाकर सूखे खेतों में पानी पहुंचाया जाय, धान की लाखों एकड़ सूखी जमीन को पानी दिया जाय, सवा लाख रुपया कान्फ्रेंस पर खर्चा किया जा रहा है जिसमें से ३७ हजार रुपया हमारी सरकार खर्च करने जा रही है।

विरोधी दल के नेता के प्रवक्ता ने इस बजट का जो "कूलर बजट" नाम रखा वह सोच समझ कर ही रखा है। इस बजट को जो पढ़ेगा और सचिवालय की गैलरीज से होकर निकलेगा तो वह कूलर्स को देखकर यह समझेगा कि आधुनिकता काफी आगई है। उन कूलर्स को खोलने और बन्द करने तक का तो लोगों को ज्ञान नहीं है लेकिन कूलर्स पर १४ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है। चूंकि पुराने कूलर्स की ४० गैलेन्स की क्षमता नहीं थी इसलिये उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये यह उन्नति की जा रही है।

इसी प्रकार से सचिवालय में रैंकों के लिये ४७ हजार रुपया का खर्चा किया जा रहा है। यह सब आधुनिकता लाने के लिये है। एक तरफ तो इस देश में लाखों बीघे लहलहाती हुई खेती सूख जाती है, किसान एक-एक बूंद पानी के लिये तरस जाते हैं, मांगने पर भी उसको पानी नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मिलता है और दूसरी तरफ लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको सरकार सहायता देने में अपने को समर्थ नहीं पाती लेकिन उड़ीसा की बाढ़ में सहायता देने के लिये मुख्य मंत्री के फंड से २५ हजार दिया गया। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूं कि मुख्य मंत्री के फंड में बड़ी उदारता बरती जा रही है। लन्दन में तिलक जी की मूर्ति के लिये यू० पी० का २५, ००० रुपये का अनुदान पहुंचाने की इस सरकार को बड़ी चिन्ता है। सोशलिस्ट पार्टी के सैकड़ों नौनिहालों को जेलों में इसलिये बन्द आज भी किया गया कि वे विदेशियों की मूर्तियों को यहां से हटवायें। उनके सिर इसके लिये फोड़े गये। आज भी वे मूर्तियां उन नग्न स्थानों में वैसी ही पड़ी हुई हैं। सचिवालय से ५० कदम पर एक पार्क है, वहां की मूर्ती बड़ी मुश्किल से हटी, उसकी जगह पर तिलक जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। मैं लोकमान्य तिलक जी के महत्व को कम नहीं करता हूं। उनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर और श्रद्धा है, लेकिन रुपये के इस्तेमाल का उचित ढंग सरकार को सोचना चाहिये। आज वे सब जगह जहां पहले विदेशियों की मूर्तियां थीं खाली पड़ी हुई हैं। उनमें देश के नेताओं की या सांस्कृतिक नेताओं की मूर्तियां लगवाई जावें। अभी अयोध्या में, फैजाबाद में, तुलसीदासजी की मूर्ति स्थापित की गई। यह कार्य उचित था। लेकिन उसके स्थापित करने के लिये सौभाग्य मिला एक जिलाधीश को। यह सौभाग्य उसे दिया गया जिसने विदेशियों की मूर्तियों को हटाने के लिये आन्दोलन करने वालों को जेल में भेजा। यह सौभाग्य किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया गया जो जेल गया हो।

इस सरकार द्वारा जिला प्रशासन में एक बड़ा सुन्दर सुधार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जिलों में भ्रष्टाचार समितियां काम करती हैं। वहां भ्रष्टाचार निवारण की बात कही जाती है लेकिन वहां काम होते हैं भ्रष्टाचार वृद्धि के। उनके लिये नये प्रकार के अनुदान दिये जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले उनकी सफलता को भी तो इस सरकार को देख लेना चाहिये था।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे कुछ समय ज्यादा देने की कृपा करें। मैं भारतीय जी की जगह बोल रहा हूं, अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। मैंने २० मिनट का प्रस्ताव रखा था। १० मिनट मुझे और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—१० मिनट तो असम्भव है, आप ३, ४ मिनट और बोलें। २० मिनट का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, १० मिनट का हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जेलों के सुधार के लिये छोटे-छोटे सम्पूर्णानन्द कैम्प खोले जा रहे हैं। एक सितारगंज में भी खोला जा रहा है और उसमें बहुत से उत्पादन किये जावेंगे। इन कैम्पों में सफलता नहीं हुई। इस कैम्प के लिये १,६२,००० रुपये का अनुदान दिया गया है लेकिन इसमें कई लाख रुपया खर्च होगा। मुझे तो यह देखकर दुख होता है कि कुछ स्थानों की बढ़ोत्तरी की गई है, १ जेलर, २ डिप्टी जेलर, ३ असिस्टेंट जेलरों के स्थान बनाये गये हैं, ऐसे लोगों के लिये जो कभी भी मंत्री जी के सम्बन्धी होते हैं या जिनसे चुनाव के समय वादा किया था कि तुमको भी दिया जायगा। मिनिस्टरों के पास यह काम ज्यादा है। जेलों में कम्बलों के चिथड़े हम लोगों को मिलते हैं जिनमें इतनी बदबू आती है कि कोई मनुष्य उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार कोई वास्तविक सुधार करने की सोचे।

शिक्षा के लिये कहा गया है कि बालिकाओं के लिये अनुदान दे रहे हैं कि उनकी शिक्षा अनिवार्य हो। हमारे संविधान में लिखा है कि सन् १९६५ तक १४ साल की उम्र तक के बच्चों को हम अनिवार्य शिक्षा देंगे। उसमें भी अध्यापिकाओं के आवास गृहों में १३ लाख रुपया खर्च होने जा रहा है। यह कोई अन्दाजा नहीं दिया गया है कि कितनी बालिकायें इससे शिक्षित हो जावेंगी। इसकी कोई संख्या नहीं दी है। अनिवार्य शिक्षा कब तक पूरी हो जायगी, इसका भी कोई अन्दाजा नहीं है। केवल आवास-गृह पहले बन रहे हैं। यह बात सही है कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि बाढ़ें आना आवश्यक है, वे रोकी नहीं जा सकतीं, इसलिये स्कूल

और सभी इमारतें ऊंचे स्थानों पर बनाये जावें। तो क्या यह सरकार इसीलिये ऐसा कर रही है? लखनऊ की प्रोग्रेसिव म्यूजियम की इमारत ८ लाख रुपये में बनी है। इससे गांव की जनता को क्या लाभ है? हां, यह जरूर है कि कुछ चुलबुले लोग वहां शाम को जाते हैं और दिल-बहलाव कर लेते हैं। यह धन का कैसा अनुचित अपव्यय है? यह जितना भी बजट है सभी सरकार की रौनक को बढ़ाने वाला है। सजावट की बातें इसमें हैं। लेकिन किसानों के सूखे खेतों में एक बून्द पानी देने की बात इसमें नहीं है। मैंने तो बहुत तलाश किया पर मुझे ऐसी बात इसमें कहीं नहीं मिली। यह अनुपूरक बजट बैक डोर से ब्लैक मार्केट का बजट है और यह १३४ करोड़ रुपये के खर्चे में ४ करोड़ रुपये की चोरी की जा रही है। यह ब्लैक मार्केट का बजट ग्रामीण देश के लिये और भी अनुचित है।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्षता महोदय, मैं आपको मुझे कुछ समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने है, वह वस्तुतः तो है ४ करोड़ का, लेकिन मैंने जो उसकी सूचिका तैयार कराई है उससे मालूम होता है कि जहां ४,०७,८७,००० रुपये अतिरिक्त मांग के लिये आवश्यक होंगे वहां ६,९९,५८,००० रुपये के लिये कहा गया है कि १०० रुपयों की टोकेन ग्रान्ट के जरिये लेकर, दूसरे आइटम्स से बचाकर इसमें उपयोग किये गये हैं। यह मैं जानता हूं कि हमारा मुल्क और हमारा प्रदेश एक डेवलपिंग एकोनोमी में होकर गुजर रहा है और मैं जानता हूं कि उन परिस्थितियों में एक लम्पसम प्रावीजन की आवश्यकता होती है। परन्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उनमें, जहां मैं उन आवश्यकताओं का अनुभव करता हूं वहां हमारा यह भी कर्तव्य हो जाता है कि हम इस बात को भी देखें कि उनका दुरुपयोग तो नहीं होता है। साल भर में दो बार सप्लीमेंटरी बजट का आना और जैसा कि मैं इस सप्लीमेंटरी बजट में देखता हूं कि इसमें करीब ११ करोड़ रुपये का एमाउन्ट इन्वाल्व्ड है। मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट का उद्देश्य केवल यह हो सकता है कि जिस समय मूल बजट पेश किया गया था उस समय इन आवश्यकताओं का प्रदेशीय सरकार और वित्त विभाग को ज्ञान नहीं था और ये आवश्यकतायें अकस्मात ही आ गयीं। तथा राज्य की जनता के हित के लिये इन आवश्यकताओं का स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। अब देखना यह है कि वह परिस्थिति है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे कि इसमें कुछ आइटम्स ऐसे अवश्य हैं जो पहिले भी सरकार के ध्यान में आ सकते थे। इस प्रकार से सप्लीमेंटरी बजट का बढ़ना उपयोगी और जनतंत्र की दृष्टि से हितकारक नहीं हो सकता।

अब यह कहा जा सकता है कि एक मद में रुपया बचा कर दूसरी मद में व्यय किया जा रहा है और उसकी स्वीकृति सदन से ले रहे हैं। मैं उनका ध्यान बजट मैन्युअल के आइटम १२(१) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है:—

"(i) The sum provided in an estimate of expenditure on a particular item must be that sum which can be expended in the year, and neither larger nor smaller. The principle demands that estimating should be as close and as accurate as possible. A saving in an estimate constitutes as much a financial irregularity as an excess in it."

बजट मैन्युअल का यह कहना है कि बजट में बचत करना राष्ट्रहित की चीज है और जहां-जहां हो सकती है वहां करना चाहिये। लेकिन बजट ऐस्टीमेट्स ही इस आशय से प्रिपेअर हों तो उसमें इस तरह के प्रावीजन हो सकते हैं कि एक साल के बजट में १०-१५ करोड़ इधर का उधर बचा कर डाल सकते हैं। तो उसका आशय एक ही हो सकता है कि बजट प्रिपेयरेशन करने में ज्यादा सावधानी से काम नहीं लिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

कि चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सरकार के साथ हम सब का कर्त्तव्य है कि जब हम अपने देश में जनतांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं तो अपने प्रदेश में और इस देश में एक शुद्ध और स्वस्थ परम्परा स्थापित करें तो मेरा खयाल है कि उसमें यह आवश्यक है कि हम पार्लियामेंटरी कंट्रोल फाइनेंस पर अधिक से अधिक स्थापित करने की कोशिश करें। उससे हम समझते हैं कि न केवल इस सदन की आवश्यकता पूरी होगी बल्कि हमारे कैबिनेट की आवश्यकताओं को भी अधिक पूर्ति हो सकेगी।

खासतौर पर एक दिक्कत की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सभी जनतांत्रिक देशों में, हाउस आफ कामन्स और हमारे लोक सभा में भी और इस प्रदेश में भी एस्टीमेट कमेटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। बजट के जो एस्टीमेट्स होते हैं, हजारों पेज का तो बजट लिटरेचर होता है और उसके सारे विवरण को यह सदन क्लोजली एक्जामिन नहीं करता है, तो उसके लिये एक विशेष समिति का निर्माण हुआ है जिसे एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। उस एस्टीमेट कमेटी से आशा की जा सकती है, सदन भी आशा कर सकता है, हमारी सरकार भी आशा कर सकती है और कैबिनेट भी आशा कर सकता है कि कम से कम उनके सामने ऐसे वाकयात लाये जायं जिससे राज्य की इकोनामी और एफिशिएंसी पर ज्यादा प्रभाव हो सके, तो कठिनाइयां जो उसके सामने हैं उनको कम करें। सन् १९५१ में फाइनेंस कमेटी का अस्तित्व खत्म हुआ और उसके स्थान पर एस्टीमेट कमेटी का निर्माण किया गया। लेकिन प्रश्न यह है कि जिसको मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को तय करना चाहिये और मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि नियमों में यह कहना चाहिये कि एस्टीमेट कमेटी जो है वह एक रिपोर्ट हाउस के सामने रखे। उन्होंने उसमें लिखा है कि यदि एस्टीमेट कमेटी रिपोर्ट न भी रखे तब भी हाउस के सामने कोई डिमांड पेश हो तो जो रूल्स आफ प्रोसीजर दिया हुआ है, वह सदन की खास चीज है। खास बात यह है कि उनकी निगाह के सामने यह चीज लायी जाय, गवर्नमेंट के सामने उसकी निगाह में और सदन की निगाह में भी यह चीज लायी जाय। लेकिन कठिनाई यह है कि जब फाइनेंस कमेटी का स्ट्रक्चर हटा तो आशा की जाती है कि फाइनेंस कमेटी का जो कार्य था उसे एस्टीमेट कमेटी करे। यह चीज मैं उचित समझता हूं और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कैबिनेट के सामने खोजबीन का काम भी कुछ होना चाहिये। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये तथा उसके साथ ही साथ कैबिनेट तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी विचार करना चाहिये कि आया वे एस्टीमेट कमेटी को ऐसा मौका दे सकते हैं या नहीं। आज तो एस्टीमेट कमेटी का सिर्फ यह काम है कि बिटिंग आन डेड हार्स वह करती रहे, तो इस तरह से एस्टीमेट कमेटी सरकार की उचित सेवा नहीं कर पाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये। खासतौर से जब कि हम जानते हैं कि फाइनेंशल कंट्रोल पार्लियामेंट का हो, इसके लिये काफी संघर्ष हुआ और उससे हम एक परिणाम पर पहुंचे। तो हम लोग जिनके ऊपर कि स्वस्थ्य परम्परायें स्थापित करने की जिम्मेदारी है, वह फाइनेंशियल कंट्रोल पार्लियामेंट का स्थापित कर सकें यह आवश्यक है और इस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और इसीलिये मैंने यह निवेदन किया।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—श्रीमन्, सप्लीमेंटरी बजट की भी अहमियत है।

श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री रामायणराय—२ बजकर १० मिनट तक तो कोरम की आवश्यकता नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—वह समय तो २ बजे तक का है और अब २ से ज्यादा है, इसलिये आवश्यकता तो है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवराजबहादुर—मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसी भी सप्लीमेंटरी बजट की अहमियत बजट से कम नहीं होती। बजट पेश किया जाता है और उसमें किसी वजह से जो खामी रह जाती है उसका तकमिला सप्लीमेंट्री बजट में किया जाता है। यह सप्लीमेंट्री बजट जो हमारे सामने पेश हुआ है मैं उसमें इतना कहना चाहता हूं कि हमें यह देखना है कि जो असली बजट में खामियां रह गई थीं उनका तकमिला इसमें हुआ या नहीं। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि जहां डिस्प्लेस्ड परसन्स के लिये गुंजाइश की गई है वहां जो कोढ़ी हैं, जो अपाहिज हैं उनके लिये कोई गुंजाइश नहीं की गई है।

श्रीमन्, आज लोग चाहते हैं कि हमारे देश में करप्शन न रहे और गड़बड़ी न रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस करप्शन के नाम से बड़ी तकलीफ होती है। जो ग्रांट नं० १४ है इसे देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। एंटीकरप्शन कमेटी तमाम प्रांत में है, हर जिले में है, उनके चेयरमैन जिनका कि कोई भी चुनाव नहीं हुआ है आज तक मौजूद हैं। पहले १५ पये माहवार किराये तक का एक मकान एन्टीकरप्शन कमेटी के लिये लिया जा सकता था। एक क्लर्क होता था उसको २० रुपया माहवार दे दिया जाया करता था। आज उस कमेटी के लिये बजाय १५ रुपये से ४० रुपये माहवार तक किराये का मकान लिया जायेगा। इसके अलावा एक टाइपराइटर होगा जिसकी कीमत ८०० रुपये से ज्यादा होगी। एक अलग क्लर्क होगा। इस तरह से ८७ लाख पये के ऊपर तमाम प्रांत में व्यय किया जायगा। मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या कहीं पर आज इस करप्शन में कमी हुई है? मैं कहना चाहता हूं कि एन्टीकरप्शन कमेटी में इस तरह से पया बेवजह खर्च किया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इस एन्टीकरप्शन कमेटी का काम जो थोड़े से रुपये से चलाया जाता था उसके लिये आज बहुत सा रुपया चाहते हैं। पता नहीं इससे कितना करप्शन दूर हुआ।

कम्प्लेंट आफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ एंटीकरप्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। पता नहीं उनकी क्या पावर्स हैं जिनके जरिये वह करप्शन को रोक सकते हैं और पता नहीं कहां तक कामयाब हुए हैं? मैं समझता हूं कि अभी तक डिबेट में इस पर तजकिरा भी नहीं आया, इसलिये मैं इस तरफ ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूं। वही कमेटी है, वही चेयरमैन है। तो इसमें इतना रुपया खर्च करना बिलकुल बेकार है। आज तक किसी आफिसर के खिलाफ या किसी दूसरे के खिलाफ इस कमेटी ने सारे प्रांत में २/४ केस भी कामयाब करके नहीं दिखलाये हैं। यह भी कहा गया कि एंटीकरप्शन कमेटी का दफ्तर भी खुला हुआ है लेकिन इससे मकसद क्या हल हुआ? पहाड़ खोदा और एक चूहा भी नहीं निकला।

(इस समय २ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

मैं ऐसी ऐंटीकरेप्शन कमेटी को रखना भी बिलकुल मुनासिब नहीं समझता हूं।

थोड़ा सा तजकिरा मैं ग्रांट नम्बर १३ में प्रकीर्ण के बारे में करना चाहता हूं। डिस्क्रीशन का जहां तक संबंध है, चाहे कोई मुख्य मंत्री हो या कोई मंत्री हो और किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि एक पार्टी तो सदा रहती नहीं, सरकार बदला करती है, विभिन्न पार्टियां आती जाती रहती हैं, तो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो लेकिन जितनी डिस्क्रीशनरी पावर कम होगी उतना ही अच्छा होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा अनुदान रखना मुनासिब नहीं मालूम होता।

[श्री शिवराम बहादुर]

कंसालीडेशन के बारे में दूसरी ग्रांट है, एक टोकेन ग्रांट मांगी गई है और जो बड़ी खुशनुमा मालूम होती है कि ५०० ० वहां दिया जायगा जहां कोग्रापरेशन किसानों का होगा, उस गांव की ग्राम समाज को दिया जायगा। मेरे क्षेत्र में इस समय चकबन्दी हो रही है उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। किसी भी देहात में एक सी जमीन नहीं है। सरकार यह चाहती है कि ७५ फीसदी ऐसे चक हों जो सिर्फ एक चक हों ग्रौर दो चक न हों। लेकिन ग्राज देहातों में बड़ी परेशानी है। एक जमीन ऐसी है जिसमें धान पैदा हो ही नहीं सकता, एक जमीन ऐसी है जिसमें दूसरी फसलें होती हैं तो ऐसी जगह किसान एक चक बनाने के हक में नहीं है। यह इनाम तब मिलेगा जब किसान कोग्रापरेट करे। इसमें भी बड़ा डिस्क्रीशन है।

इसके ग्रलावा पी०डब्लू०डी० के जरिये बहुत सी इमारतें बन रही हैं, विधान भवन के कंस्ट्रक्शन का जिक्र है, कुछ सेक्रेटेरियट के बारे में जिक्र है। १०,००० रुपया सेक्रेटेरियट में खर्च किया जायगा जब कि प्रदेश में ग्राज ऐसे गरीब ग्रौर पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे झांसी कमिश्नरी में ग्रापको मिलेंगे, जहां लोगों के पास रहने को मकान नहीं है। मुझे भी वहां जाने का इत्तफाक हुग्रा। तो ऐसी हालत में हम १०,००० पया महज पंखे ग्रौर बिजली के लिये खर्च कर रहे हैं। ६,००० ० इसलिये खर्च किया जा रहा है कि साइकिल के ग्रौर स्टैंड बनाये जायेंगे। ग्रगर सरसरी नजर इस पर डाली तो मालूम होगा कि सप्लीमेंटरी बजट जिन ग्रनफोरसीन चीजों के लिये ग्राना चाहिये था वह इसमें नहीं है। जो हमारा लक्ष्य था, जो हम करना चाहते थे उसका तखमीना हो सके। इस सप्लीमेंटरी बजट से इसका तखमीना नहीं हो सकता है। इससे यह जरूर है कि सप्लीमेंटरी बजट में जहां थोड़ी सी रकम मांगी जानी चाहिये थी उससे कहीं ज्यादा ले ली गई है ग्रौर इसका सही इस्तेमाल नहीं हो सकता है।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—मान्यवर, ग्रनुपूरक ग्रनुदान जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करना चाहता हूं। ग्राज समाजवादी समाज की रचना के लिये परमावश्यक है कि हम जितना ग्रधिक से ग्रधिक रुपया दे सकें दें। ग्राप देखें कि हमारे देश में जो उत्तराखंड डिवीजन बना है उसके विकास के लिये हमको सबसे जरूरी है कि जितनी जल्दी उसका विकास कर सकें करें। क्योंकि हमारे देश में पंचमांगी मौजूद हैं जिनके बारे में प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी कई बार कह भी चुके हैं। ऐसी हालत में जरूरी है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदानों को सदन जल्द स्वीकृत करे।

ग्रापकी ग्राज्ञा से २, ३ बातें कहना चाहता हूं। इसमें ऐसी जरूरियात की चीजें मांगी गई हैं जिनको मैं समझता हूं कोई भी सदस्य इन्कार नहीं कर सकता। ग्रनुदान संख्या १३ ग्रगर देखी जाय जो कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा है, थोड़े से पैसे बढ़ाये गये हैं, उसमें भी साढ़े ६६ प्रतिशत रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मेरे खयाल से इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इस ग्रनुदान पर कोई बड़ी बहस करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

दूसरे ग्रनुदान संख्या ३० देखी जाय तो हम लोग एक बहुत बड़ा काम यह कर रहे हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्मारक इंग्लैन्ड में बनाने जा रहे हैं। इंग्लैन्ड के एक साहब उसके चेयरमैन हैं जो हजारों पौंड मांग-मांग कर उसमें दे रहे हैं। जब इस देश के दूसरे प्रदेश उसमें रुपया दे रहे हैं तो हमारी सरकार को भी चाहिये कि जितना रुपया उसमें दे सके दे। लोकमान्य तिलक जी हमारे देश के भगवान कहे जाते थे ग्रौर उनका स्मारक बनवाने में हमारा देश गौरवान्वित हो रहा है। वे इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सब से ग्रग्रणी रहे। ऐसी हालत में इन ग्रनुदानों पर मेरी राय में कोई बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—ग्राप जल्दी समाप्त करें। दो मिनट ग्रौर ले लीजिये।

श्री लालबहादुर—मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात जो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं वह यह कि कानपुर का जो अस्पताल है उसमें हम रेडियम कैंसर बना रहे हैं। जहांतक मुझे मालूम है हमारे प्रदेश में ऐसी कोई चिकित्सा नहीं थी। मुझे याद है कि सन् १९५४ में एक बहुत गरीब आदमी इस रोग से परेशान हुआ। उसके लिये हम कई जगह दौड़े। अन्त में शायद पटना और बंगलौर में दो जगह उसकी चिकित्सा करवानी पड़ी। इसलिये मैं अधिक न कह कर यही कहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पास हो जाना चाहिये।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले तो बोलने का इरादा नहीं किया था लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कंसालिडेशन के बारे में चन्द बातें कहीं हैं इसलिये मैं दो, तीन मिनट में उसके बारे में कहना चाहता हूं।

पहली बात यह कही गयी कि राजस्व मंत्री भला जागे तो और इस बात का एहसास किया कि जनता का सहयोग कंसालिडेशन के काम के लिये बहुत जरूरी है। मैं बहुत शुरू से जगा था, कभी सोया हुआ नहीं था। जैसा कि यहां की सरकार की कार्यवाहियों से जाहिर है जनता का सहयोग हम हमेशा से चाहते हैं और हमेशा से महसूस करते हैं कि बिना जनता के सहयोग के कंसालिडेशन क्या कोई काम सफल नहीं हो सकता। हमने पंचायत राज ऐक्ट बनाया, इस सदन ने उसे पास किया। कितने अधिकार जनता को दिये गये। हमने कम्युनिटी ब्लाक्स और डेवलपमेंट ब्लाक्स खोले। उसमें भी जनता का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। हमने जो कंसालिडेशन ऐक्ट बनाया उसमें भी विलेज कंसालिडेशन कमेटीज बनायीं। इन सब का उद्देश्य यही है कि जनता का सहयोग हमें प्राप्त हो। तो यह कहना ठीक नहीं मालूम होता कि हम आज जगे और इसका एहसास मुझे आज हुआ।

दूसरी बात यह कही गयी कि १५ रुपये से कम ले कर कोई लेखपाल नकल नहीं देता है। मुझे अफसोस है कि आजकल हमारे किसी मित्र ने कोई स्पेसिफिक केस नहीं दिया और अगर किसी ने दिया होगा तो हमने जरूर मुनासिब कार्यवाही की होगी। अगर किसी मित्र के सामने कोई स्पेसिफिक केस आ जाता है तो हमें बतायें और जो कुछ मुनासिब कार्यवाही हम कर सकते हैं उसको करने का वादा तो हम करते ही हैं, इरादा भी रखते हैं।

एक बात यह कही गयी कि कंसालिडेशन के काम को दो हिस्सों में बांट देना चाहिये। करेक्शन आफ रेकार्ड्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट करे और बकिया हिस्सा प्लानिंग डिपार्टमेंट करे। मुझे अफसोस है कि जिन माननीय सदस्य ने यह बात कही है उन्होंने जब कंसालिडेशन विधेयक इस सदन के सामने पेश था ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था। आज ऐक्ट पास हो गया और उसके अनुसार विभाग कार्यवाही कर रहा है। अब हम से कहा जाता है कि इसको अलग कर दो तो यह व्यावहारिक भी नहीं है क्योंकि करेक्शन आफ रिकार्ड रेवेन्यू विभाग कर सकता है लेकिन जहां तक चक बनाने के प्रिंसपिल्स का सवाल है उसमें ऐक्सपर्ट्स की जरूरत हुआ करती है। इसमें रेवेन्यू विभाग के अहलकारान को ट्रेनिंग देकर उनके सुपुर्द यह काम किया गया है। अब अजसरे नौ हमको यह सुझाव दिया जाता है तो जब तक ऐक्ट को रद्द न किया जायगा और तरमीम न लाई जायगी तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि प्लानिंग के द्वारा कीजिये। इसके लिये पहले हम एक बिल लायें और एक सप्ताह तक इस सदन में पेश करें, फिर अपर हाउस में जाय और कंसेंट आये तब कहीं इसका अमलदरामद हो तो जो काम इस समय हो रहा है उसको भी ठप्प कर दिया जाय। इसमें हम कोई सेंस नहीं समझते हैं।

एक बात और कही गई कि कंसालिडेशन में जितने अहलकारान हैं वह एक साल में इतना कमा लेते हैं कि उनको दुबारा नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह से जनरेलाइज कर देना कि इस विभाग में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ईमानदार नहीं है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं। हमारे विभाग में २०,२५ हजार आदमी हैं उनमें बहुत से बड़े ईमानदार हैं। हां, उनमें कुछ ब्लैकशीप भी हो सकते हैं। इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से कहना उनके साथ फेअरनेस नहीं है और इसमें अत्युक्ति है।

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

हमारे साथी शिवराज बहादुर ने ७५ फीसदी एक चक बनाने के लिये कहा है। हम पहले एक चक ही करने का प्रयास करते थे। लेकिन लोग ऐतराज करते थे लिहाजा ऐसा सोचा गया कि कहीं दो चक कर दिये जायं। मान लो किसी के पास दो तरह की जमीन है उसको एक चक ही में कर दिया तो उसके साथ ज्यादती हो जायगी। इसमें गुंजाइश यह रखी गई है कि ७५ फीसदी एक चक बनाने की कोशिश की जाय लेकिन यह लाजमी नहीं है। जहां किसान कहते हैं दो चक होंगे वहां दो और जहां एक चक के लिये कहते हैं वहां एक चक होगा क्योंकि किसानों को हम तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। उनकी बहबूदी के लिये ही यह स्कीम है। जहां जहां चकबन्दी हो गई है वहां से काफी लोग आये हैं और वह बड़े संतुष्ट हैं। इसमें ज़रा भी मुगालता नहीं है। पश्चिम के लोग बहुत संतुष्ट हैं और जहां चकबन्दी शुरू हुई है वहां के लोग घबराते हैं। बाद को वह भी मुतमईयन हो जायेंगे। ऐसी मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री गोविन्दसिंह विष्ट से) आपका सात मिनट का ही समय है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि यह मामला बिलकुल गलत है। श्रीमन्, जो लिखकर मैंने अल्मोड़े जिले की घूसखोरी के बाबत भेजा था वह ठीक है। वहां बंदोबस्त चल रहा है और दिन दहाड़े खूब घूस चल रही है। यह जो शिकायत थी उसमें चार सरपंच और छः सभापति और १००, २०० गांव वालों के दस्तखत थे, और घूसखोर लोगों के नाम लिए हुए थे कि फलां ने कालीन लिया और फलां ने शराब लिया, और गलत इंदराज किये गये। माननीय मंत्री जी को खुद पता है। उनके आफिस के दस्तखत हैं। यहां से ले कर डिप्टी कमिश्नर तक हर एक के पास प्रतिलिपि भेजी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस आदमी की शिकायत की गयी उसको यह कार्य सौंपा गया कि वह जांच करे कि यह बात सही है या नहीं। उसने जिन्होंने शिकायत लिखी थी उनको बुरी तरह से धमकाया कि 'तुम्हें' जेल में डाल देंगे। मेरी मंत्री जी से मांग है कि इन आरोपों की जुडीशियल इन्क्वायरी हो।

दूसरी बात मैं इस सिलसिले में कह दूं, यहां पर मेरा काम श्री नवलकिशोर तथा देवकीनन्दन विभव जी ने बहुत हल्का कर दिया है। अगर कोई एकदम नयी चीज है तो अनुपूरक बजट में आनी चाहिये लेकिन जो पहले से फोरसीन थी वह सप्लीमेंटरी बजट में नहीं आनी चाहिये।

माननीय लालबहादुर जी अभी दो एक बातें कह गये। जिन सदस्यों का नाम मैंने लिया उनको उन्होंने इतना काबिल समझा कि एक को पहले प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया और दूसरे को बाद में सभापति बनाया। उन्हीं को मैंने कोट करके कहा। सरकार की तरफ से एक जो बड़ा अत्याचार किया गया है, वह यह कि ७ करोड़ रुपये की धनराशि ऐसी है जो रिएप्रोप्रिएट की गयी है। ४ करोड़ नया रुपया मांगा गया है यानी ११ करोड़ की जो गलत बजटिंग हुई थी, उसको तीन–चार घंटों के अन्दर वह पास करवा लेना चाहते हैं। यह प्रजातन्त्र का मखौल है, ढोंग है। अभी हमने मार्च में बजट पास किया और सितम्बर के शुरू में ११ करोड़ का बजट गलत हो गया है। मुबारक हो इस सरकार को और इस बजट बनाने वालों को। इतने महीनों के अन्दर इतना गलत एस्टीमेट हो जाता है। श्रीमन्, मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों का मशकूर हूं। उन्होंने जो पुस्तिका निकाली है उसमें कम से कम पेश कर दिया है कि इतने टैक्सेशन के बावजूद क्या नतीजा निकला है। प्रथम पंच वर्षीय योजना के वक्त सारे भारतवर्ष की आमदनी का १८.४ प्रतिशत थी यू० पी० की आमदनी थी १९५८–५९ में वह १५.९ प्रतिशत रह गयी। हम और इससे आगे देखें तो १९५०–५१ में सारे देश की पर-कैपिटा आय २४६.३ थी और यू० पी० की उस वक्त २५८.२६ रु० थी। और

परसेंटेज १०४.९ था वह १९५८-५९ में ८८.२ आ गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जो पुस्तिका दी है, उसमें दिया है कि जो यू० पी० की पर कैपिटा इन्कम २५८.२६ थी वह अब घट गयी है। इसके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसका जो कारण दिया जाता है, उसको देखें। इसी पुस्तिका में लिखा है—

"Either a supreme effort has to be made and positive steps taken for improving the situation, or the State has to get reconciled to a stagnant economy. It is necessary to point out that the increase in population is not an adequate explanation of the relatively slower growth of the economy of U. P. The increase in population by itself cannot explain the static *per capita* income in the State because India's *per capita* income has been rising and there are indications that the rate of growth of population in U. P. is lower than the rate of growth of population in the country as a whole."

तो मैं, श्रीमन्, प्लानिंग डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कहने की। एक लंगड़ी दलील है कि हमारी आबादी बढ़ गयी लिहाजा पर कैपिटा इन्कम घट गयी जब कि जिस रेट से देश में आबादी बढ़ी उतनी यू० पी० में नहीं बढ़ी। हम बजट में देखते क्या हैं? कहीं पर कूलर बढ़ रहा है कहीं लिफ्ट लग रहा है। विधान सभा के चुनाव में जनता ने लिफ्ट दे कर हमें एसेम्बली में बिठा दिया, किसी किसी को हमारे कांग्रेसी भाइयों ने लिफ्ट दे कर मिनिस्टर बना दिया और कौन कौन लिफ्ट चाहिये? अब तो केवल एक ही लिफ्ट की जरूरत है, स्वर्गलोक की। उस गरीब, बेकस, भूखों मरते टैक्स पेयर के पैसे से, २० सीढ़ियां न चढ़ कर अपने लिये लिफ्ट लगवाना, कूलर लगवाना, यह कहां तक उचित है? एक आदमी ने मुझ से कहा कि अच्छे एम० एल० ए० हो गये। खूब रुपया कमाते हो। उन्होंने कहा कि अखबार में निकला है कि किसी इसी आदरणीय सदन के एक सदस्य ने २९८ १/२ रेल के टिकट चौथाई कीमत पर ले लिये हरिजन किसानों के नाम पर। जो २५३ टिकटों के लिये गलत बात थी।

श्री उपाध्यक्ष—इसका क्या सम्बंध है इससे?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह कृषक समाज द्वारा हुआ था। इस तरह से हम इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसके नाम पर हम लोगों को बदनाम किया जाता है चाहे वह किसी दल के क्यों न हों लेकिन इससे सब के सब एम० एल०ए० बदनाम होते हैं। तो इस तरह से कृषक समाज के नाम पर या युवक दल के नाम पर कुछ कांग्रेसी विधायक सरकारी रुपये को, जनता के रुपये को लेते हैं और उसका इस तरह दुरुपयोग होता है।

श्रीमन्, इसमें गलत बजेटिंग हुई है, वक्त की कमी की वजह से मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कहा यह गया है कि उद्योग की ग्रान्ट ऐसी है कि इसी में से उस ३,८४,००० रु० की, जो गांधी आश्रम को दिया गया है बचत हो सकती है लिहाजा एक टोकेन ग्रान्ट १००, की रख दी गई है। तो, श्रीमन्, यह कैसी बजेटिंग होती है?

वनों के बारे में एक बात कही गई है। मैं उस पर इतना जरूर कहूंगा कि इसमें सरकार की नीति दोधारी है। एक तरफ तो कहते हैं जेल के सम्पूर्णानन्द कैम्प के लिये वन की ३ हजार एकड़ जमीन ली जायगी, फारेस्ट कटेगा सम्पूर्णानन्द कैम्प के लिये और दूसरी तरफ वन मंत्री कहते हैं कि हमारा फारेस्ट नहीं कटना चाहिये। यह भी कहते हैं कि तमाम लोगों ने और पुराने जमींदारों ने बहुत से फारेस्ट काट डाले हैं। तो एक तरफ तो जंगल काटने की बात और दूसरी तरफ हमारे ऊपर यह आरोप लगाना यह दोधारी नीति नहीं तो और क्या है? एक पालिसी फिक्स्ड होनी चाहिये और उसके मुताबिक सारे डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

उत्तराखंड की बात कही गई। उत्तराखंड में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस तरह से वालकैनाइजेशन की बात उसमें की गई है वह कुछ उचित नहीं है। यानी उसमें कोई सिद्धांत नहीं रखा गया है। एक तरफ पिंडारी ग्लेशियर से उतर

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

की जमीन जो सीमा से ३०—३५ मील दूर ही रह जाती है उसे नये जिले पिथौरागढ़ में नहीं लिया गया है और दूसरी तरफ रामेश्वर को जो कि सीमा से १५० मील दूर पड़ता है नये जिले में ले लिया गया है। श्रीमन्, मैं अगर यह आरोप लगाऊं कि चूंकि वह उधर बैठने वाले सदस्य की कांस्टीट्यूएंसी में रामेश्वर पड़ता है उनका घर का इलाका है इसलिये ले लिया गया है तो कोई अनुचित न होगा। तो अगर आज जब कि देश की सुरक्षा खतरे में है तब भी सरकार राजनीति लगाती है सीमा की सुरक्षा के मामले में तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है।

हमने कम्पल्सरी मिलिटरी ट्रेनिंग की बात कही थी। सरकार ने उसको नहीं माना, अगर मान लिया होता तो आज यह खतरा न होता।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस एतराज का जवाब देना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री बजट जो पेश किया गया है इसमें कुछ गैर मामूली बात सरकार की तरफ से हुई है, यह बात नहीं है। सप्लीमेंट्री डिमांड हमेशा बजट के बीच में जब नये अखराजात होते हैं तब पेश करने होते हैं। अगर रुपया होता भी है तब भी अगर कोई नया खर्च हो जिसका कि अप्रूवल लेजिस्लेचर से हासिल न हो तो उसको लेजिस्लेचर के सामने लाना कांस्टीट्यूशन की रू से और जो हमारे रूल्स हैं उनकी रू से जरूरी होता है। इसीलिये आप यह देखेंगे कि यह बजट जो आपके सामने पेश है वैसे तो यह है ४.१७ करोड़ का है, लेकिन उसी बजट में जहां जहां भी यह लिखा गया है कि १०० रुपये की मांग की गई है वह महज इस गरज से कि लेजिस्लेचर की अप्रूवल उस खर्च के लिये हमको मिल जाय और इस वक्त जो हमने अंदाजा लगाया है उस अन्दाजे की रू से हम यह समझते हैं कि उसमें रुपया बचेगा साल के आखीर में, इस वजह से उसके लिये कोई एक मजीद रुपया मांगने की इसमें कोशिश नहीं की गई है, तो इस तरह से कुल जब आप देखेंगे तो तकरीबन ९.३५ करोड़ रुपये का यह पूरा बजट है आपके सामने और उसमें से जो मांग की गई है वह केवल ४.१८ करोड़ है।

अब मैं मिसाल के तौर पर ग्रान्ट नम्बर १३ लेता हूं जिसको कि गेंदा सिंह जी ने वाटर कूलर ग्रान्ट कहा है। उसी ग्रान्ट में आप देखेंगे कि डीअरनेस एलाउंस है उसकी तफसील दी हुई है कि उसके लिये भी रुपये की मंजूरी इस सदन से हम चाह रहे हैं और इसी वजह से इसकी तफसील उसी ग्रान्ट नम्बर १३ में दे दी गई है। और इसमें मसलन यह जो डियरनेस अलाउन्स का है इसके लिये कुल ३.७१ करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी जिसमें से १.८४ करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलेगा और १.८७ करोड़ रुपया हमारी स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी लेकिन हमने इसमें, जैसा कि इस बजट में आप देखेंगे, अभी कोई रुपया नहीं मांगा है। खाली इसके लिये १०० रुपये की सप्लीमेंटरी डिमान्ड आपके सामने पेश की है क्योंकि जो रुपया हमको मिलेगा उसके खर्चे में कमी होगी। उससे जो कुछ बच जायगा उसके लिये तो आखिर में सप्लीमेंटरी आयेगा? उस वक्त सही-सही अन्दाजा हो सकेगा है कि कितना रुपया इसके ऊपर खर्च होने जा रहा है। यह खर्चा किया जा रहा है पहली अप्रैल से लेकिन इस वक्त पूरा रुपया नहीं मांगा गया है। इस वजह से १०० रुपये की मांग आपके सामने रखी है। इस रुपये को निकाल दें तो १.४६ करोड़ रुपया ऐसा रह जाता है जिसको पूरा करने की हमारी कोशिश है और उसके लिये हर जगह के ऊपर यह लिखा गया है कि इतने १०० रुपये की मांग हम कर रहे हैं। वह पूरा हो जायगा। हर जगह पर लिखा गया है कि खर्चे का अन्दाजा इतने का है लेकिन हम मांग १०० रुपये की कर रहे हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि सेविंग से यह रुपया बचेगा। तो इस तरह से घटकर जो मांग रह जाती है वह कुल ४.१८ करोड़ ही है जो आपके सामने पेश है।

अब इसमें से आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि १.८३ करोड़ रुपया हम बोर्डर एरियाज के डेवलेपमेंट के लिये ले रहे हैं। वहां पर जो हमको काम करने पड़े हैं, जो वहां पर सड़कें बनाई गई हैं मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं, उसके लिये इस रुपये की जरूरत पड़ेगी।

इसी तरह हमने प्लान के खर्चे के लिये ५८ लाख रुपया मांगा है। आप देखेंगे कि वह सब इसमें शामिल है लेकिन इसमें फिर दोबारा मांगना पड़ा है मुख्तलिफ किस्म के अखराजात के लिये इसमें मलेरिया इरेडिकेशन के लिये ५०.८२ लाख रुपया हमने मांगा है। ७ लाख रुपया बंगलों को बनाने के लिये मांगा है। ६० लाख रुपया हमने रेजेन्यू एक्सपेन्डीचर से मांगा है जो प्लानिंग के बाहर है। इसमें से बहुत बड़ी रकम हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी जो करीब ३ करोड़ के है। ४.१८ करोड़ में से यह वह रकम है जो हमको सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लोन्स एन्ड ग्रान्ट की शक्ल में मिलने की उम्मीद है। इस तरीके से एक माने में जो टोटल सप्लीमेंटरी डिमान्ड है वह ९.३५ करोड़ रुपये की है।

दूसरे माने में अगर आप देखें कि स्टेट के ऊपर बार कितना है तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त जो मांग रहे हैं वह निहायत छोटी रकम है। वह रकम ४.१८ करोड़ है और अगर उसमें से ३ करोड़ निकाल दिया जाय जो सेन्टर से मिलेगा तो १.१८ करोड़ ही रह जाता है जिसका बार हमारी स्टेट पर पड़ेगी। इस तरह से यह कोई गैर मामूली चीज नहीं है और खासकर ऐसे जमाने में जिस वक्त कि हम इतने बड़े प्लान को चला रहे हों। हम प्लान के आखिरी साल में हैं और आखिरी साल के फिगर आपके सामने आयेंगे और उस पर बहस भी होगी। उससे पता चलेगा कि हमारे पूरे सूबे का जो प्लान है वह तकरीबन २५३ करोड़ रुपये का था लेकिन उसमें से बाकई जो हमने खर्च किया है इन पांच वर्षों के अन्दर वह २२० करोड़ रुपये के करीब आता है। बावजूद इसके कि हमारे यहां इतनी कोशिश की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन कभी फौरन एक्सचेन्ज न मिलने से कठिनाई हो गई, कभी जमीन मिलने में मुकदमेबाजी हो गई जिससे कई स्कीमें नहीं चल सकीं। इस तरह के झंझट होते रहे। इस वजह से पूरी नहीं कर सके। तो हमारी कोशिश यह है कि जो ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं इस प्लान के आखिरी साल के दौरान में, उसको पूरा करें। उसके लिये हमको यह जरूरत पड़ेगी। जिन अखराजात का करना जरूरी है, उनके लिये हम चाहते हैं कि हाउस के सामने पेश कर दें ताकि हाउस उनको पास कर दे और हम हाउस की मन्जूरी ले लें। वैसे तो जो रुपया खर्च करना होता है, कंटिजेंसीं फंड रहता है ४ करोड़ का, उसमें से खर्च हो जाता है, लेकिन लेजिस्लेचर की मंजूरी के लिये वह रकम यहां आनी चाहिये इसलिये यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आप के सामने पेश की गयी हैं।

अब रह गये कुछ एतराजात जो मखसूस किये गये। गेंदा सिंह जी ने एक ताज्जुब की बात कही कि लीसा आप प्राइवेट आदमियों को देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पालिसी यह है कि लीसा हम या तो गवर्नमेंट की एक कंपनी है आई० टी० आर० उसको देते हैं अथवा कोआपरेटिव को। बकिया थोड़ा-सा लीसा मजबूरन एक आदमी को दिया गया था जिसका मामला बहुत पुराना चला आ रहा था, किसी जमाने में उसको नुकसान हो गया था तो उस एक आदमी को ५,००० मन लीसा देना पड़ा ऐज ए स्पेशल केस। और उसे भी हमने बाजार भाव, ३० रुपये मन की कीमत पर लीसा दिया। तो इस वजह से यह कहना कि हम प्राइवेट आदमियों को लीसा देते हैं गलत है। जो लीसा भी हम दे रहे हैं वह आई० टी० आर० या कोआपरेटिव्ज को दे रहे हैं और उसकी कीमत का मसला बन तथा इंडस्ट्रीज विभाग के बीच चल रहा है और उसका फैसला जल्दी ही होगा। कुछ लीसा हम नीलाम कर देते हैं ताकि हम को बाजार भाव का अंदाजा रहे। यह कम्पनी ८० फीसदी सरकारी है और उससे एक एग्रीमेंट की बेसिस पर कीमत वसूल की जाती है जिसकी मियाद १९६२ तक है।

मेरे खयाल में माननीय सदस्य इस बात को वेलकम करेंगे कि अब की दफा हमने यह महसूस किया कि बाज-बाज मुहकमों में, मसलन एक्साइज, सेल्स टैक्स या एग्रीकल्चर में, जिनमें इंस्पेक्टर्स के दो ग्रेड हैं उनको प्रमोशन के कोई चांसेज नहीं हैं, ताकि वह अपना काम दिला सकें और तरक्की कर सकें इसलिये हम ने उन के लिये एक स्पेशल ग्रेड बना दिया है ताकि अगर वे अच्छा काम करेंगे तो उनको स्पेशल ग्रेड मिल सकेगा। और गालिबन वह भी १० फीसदी से ज्यादा न होगा। २०० में २० आदमियों को वह स्पेशल ग्रेड मिल सकेगा और उसकी

[श्री सैयद अली जहीर]

तनख्वाह हम ने निर्धारित कर दी हैं। अभी तक वे ग्रेजुएट्स होते थे, चार उन में से इंस्पेक्टर हो जाते थे और दो, चार और पोस्ट्स थीं जिनमें उनको तरक्की मिल सकती थी। कुल ८ पोस्ट्स थीं जहां वह प्रमोशन पर जा सकते थे और बाकी वह जिस जगह पर आते थे वहीं रहते थे। यह सही है कि उन के खिलाफ शिकायतें आती हैं और कभी कभी कहा भी जाता है कि उनमें बड़ा करप्शन है, लेकिन जो इतला हमारे पास आती है तो उस पर हम जांच करते हैं और कार्यवाही करते हैं। कई को सजा मिल चुकी है, कई अलाहिदा भी कर दिये गये हैं। तो जो शिकायतें आती हैं उन पर कार्यवाही की जाती है। इन सब बातों को सोच विचार कर हमने यह जरूरी समझा कि उन के लिये कुछ न कुछ गोल बना दिया जाय कि अगर वह अच्छा काम करें तो उनको प्रमोशन मिल सके और वे और अच्छी तनख्वाह पा सकें। इस के लिये आपने देखा होगा कि उन के लिये साढ़े चार सौ तक का एक नया ग्रेड कायम किया गया है और इसकी वजह से डिपार्टमेंट में काफी इंप्रूवमेंट होगा, ऐसी आशा है।

इसके अलावा और बहुत सी बातें कही गयी हैं उनका जवाब, जब डिस्कशन होगा उस समय दिया जायगा। जो आम बातें थीं उनका जिक्र मैंने कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आम वाद विवाद खत्म हो गया। अनुदानों पर बहस मुबाहसा ४ बज कर १० मिनट तक होगा और फिर गिलोटिन अप्लाई हो जायगा। तो मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहूंगा कि वे चाहें तो मुख्य, मुख्य अनुदान इसमें से चुन लें और बाकी सब पर बाद में वोटिंग हो जायगी।

१९६०–६१ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७–भू-राजस्व

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २–भू-राजस्व लेखा शीर्षक : ७–भू-राजस्व के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, जो साहित्य दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि क्यों यह रुपया मांगा जा रहा है। इसमें ५०० रुपये हर साल हर जिले में जहां-जहां चकबन्दी का कार्य हो रहा है वहां उन गांवों के लिये इनाम के लिये रखा है जहां का कार्य अच्छा और सफल हुआ है। यह रुपया गांव समिति के फंड में जमा होगा। यह इनाम के तौर पर रखा गया है ताकि लोगों को कुछ इस ओर प्रोत्साहन मिले और कार्य सफलतापूर्वक हो। यही इसका मकसद है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अवस्थी जी, आपको केवल ७ मिनट मिलेंगे।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्योरा। चकबन्दी नीति की असफलता।

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक रुपये में क्या होगा ? काम कैसे चलेगा ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं अभी बताता हूं, काम कैसे चलेगा। श्रीमन्, इन अनुदान के जरिये पांच, पांच सौ रुपये एक तरह से इनाम के तौर पर देने के लिये प्राविजन किया जा रहा है, और इस तरह से कुल खर्च १७,५०० रुपये के करीब होगा और उसके लिये १०० रुपये की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टोकिन ग्रान्ट की मांग की गयी है। यह सचमुच एक धोखे का पिटारा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ तहसीलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां के बारे में मेरा निजी अनुभव है। मैं अभी १०-१५ दिन ही हुए हैं, फतेहपुर जेल से आया हूं। वहां पर जो मेरे साथी थे, उन कैदियों से मेरी बातचीत हुई और उनकी आत्मकहानी मैं बताता हूं।

इस चकबन्दी के कारण आज कितने ही लोगों को जेल जाना पड़ा है। हमारे यहां गांव में काफी लोग अशिक्षित हैं। इन लोगों के सामने यह चकबन्दी चकमाबन्दी की तरह है। उन बेचारों की जमीन निकल जाती है, उसके स्थान पर जो उन्हें मिलती है वह खराब जमीन होती है जब एतराज होता है तो मारपीट होने लगती है। और जब फौजदारी होती है तो मुकदमेबाजी होती है, उनकी कुर्की होती हैं, और लोगों को जेल जाना पड़ता है। इस चकबन्दी के कारण लाभ केवल कुछ ही इने-गिने लोगों को होने वाला है। यह सरकार कहती है हमको इसमें सहयोग मिल रहा है, मगर सहयोग नहीं, असहयोग मिलता है और उस असहयोग को सरकार सहयोग कहती है और यह इनाम रखती है। आपके आफिसरान वहां जाते हैं और एक, दो आदमी को फुसलाकर अपने काबू में कर लेते हैं और उनको इकट्ठा करके मीटिंग कर लेते हैं और चकबन्दी का कार्य शुरू होता है। लोग अपना सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन चकबन्दी का कार्य जबरदस्ती किया जाता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उससे फायदा हुआ है, मगर वे उन गरीब आदमियों से जाकर मालूम करें कि इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। फायदा उसको जरूर हुआ है जो इस चकबन्दी की तिकड़मबाजी को जानता है। लेकिन उस गरीब अशिक्षित जनता को उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। उनके लिये तो यह चकबन्दी एक चकमाबन्दी की तरह ही है। मैं आपको याद दिलाऊं, किसी समय आपने स्वयं अपने शब्दों में यह कहा था कि चकबन्दी तो एक तरहसे दोहरी तलवार है, चाहे उसे अपने मारो या दूसरे के मारे यह बात सही है, लेकिन यह दोधारी तलवार हमेशा किसान के ऊपर लगी रहती है और उसका गला काट रही है। तो आप अभी अपनी चकमाबंदी की चकबन्दी को न लाइये, जिसमें किसानों का अहित हो। मैं अपनी आंखों की देखी और उनके बयान पर कह रहा हूं, आप कानों की बात और अपने अफसरों की बात कहते हैं। इसके फलस्वरूप कितने परसेंटेज अफसरों को आपने दन्ड दिया जितनों को आपने लगाया? यह मानी हुई चीज है कि इसमें भ्रष्टाजार चल रहा है, तो फिर बतायें कि कितनों को दंड दिया? आपके पास शिकायत ही नहीं आती हैं। वह तो जब सैकड़ों और हजारों की तादाद में हाई कोर्ट में पहुंचते हैं उस सूरत में आती है।

इसलिये यह जो अनुदान है इनाम देने का यह सचमुच में पूर्ण आहुति है। सब कुछ ले लिया और अब पूर्ण आहुति में ५-५ सौ रुपया देने की बात है। आप फूल चढ़ा रहे हैं शहीदों पर। हमारी समझ में यह अनियमित है सदन इसको स्वीकार नहीं करेगा। इस चकमाबंदी से उनका ही लाभ हो रहा है जो पढ़े-लिखे तिकड़मबाज होशियार वकील कानून के जानने वाले हैं। वह आपकी तारीफ करते हैं और आप उनकी तारीफ करते हैं, यही चलता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मान्यवर, समय का ध्यान रखते हुये मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन जिन माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव हैं, वह संक्षेप में प्रस्तुत कर दें और मंत्री जी उसका जवाब दे दें तो सभी ग्रांट्स पर विचार किया जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--राजस्व के अनुदान पर सवा घंटा ही है आपके पास, उसमें क्या फायदा होगा?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो पेश हो गया, आप सिर्फ बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मुझे बन्दोबस्त की धांधलियों पर कहना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। राजस्व मंत्री उस समय थे नहीं। मैंने उनकी सेवा में पत्र भेजा कि अल्मोड़ा जिले के रामपुर परगने में घूस में अमीन आदि ने कालीन लिये हैं, रिपोर्ट में उनके नाम दिये हैं। जांच आपने उसी ए० आर० ओ० से कराई है जिसके विरुद्ध शिकायत है। उच्च अधिकारी से उसकी जांच करावें, यही मुझे कहना है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र अवस्थी जी ने जो बातें कहीं उनसे पता चला कि फतेहपुर जेल में जितने लोग थे सब चकमे में फंस कर गये थे—कोई चकबंदी के चकमे में, कोई सत्याग्रह के चकमे में—यही मालूम होता है। मैं अपने मित्र को यह बता दूं कि हमारे पास धनी-मानी काश्तकार नहीं, बल्कि गरीब से गरीब काश्तकार, जहां चकबंदी हो गयी है वह भी काफी तादाद में मुझ से मिले थे और उन्होंने भी अपना संतोष प्रकट किया। मैं उनकी झोपड़ियों में भी, गांव में भी जाता हूं, खाली कोठी पर तो मोती लाल अवस्थी ऐसे आदमी आ सकते हैं, गरीब कौन आ सकता है, तो उनसे भी जब सम्पर्क हुआ तो जानकारी हासिल करने के लिये मैंने पूछा। अधिकांश लोगों ने सैटिस्फैक्शन जाहिर किया। हां, हर गांव में कोई न कोई चकमा देने वाला आदमी रहता है, वह भले ही संतुष्ट न रहा हो, क्योंकि जितने चकमा देने वाले थे वह फतेहपुर जेल में थे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आर्डर, आर्डर, आप बोलने दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब आप बोलते थे तो मैं बिलकुल खामोश था।

कुछ मालूम होता है कि लौटकर आने पर और भी ज्यादा गड़बड़ हो गये हैं। जिनके खिलाफ करप्शन साबित हुआ उनको बरखास्त भी किया। अब कितने परसेंटेज है यह तो जबानी मुझे याद नहीं है क्योंकि आंकड़े मुझे याद नहीं रहते लेकिन यह वाकया है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमने उनको सजायें दी हैं और सख्त सजायें दी हैं। बरख्वास्तगी से बड़ा कैपिटल पनिशमेंट कोई मुलाजिम के लिये नहीं होता। इससे यह साबित होगा कि हमारी निगाह सब पर है और जो हमारे पंजे में आ जाता है उसको हम स्पेयर नहीं करते । जो पांच सौ का इनाम है इसमें किसी किस्म का कोई चकमा नहीं है। हमारे गांवों के लोग अब इतने सीधे और भोले भाले नहीं हैं जो किसी के भी चकमे में आ जायं, न मेरे और न आपके। और आपके से मेरा मतलब श्रीमान् से नहीं है बल्कि अवस्थी जी से है। वे अपना हानि लाभ समझते हैं और कुछ बाज औकात हमारे भाइयों ने चकबंदी के खिलाफ तमाम बदगुमानियां पैदा करने की कोशिशें की हैं हालांकि ऐक्ट जब आया था तब तो सहमत थे लेकिन बाहर जाकर कुछ दूसरे ढंग का वायुमंडल पैदा करने की कोशिश की उसके कारण कुछ परेशानियां जरूर होती हैं लेकिन जब उनको कुछ तजुर्बा हो जाता है तो समझ जाते हैं कि बात क्या है। गांव के खास खास आदमी जो गांव के लोग नुमाइन्दे चुनकर विलेज कमेटीज में, कंसोलियेशन कमेटी में भेजते हैं तो शुरू से उनका सहयोग मुझे उपलब्ध होता है और इन प्रतिनिधियों के परामर्श से ही जितने काम हैं सब रख दिये गये हैं। यहां तक है कि बिना विलेज कमेटी के मशविरे के कोई काम अफसरान नहीं कर सकते। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि कहीं पर लूपहोल नहीं है। जो होते हैं और जो हमारी नोटिस में आते हैं उनको हम रफा करने की चेष्टा करते हैं। यह जो ५०० रुपया हम देंगे वह गांव समाज के फंड में जायगा। गांव समाज के पास पैसा कम है तो यह रकम उनके पास पहुंच जायगी और वह पब्लिक यूटिलिटी के काम में सर्फ होगा और इससे गरीब जनता का फायदा होगा। इसमें कोई चकमाबन्दी नहीं है और अगर आप यह कहते हैं कि एक भी पैसा धनराशि न हो तब तो हमारी समझ में आता लेकिन अगर १ रुपया भी है तो जो चकमाबंदी ५०० में रहेगी वही १ रुपये में भी रहेगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस कटमोशन को वापस ले लिया जाय और ५०० रुपया उन गरीबों के खजाने में जाने दिया जाय ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिये यह कहा कि जरा बिगड़कर निकले हैं। आपकी जेलों में यह होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो है जो उसमें जरायमपेशा जाते हैं और ज्यादा जरायमपेशा बनकर निकलते हैं। अगर वही असर मुझ पर हो गया है तो कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन मुझे सौभाग्य है कि मैं बिगड़कर निकला हूं क्योंकि ज्यों ज्यों मैं बिगड़ूंगा त्यों त्यों आपकी सेवा ठीक तरह से कर सकूंगा क्यों कि अगर मैं संरक्षाही करूंगा तो आप काम गलत करेंगे और अगर बिगड़ा तो आप काम ठीक करेंगे। इसलिये मेरा सौभाग्य है कि मैं बिगड़ रहा हूं।

अब जहां तक ग्राम समाजों की बात है जो ग्राम कमेटियां आप बनाते हैं वह दो, एक असरदार आदमियों की कमेटियां बना देते हैं। वे लोग अपनी मनमानी करके चक बनवा लेते हैं। यह देखने के लिये निर्वाचित कमेटी होती है सिर्फ दो, एक आदमियों की कमेटी होती है और वे अफसरों से मिलकर सांठ-गांठ करते हैं। यही सत्य है। आप उसको जानते भी हैं कि ऐसा हो रहा है लेकिन चूंकि आप सरकारी जगह पर बैठे हैं इसलिये आप स्कीमों का पृष्ठपोषण करेंगे ही। लेकिन जहां तक चकबंदी के सम्बन्ध में इनाम देने की बात है, जिस प्रकार से किसी की मृत्यु पर क्रिया काष्ठा में सर्च होता है उसी प्रकार से आप गांवों को तबाह करके यह क्रिया काष्ठा में सर्च कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा, चकबंदी नीति की असफलता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू—राजस्व—लेखा शीर्षक ७—भू-राजस्व के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत ७,१०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि तफसील में लिखा हुआ है यह रकम ज्यादातर इसलिये मांगी जा रही है कि जो जंगल के बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें और सड़कें बनाई जायं। तफसील में जैसा कि लिखा हुआ है कि इसके लिये हमको स्पेशल ग्रान्ट सेंटर से मिलेगी और उससे हम यह सड़कें बनाने जा रहे हैं। जाहिर है कि आज जंगलों में सड़कों की कितनी ज्यादा जरूरत है और उन सड़कों के बिना जंगलों की तरक्की नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

बकीया जो और ग्रान्ट्स हैं वह सौ-सौ रुपये की हैं और इनकी जरूरत भी उसमें लिखी ई है। मुझे उम्मीद है कि हाउस उनको मंजूर करेगा।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। वन विकास सम्बन्धी सरकारी योजनाओं की त्रुटियों की चर्चा करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

मान्यवर, जैसा अभी अपने अनुदान पर बोलते हुये माननीय माल मंत्री ने कहा कि एक रुपये से काम चलने वाला नहीं है लेकिन वह विभाग ऐसा विभाग है जिसमें दिनों दिन आमदनी बढ़ती जा रही है और मेरा निश्चित मत है कि सप्लीमेंटरी बजट जो है इसमें उसका स्थान नहीं होना चाहिये था। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि सप्लीमेंटरी बजट में केवल अनफोरसीन आइटम्स ही आते हैं। इस ग्रान्ट में सिर्फ दो आइटम्स को ही अनफोरसीन कहा जा सकता है। एक तो कुमायूं वृत्त के अरण्यपाल के कार्यालय के लिये दो अंग्रेजी टाइपराइटरों की खरीद और दूसरा आइटम है हलद्वानी तथा सहारनपुर के डिवीजनल फारेस्ट कार्यालयों के लिये तीन टाइपराइटरों की खरीद। इन दो आइटम्स को तो अनफोरसीन कहा जा सकता है जिनकी नोटिस बजट में नहीं ली जा सकती थी। लेकिन इसमें जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण यह आइटम दिया हुआ है यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के दो वर्षों के बाद ही बन गई थी जो कि पेज तीन पर दी गई है तो फिर इसको कैसे अनफोरसीन माना जा सकता है? हम जानना चाहते हैं कि कौन सी आवश्यकता आ पड़ी जबकि सड़कों का एस्टीमेट पहले बन गया था। इसमें जो नम्बर १ पर ओखलखांडा–मनाघेर सड़क दी हुई है जिसके लिये ५० हजार रुपया रखा जा रहा है इसके लिये एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था ८२ हजार रुपया खर्च होने वाला है जोकि जिला नियोजन समिति की ओर से दिया गया तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद फिर ५० हजार रुपये की क्यों जरूरत आ पड़ी? सवा चार मील की सड़क है वह आधा मील भी नहीं बढ़ी तो फिर यह रुपया कहां से आ गया?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी हमसे बहुत अधिक अनुभव रखते हैं उनको समझना चाहिये कि सप्लीमेंटरी बजट में वही आइटम्स रखे जाते हैं जिनकी नोटिस पहले से नहीं होती है। विभाग ऐसा क्यों कर रहा है, इसका संकेत संशोधनों में दिया गया है। "वैज्ञानिक रूप से राजस्व में वृद्धि की जायगी" आप राजस्व में वृद्धि करना चाहते हैं लेकिन उस राजस्व से जनता को जो लाभ होना चाहिये, वहां की उपज जिन नागरिकों को मिलनी चाहिये उसका कहीं पता नहीं है। मैं यह मानता हूं कि सड़क बनाना उचित है लेकिन सड़क की योजना पहले ही बन गयी थी फिर सप्लीमेंटरी बजट में उसके लिये यह रुपया क्यों रखा जा रहा है? जो आइटम पहले से पता नहीं होते उनका ही सप्लीमेंटरी बजट में आना उचित होता है। अतः मैं वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट में नियमों के अनुसार उन्हीं आइटम्स का आना जरूरी होता है जो अनफारसीन हों। लेकिन जो चीज द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है, आपके प्लान में वह मौजूद है उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट में रुपया लाना उचित नहीं है। उसके लिये अनुदान की आवश्यकता नहीं है। फारेस्ट विभाग के पास बहुत-सा रुपया पड़ा हुआ है तथा वहां के लोगों के हक हकूक नहीं मिल रहे हैं, जो कच्चा माल उनको मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है, इसलिये इस रुपये के स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के लिये जो मांग रखी गयी है, मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि वह अनुचित है। हमारे यहां जिस जमीन पर धान पैदा होता था वह वन विभाग की तरफ से घेर ली गयी है। किसानों के मकान तक और कई गांवों को घेर लिया गया है। मैं चाहता हूं कि ऐसी जमीन जिसमें धान पैदा हो सकता है, उसको वन विभाग से मुक्त कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त वन में वे पेड़ लगवाये जाते हैं जिनसे जनता का कोई लाभ नहीं होता है। उनकी लकड़ी न तो जलाने के काम आती है और न किसी और दूसरे काम। ऐसे पेड़ भी नहीं लगाये जाते हैं जो फल देने वाले हैं जैसे आम, महुआ और फरेंदा। इनसे जनता को लाभ हो सकता है। इसलिये क्योंकि इस रुपये का सदुपयोग नहीं होगा इसलिये इसको न दिया जाय। मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मर्सीडीज बेंज ट्रक्स पर खर्च करने के लिये रुपया मांगा जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि उससे ४० हजार रुपया सालाना की बचत होगी। लेकिन जो लीसा इन ट्रक्स से लाया जाता है वह आजकल आदमी अपने सरों पर लाते हैं। उससे जो मजदूरी उनको मिलती है वह खत्म हो जायगी। मंत्री जी जो बचत करना चाहते हैं वह "गिन्नियों की लूट और कोयलों पर मुहर" वाली बात हो रही है। हमने ५६—५७ में रोजिन एन्ड टरपेटाइन कम्पनी को २,६२,३५९ मन लीसा दिया १३ रुपया फी मन के हिसाब से और लाभ उसमें हुआ २,५९,५४७ रुपया। अब आप कोआपरेटिव सोसाइटीज को १६ रुपया फी मन देते हैं। उस हिसाब से भी हमें ६—७ लाख रुपये से ज्यादा का लाभ हो सकता था केवल लीसा बेचने से। इसके अलावा मारकेट रेट पर अगर उन्हें देते तो ३० रु० से ज्यादा और २५ रुपया से कम फी मन नहीं होती लेकिन १७ रुपया मन तक कम पर हमने उसे बेचा। यानी यह रेवेन्यू वहां लीसा की कम आंकी गयी है। जब विकास के लिये कुमायूं के लिये रुपया मांगा जाता है तो कह दिया जाता है कि तुम्हारे यहां रेवेन्यू नहीं है और दूसरी तरफ जो हमारा लीसा है उसका रेट १७ रुपया फी मन कम करके दिखाया जाता है। दूसरी ओर लघु उद्योगों से जो बड़ी तादाद में आदमी काम पर लगते वे टर्पेन्टाइन कम्पनी में नहीं लगवाते।

दूसरी बात स्टार पेपर मिल की है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल बड़ी सरगर्मी है और कम्पनी वालों की दौड़धूप हो रही है, इसलिये वे जरा उनसे सावधान रहें क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे कुमायूं के हकूक पर अगर कुठाराघात हुआ है तो वह स्टार पेपर मिल की आरी से ही हुआ है।

तीसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने पहाड़ों पर सड़कों के बनाने की बात कही, तो अभी हाल ही में माननीय प्रताप सिंह जी के एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा था कि वहां की सब सड़कें ले ली गयी हैं, तो जब कोई बाकी सड़क है नहीं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली जा सके तो फिर इसकी क्या जरूरत है? माननीय मंत्री जी ट्रैक्टर्स खरीदने में तो पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन सड़कों के लिये नहीं खर्च कर सकते। आखिर ट्रैक्टर्स या मोटर्स चलाने के लिये भी तो सड़कें चाहिये ही। श्रीमन् २० मील की छड़ौन—दौड़म तथा धौलछीना सरोघाट व धोलछीना-पनुवालोना की सड़कों के निर्माण के लिये यहां कई बार कह चुका हूं जिसका बन जाना लीसा के ढोलान के लिये भी आवश्यक है लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अल्मोड़े की इन सड़कों के लिये मैं कितनी बार यहां प्रश्न कर चुका हूं लेकिन उसका जवाब ठीक से माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्रीमन्, एक चीज जो बड़ी खलती है वह यह है कि बरेली की जो रोजिन एंड टरपेंटाइन फैक्टरी है उसे सरकार सफेद हाथी के रूप में पाल रही है। विकास योजना के नाम पर बन विभाग से लीसा सस्ते दर पर यानी १७ रुपये फी मन कम पर उसे दिया जाता है। कहा जाता है कि सन् ६२ तक का उस कम्पनी को एक लाख मन लीसा का ठेका था लेकिन उसे तीन पौने तीन लाख मन लीसा क्यों दिया जाता है। अगर फी मन एक रुपया भी नफा हो तो करीब तीन लाख के हो जाता है। उद्योग इवेलुएशन कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें गैर सरकारी सदस्य सब कांग्रेसी थे कि मुनी की रेती कोआपरेटिव सोसाइटी को पांच हजार मन लीसा दिया गया और उसे ६० हजार रुपये नफा ही हुआ। लेकिन ऐसा न करके सरकार द्वारा बरेली की कम्पनी को ही ज्यादा लीसा दिया जाता है। भगवान के नाम पर अगर आप दरिद्रनारायण की सेवा करना चाहते हैं तथा वाकई सरकार की नीति छोटे उद्योगधंधों को पनपाने की है तो वह छोटी छोटी यूनिट्स जो कोआपरेटिव सोसायटीज की बनें उनको सहायता दें। उससे जो नफा होगा वह जनता की सेवा में जायगा और यह सफेद हाथी जो सरकार ने पाल रखा है बेकार है जहां कुछ बड़े बड़े अफसरों को बड़ी बड़ी तनख्वाह, बड़े-बड़े भत्ते उसमें मिलते हैं, इसके अलावा वह कुछ नहीं है। नफे के नाम पर तीन, पौने तीन लाख रुपया दिखाया जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि जहां

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

७१ लाख रुपये का कैपिटल लाक्ड धन है उसके हिसाब से यह क्या पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री जी छोटी-छोटी यूनिट्स बनावें और इस सफेद हाथी को न पालें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, जो मांग हमारे मंत्री जी ने की है कि वनों के उत्थान के लिये अनुदान दिया जाय, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि वनों से कोई लाभ जनता को नहीं है। जो दुर्भावना वन के अधिकारियों और जनता के बीच में पैदा हो गई है वह ऐसी है कि पता नहीं कब यह वन अधिकारी वनमानुष बनकर जनता पर टूट पड़ें।

श्रीमन्, लखीमपुर जिले की जेल में देखें, ४००-५०० कैदियों में १०० कैदी ऐसे होंगे जो वन विभाग द्वारा वहां भेजे गये हैं। जंगल में हाल यह है कि अभी कुछ लोग साइकिल पर जा रहे थे जंगल वालों ने उन्हें घेर लिया और उनकी सायकिल छीननी चाही। वह हेकड़ टाइप के थे, उन्होंने सायकिल नहीं दी और चले आये।

वनों के अन्दर एक साग होता है जिसे देवगरजा कहते हैं। अषाढ़ के महीने में लोग उसको निकाल कर बेंच लिया करते थे जो खाने के काम में आता है। वह अब नहीं निकालने दी जाती। साखू के फल से तेल निकाला जा सकता है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। उत्पादन में आप लगाते क्या हैं? केवल सागौन। हमारे जिले में जो जंगल लगा है उसमें रन्डा के पेड़ लगे हैं। तो इसीलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि :—

ऐ वन मंत्री बन मानुषपन की मनोवृत्ति को नष्ट करो
बन पशुवों सी खूंख्वार भावना से प्रदेश मत भ्रष्ट करो
कल्याण देश का चाहते हो तो विचारने का कष्ट करो
अप्सरा बली को नष्ट करो या बन विभाग को नष्ट करो
बन में केहरि भी रहते हैं और बन कुतिया भी रहती हैं
हैं आप व्याघ्र अफसर बन कुतिया मिल कर काटा करती हैं
जंगल में बास जन्तुओं का चोरों डाकुओं उल्लुवों का
जो उसके हैं पालक पोशक उनका दल है निठल्लुवों का
मैं कहता हूं मंत्री जी से यह चला चली की दुनिया है
सन बासठ में निश्चय तुमसे छिन जायें राज्य कुर्सियां हैं
जब कृषक यहां पर आयेंगे सब पद बरबस हथियायेंगे
तब आप कौंसिलों के बाहर, पछिताते से दिखलायेंगे।
यह जो जो ऐक्ट बनाते हो, वह सारे तोड़े जायेंगे,
यदि कोई बाधा डालेंगे तो दांत मरोड़े जायेंगे।
जिस पर तुम ऐक्ट बांधते हो, वह ज्ञानवान धीमान बड़ा
यह दुरुपयोग मतदानों का वह देख रहा है खड़ा खड़ा।
जिसने तुमको पद दान दिया, वह पदच्युत भी कर सकता है,
अपने ऊपरी बंधनों को वह नष्ट भ्रष्ट कर सकता है।
इससे है समय अभी चेतो, इतिहास राज्य का बनने दो,
यह पार्लियामेंटरी शासन है इसको कुछ दिन तो चलने दो
इसके निर्माण हेतु भारत ने बड़ी-बड़ी कुरबानी की
कांग्रेस जमात के द्वारा ही जेलों की भी मेहमानी की
यह नौकरशाही के दांतों में योग्य मंत्रियों मत सौंपो
यह बृटिश राज्य पाले हैं इनको निज शासन मत सौंपो
यह तुमको भी खा जायेंगे सब कीर्ति आपकी खो बैठे
अब उत्पादक के खाने को यह दन्त निकाले हैं बैठे
बन से जनता का लाभ नहीं कंट्रैक्टर लाभ उठाते हैं

और वन के नौकर काष्ठ बेंचकर मालदार बन जाते हैं
वन के समीप का खेतिहर है वह वीर तपस्वी साधू है
वह ईश्वर का अवतार उसी की वाणी में भी जादू है
वह एक आह भी छोड़ेगा तो महाप्रलय हो जायेगी
यह नौकरशाही राज्य मिनट में धराशीत हो जायेगी
सरकार तोड़ना ठीक नहीं, सरकार पालना ठीक नहीं
सरकारों के बंधन में बंध कर कष्ट झेलना ठीक नहीं
इससे मंत्री जी विनय आपसे अपनेपन का ध्यान करो
जंगल उजाड़ कर जन जाग्रति का मान करो कल्याण करो।

यही मंत्री जी से मुझे निवेदन करना है कि वनों का पालना ठीक नहीं है, इनको समाप्त करो, देश का उतना ही कल्याण होगा।

श्री सैयद अली जहीर—मैं यह कह रहा था "अब माननीय शुक्ल जी बैठ करके हम सब पर ऐहसान करो।"

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और नहीं कहना है, मैंने इसकी तफसील बयान कर दी किसलिये इस माँग को पेश किया गया है। और कोई खास बात उसकी टिप्पणी में नहीं कही गई ।

जहां तक लीसा का सवाल है, मैंने कई दफा इस सदन में बता दिया है कि आई०टी० आर० कम्पनी ८० फीसदी सरकार की है। लिहाजा उसके साथ जो हमारा व्यवहार होता है वह बिलकुल बिजनेस लाइन पर नहीं होता है। अगर हम उनसे ज्यादा रुपया लें तो बजाय एक मद के दूसरी मद में दर्ज हो जायगा। यह कहना कि कम दाम पर देते हैं और फायदा हासिल करते हैं तो वह भी सरकार ही में आता है। तो इस वजह से उसकी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। सन् १९६२ तक का उनके साथ ऐग्रीमेंट है और उसके बाद उस पर विचार होगा और वह गौर हो रहा है। और कोई बात ऐसी नहीं है जिसका जवाब दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—सहारनपुर की स्टार पेपर मिल का क्या कर रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—स्टार पेपर मिल के लिये कोई रुपया नहीं मांगा है, न उनके लिये कोई सड़क बनवा रहे हैं। इसलिये उसका सवाल ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री प्रतापसिंह जी, आप को कुछ कहना है तो कहें ।

***श्री प्रतापसिंह**—मान्यवर, मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि हम मंत्री जी के आभारी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह सड़कें जल्द से जल्द बनें। ऐसा न हो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाय और फिर तीसरी योजना में यह चली जायं।

हम यह भी नहीं चाहते कि बरेली की कम्पनी को लीसा न मिले। लीसा उसे उसकी आवश्यकतानुसार मिले। जब बजट पर माननीय बिष्ट जी ने रुपये की मांग की थी तो बताया था कि १५ रु० मन पर उनको लीसा दिया जाता है। मेरी राय में यह बहुत सस्ता है। ४ लाख मन लीसा कम्पनी को प्रति वर्ष दिया जाता है और उसको अगर कम्पनी कच्चे माल की तरह ही बेंच दे तो ६० लाख रुपये का लाभ होता है। यह सरकार तो रेवेन्यू हंगरी है ही। तो जो ६० लाख रुपया का फायदा कम्पनी को होता है उतना नुक्सान हमारी सरकार को होता है। तो मंत्री जी क्या जवाब देंगे इसका कि उनको सस्ता क्यों दिया जाता है? मेरा सरकार पर चार्ज है, हर साल यहां पर यह बात आती है। हम चाहे यहां पर मुस्करा लें लेकिन ऐसे मसलों को हंस कर टाला न करें क्योंकि यह जनता का पैसा है उसका अपहरण हो रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। वन विकास संबंधी सरकारी योजनाओं की त्रुटि की चर्चा करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन-लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत ७,१०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक ११—निबन्धन

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन—लेखा शीर्षक ११—निबन्धन के अन्तर्गत ५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

इसका कारण जो पहले मैंने गुजारिश की थी उसमें बताया था कि जो २० आदमियों का ग्रेड बढ़ाया गया है उसकी वजह से इस साल सिर्फ ५ हजार रुपये का और खर्चा होगा। उसी के लिये यह मांग है। मुझे उम्मीद है कि इस मकसद से सभी माननीय सदस्य सहमत है, लिहाजा इसको मंजूर किया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन—लेखा शीर्षक ११—निबन्धन में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विशिष्ट शिकायत। निबन्धन में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना।

मान्यवर, सरकार ने दया की तो उन लोगों पर की जहां भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्राबल्य था। सरकार को इस बात पर दया आयी कि सब-रजिस्ट्रार्स के लिये कोई दूसरा उन्नति का मार्ग नहीं है इसलिये एक सेलेक्शन ग्रेड २० आदमियों के लिये कर के उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जायं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि आज तहसीलों में जहां रजिस्ट्री के कार्यालय हैं जहां नित्यप्रति देहात वाले अपनी भूमि का निबन्धन करने के लिये जाते हैं वहां दो रुपये सैकड़ा से लेकर ५ रुपये सैकड़ा तक लेने के बाद रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करते हैं। और मैं समझता हूं कि यह मेरा अपना ही अनुभव नहीं है बल्कि इधर और उधर, दोनों तरफ के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को इस बात का अनुभव होगा कि रजिस्ट्री में इस प्रकार की ज्यादती प्रायः सारे प्रदेश में और प्रत्येक रजिस्ट्री के कार्यालय में होती है। ऐसी सूरत में उन सब-रजिस्ट्रारों के प्रति सरकार का यह भाव प्रकट करना कि चूंकि उनके लिये उन्नति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है इसलिये एक विशेष ग्रेड बनाने की जरूरत है, मेरी समझ में नहीं आया। भ्रष्टाचार की उन्नति सरकार क्यों चाहती है। वैसे ही काफी भ्रष्टाचार आज सरकारी नौकरियों में फैला हुआ है। बजाय इसके कि उस भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयत्न किया जाता उन्हीं भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के वेतनवृद्धि का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से मैं यह कटमोशन पेश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भारतीय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मुझे एक बात निवेदन करनी है। जहां तक निबन्धन विभाग का ताल्लुक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि भ्रष्टाचार तो सर्वव्याप्त है

लेकिन इस विभाग में जिस तरह से अफसरों की तानाशाही है उतनी तानाशाही शायद दूसरे विभागों में नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की एक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जिला देवरिया में सलेमपुर तहसील में सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर खुला हुआ है। वहां पर किसी से २०, किसी से २५ रुपये लेते हैं और बिना रुपया लिये रजिस्ट्री नहीं करते हैं। हमारे घर वालों ने एक बाग बेचा था इसलिये मैं भी रजिस्ट्री कराने गया था। जब मैं वहां गया तो रजिस्ट्रार साहब बैठे हुये थे और उनके यहां काफी भीड़ लगी हुई थी और सबको परची दी जाती थी और जिसको परची मिल जाती थी उसकी रजिस्ट्री पर दस्तखत होते थे, इसके लिये परची दी जाती थी। मैं जब वहां गया तो हमारे लिये भी परची की बात की जाने लगी। उन्होंने मुझे पहचाना तो नहीं लेकिन खद्दर वगैरह के कपड़े देखकर कुछ भड़क गये। हमें बतलाया गया कि सलेमपुर तहसील के सब-रजिस्ट्रार की आमदनी १००–२०० नहीं बल्कि ५०० रुपये प्रतिदिन से ज्यादा है। हमारे सोशलिस्ट कार्यकर्ता रामबिहारी जी ने इस चीज को जज साहब के यहां लिखकर भेजा। उसकी जांच हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्रीमन्, इन लोगों का ट्रांस्फर भी जल्दी नहीं होता है। इनके ट्रांस्फर में इतनी ही परेशानी होती है जैसे किसी बड़े अफसर के ट्रांस्फर में होती है और उनकी वहां पहुंच होती है। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक महन्ती बनी हुई है और राजनीतिक पार्टी के जो लोग विरोधी पक्ष के हैं वह लोग माल मंत्री जी के रेवेन्यू विभाग पर धौंस जमा सकते हैं लेकिन यह विभाग अछूता पड़ा रहता है।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा यह सुझाव मान लिया जाय कि सब-रजिस्ट्रारों के ट्रांस्फर्स तीन साल के बाद जरूर हो जाया करें जैसा कि अन्य विभागों के अधिकारियों के होते हैं। यहां पर इन लोगों के तबादले ६, ७, ८ साल तक नहीं होते हैं। इन लोगों के जो अफसर होते हैं वह चाहते हैं तो इनकी तरक्की हो जाती है लेकिन जो बेचारे लिपिक हैं उनकी तरक्की नहीं होती है। इसमें जिनका संबंध विभाग के बड़े अफसरों से होता है उनके आदमी रखे जाते हैं और इसमें सब ठाकुर ही भरे हुये हैं। दूसरी जाति का आदमी दरख्वास्त दे तो वह नहीं लिया जायगा। इस विभाग में इतना अन्याय और भ्रष्टाचार है कि इसके लिये मंत्री जी एक कमेटी बना दें और इसके काम को देखा जाय और सलेमपुर वाली घटना की जांच कराई जाय।

सीलिंग की वजह से आज जमींदार रजिस्ट्री कर रहे हैं। मंत्री जी के पास फीगर्स आई हैं कि कितने लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। उनकी पांचों उंगली घी में रहती हैं, जो छोटा सा काम होता है तो हम परेशान होते हैं। इसकी जांच हो ताकि भ्रष्टाचार दूर हो।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में दो बातें कही गईं। पहली बात यह कही गई कि यहां पर करप्शन है इसलिये इनकी तनख्वाह न बढ़ाई जाय। इस पर मुझे याद आया कि बादशाहों के जमाने में बड़े-बड़े अफसर मुकर्रर होते थे जैसे सूबेदार वगैरह और उनकी तनख्वाह ५, १० रुपये रख दी जाती थी, बाकी बालाई आमदनी शुमार की जाती थी। लिहाजा यह समझा जाता था कि इनको ज्यादा तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। यह बहस इसी किस्म की है। अगर हम तस्लीम कर लें करप्शन को तब तो तनख्वाह न बढ़ाई जायं लेकिन कोशिश करें कि करप्शन खत्म किया जाय और यह ईमानदारी के साथ अपने फरायज का अंजाम दें तो यह वजह नहीं हो सकती है कि यहां के लोग बेईमान होते हैं लिहाजा इनकी तनख्वाह न बढ़ाई जाय। देखना यह है कि उनकी कितनी तरक्की हो सकती है। २२५ का काडर है और मुश्किल से १०, १२ जगह ऐसी होती हैं जिन पर वह आगे निकल सकते हैं तो वह पूरी जिन्दगी इसी हालत में काटते हैं। नौकर हुये और पूरा ग्रेड लेते हैं। जाहिर है कि उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता है और अपने फरायज रोजमर्रा के अदा करते हैं। इस तरह की सूरत पैदा हो जाती है तो बुरी बात है। इस खयाल से और दूसरी सर्विसेज से मुकाबला करने के बाद यह मुनासिब समझा गया कि इनके लिये इस तरह का एक सेलेक्शन

[श्री सैयद अली जहीर]

ग्रेड बना दिया जाय कि जिसमें २० आदमी हों, जो बड़े-बड़े जिलों में जहां ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, वहां मुकर्रर किये जायेंगे।

दूसरी शिकायत जो की गयी है जो करप्शन की है वह परची देने की है। कोई बे पढ़ा-लिखा होता तो मैं समझता कि उसने शिकायत की है उसे परची क्यों दी, लेकिन जो पढ़ा लिखा शख्स है, उसका यह शिकायत करना कि परची क्यों दी समझ में नहीं आता। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में परची जरूर मिलती होगी। परची के मानी क्या हैं यह तो समझने की बात है। परची पर तारीख लिख कर दे देते हैं कि तुम्हारी रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेज फलां तारीख को वापस मिल जायगा। वह परची हर शख्स को मिलती है। यह भी मुमकिन है, मुझे मालूम नहीं कि जहां पर ज्यादा रश होता हो वहां पर प्रायरिटी तय करने के लिये परची देते हों कि कौन कागज पहले लिया जायगा और कौन उसके बाद। लेकिन एक परची यकीनन मिलती है जिस पर लिखा होता है कि फलां तारीख को तुम्हारा रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेज मिल जायगा। उसके पहले एक कागज होता है जिस पर हिसाब बना कर देते हैं कि इतनी रजिस्ट्री फीस हुई, इतना स्टाम्प है, उसमें मुख्तलिफ रकमें लिख कर तहरीर मिलती है। इस तरह की परची जरूर मिलती हैं। उससे यह समझना कि करप्शन है, गलत है। बहरहाल मैं यह नहीं कह सकता कि कहीं करप्शन नहीं है। करप्शन जरूर होगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, जहां कोई शिकायत होती है मुख्तलिफ किस्म से, पुलिस से, जिलाधीश से, सी० आई०डी० से तहकीकात करवा कर जहां जरा भी जुर्म साबित होता है ऐक्शन लिया जाता है। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। करप्शन में एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। देने वाले की कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाय या कोई गलत चीज करा लें। जब नाजायज फायदा उठायेंगे तो पैसा भी देंगे। जो देने वाले होते हैं उनकी भी बेईमानी की बदनीयती शामिल होती है तभी करप्शन होता है।

अभी कंसालिडेशन में करप्शन कहा गया, जंगल में करप्शन कहा गया, पुलिस का जिक्र आता है तो उस में करप्शन कहा जाता है, रजिस्ट्री का जिक्र आता है तो उसमें करप्शन कहा जाता है। चाहे कहीं करप्शन हो या न हो महज तखय्युल से समझने लगते हैं कि वहां करप्शन जरूर होगा।

मैं यह अर्ज करूंगा कि यह मांग निहायत जायज है, यह मंजूर होनी चाहिये।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मंत्री जी ने मेरे जवाब में सिर्फ दो बातें कही हैं। पहली तो यह कि उन्हें इस बात की आशा है कि तनख्वाह बढ़ा देने पर रजिस्ट्रार रिश्वत नहीं लेंगे। मेरा अपना विश्वास यह है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने के साथ-साथ उनकी रिश्वत की मात्रा भी बढ़ जायगी और ज्यादा रिश्वत लेने लगेंगे।

दूसरी बात मंत्री जी ने यह कही कि दोनों हाथ से ताली बजती है। रिश्वत देने वाले देते हैं और तभी लेने वाले लेते हैं। मेरा अपना विचार है कि रिश्वत देने वाला मजबूर होता है तभी रिश्वत देता है। हम रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाते हैं और वह मना कर देते हैं कि जब तक रिश्वत नहीं दोगे तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। हम को रुपये की जरूरत है, लगान देना है, आबपाशी देनी है। अगर बेटा-बेटी का विवाह है तो मजबूर हैं, हम को रुपया लेना है। तो हम मजबूर हैं कि रिश्वत दें। तो यहां एक हाथ से ताली बजती है।

माननीय मंत्री जी ने बादशाहों की मिसाल दी। बादशाही वक्त तो मैंने देखा नहीं लेकिन अपनी आंखों से देखी ताल्लुकेदारों की बात कह सकता हूं। उनके यहां अमीन जो लगान वसूल करते थे, और उनके जिलेदार अक्सर ऐसे रखे जाते थे जो इस बात पर तैयार रहते थे कि हमको कोई तनख्वाह न दी जाय और हम काम करेंगे। वह अपने लिये नजराना और रिश्वत काफी समझते थे। बहुत से पहले के ताल्लुकेदार माननीय सदन में उपस्थित

हैं वे मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को दावत देता हूं वह कुछ ऐसे सब-रजिस्ट्रार यह कह कर रखने की घोषणा करें कि हम कोई तनख्वाह नहीं देंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रांत के रजिस्ट्रारों में से ९९ फीसदी ऐसे मिलेंगे जो इस बात पर तैयार हो जायेंगे कि वे बिना तनख्वाह लिये काम करेंगे। जितनी रिश्वत के द्वारा रजिस्ट्रारों को आमदनी है उसके आगे वे वेतन न मिलने की कोई परवाह न कर बिना वेतन काम करने को राजी हो जायेंगे। माननीय मंत्री जी को इस बात पर गौर करना चाहिये कि इस विभाग में रिश्वत इस दर्जे तक बढ़ चुकी है कि बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी तरक्की के वह अपनी जगह पर काम करने के लिये तैयार हैं। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत। निबन्धन में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन—लेखा शीर्षक ११—निबन्धन के अन्तर्गत ५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

जहां तक इस अनुदान का संबंध है इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सिंचाई विभाग में एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट क्रियेट किया जा रहा है जिसके लिये बहुत आवश्यकता है। प्रदेश में या दूसरे देशों में किस तरह से सिंचाई विभाग में क्या-क्या कार्य हुए हैं, उन तमाम बातों की इम्पार्टेंस को देखते हुये इसकी आवश्यकता पड़ी और यह बहुत ही आवश्यक है। इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है कि जिस पर ज्यादा बहस हो सके। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

***श्री प्रतापसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की छटनी व महंगाई व बढ़ा हुआ वेतन न मिलना।

मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी आपने भी सुना होगा कि लखनऊ में जो पुरानी छतरमंजिल की इमारत थी वह गिर गई और उस जैसी पुरानी इमारतें तो गिरती जा ही रही हैं लेकिन जो हमारी नयी योजनायें हैं, सिंचाई के बड़े-बड़े डैम्स बन रहे हैं उनमें भी दरारें पड़ती जा रही हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि नानकसागर डैम जो इतना बड़ा डैम बन रहा है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

जिसकी एक बहुत बड़ी योजना है, वह अभी पूरी भी नहीं हुई और उसके पहले ही उसमें दरार पड़ गई जिसकी सूचना सिंचाई विभाग को भी होगी।

इसके अलावा यह जितनी भी योजनायें हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितनी सिंचाई की योजनायें चल रही हैं, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। जब मरजी वहां के अधिकारियों को आती है उनको निकाल देते हैं। मंत्री जी को इस बारे में हम कई बार तकलीफ दे चुके हैं। लेकिन उसका जवाब यही मिलता है कि वह अस्थायी हैं। आप एक संख्या विभाग अपने यहां अलग से खोलना चाहते हैं जो कि आपके यहां के आंकड़ों को रखेगा। लेकिन जो आपकी योजनायें हैं उनकी हालत दिनों-दिन गिरती जा रही है। कर्मचारियों की रोज छटनी होती है। दोहरी डैम में ५७ आदमियों को नोटिस मिली है कि आप तशरीफ ले जाइये। पंद्रह-पंद्रह साल से वह वहां काम कर रहे हैं। आज वह कहां जायेंगे? उनके बाल-बच्चे कहां जायेंगे? इसी तरह से पीलीभीत में दोहा रिवर में आपने साढ़े तीन लाख रुपया लगाया.....

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह से आप वाद-विवाद को बहुत व्यापक बना रहे हैं। जो विषय सामने है उसी पर सीमित रहिये।

श्री प्रतापसिंह—तो साढ़े तीन लाख रुपया खर्च करने के बाद भी वह डैम खत्म हो गया। मैं अधिक इस पर अब नहीं जाऊंगा।

इसमें कर्मचारियों के वेतन की बात कही गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज इन योजनाओं में काम कर रहे हैं उनको बढ़ा हुआ वेतन क्यों नहीं मिलता है? यह मैंने माना कि वह अस्थायी हैं लेकिन जो पांच रुपया बढ़ा, साढ़े पांच रुपया बढ़ा और ढाई रुपया बढ़ा उसमें से कुछ भी वृद्धि उनकी नहीं हुई। इसलिये मैं सिंचाई मंत्री से बड़े नम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जो सुविधायें दूसरे कर्मचारियों को मिलती हैं वह इनको भी मिलनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमारे पास जब एक अर्थ और संख्या विभाग अलग से है तो सिंचाई विभाग में उसके अलग से खोलने की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार से इन्फारमेशन डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट अपना-अपना अलग-अलग इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट खोले उसी प्रकार से यह भी होगा कि सिंचाई विभाग अपना अलग से संख्या विभाग खोलना चाहता है इसकी क्या आवश्यकता है? जब हमारे प्रदेश में एक अलग से अर्थ और संख्या विभाग काम करता है तो वह क्यों नहीं इस विभाग के भी कार्य को करे? इस तरह से अगर हर डिपार्टमेंट अपना-अपना संख्या विभाग खोलने लगे तो उसकी फिर क्या आवश्यकता रह जायगी? तो मैं अधिक समय न लेकर मंत्री जी से यह कहूंगा कि जो मैंने नम्र निवेदन किया और दो-चार उदाहरण भी दिये, उनको वह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतापसिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आये दिन सिंचाई विभाग की तरफ से किसानों को कितनी परेशानी हो रही है और रोजाना कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। अभी हाल ही में जौनपुर में जो कि हमारा पड़ोसी जिला है वहां पर २॥ लाख का गोल माल पाया गया। वहां से ईंटा भी गायब हो गया और दूसरा सामान भी गायब हो गया .....

श्री उपाध्यक्ष—जो अनुदान का विषय है उस पर ही आप बोलिये।

श्री ऊदल—मैं समझता हूं यह जो नया विभाग खुल रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और कोई इसके लिये औचित्य नहीं है कि इस नये विभाग के लिये रुपया दे। मैं इस

अनुदान का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इसको वापस लें। मैं चाहता हूं इस नये विभाग के लिये रुपया न दिया जाय।

श्री धर्मसिंह--जो कटौती का प्रस्ताव प्रतापसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करते समय उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही नहीं जो इस विभाग से सम्बन्धित हो। इस अनुदान से उनका कोई अभिप्राय नहीं था। इस अनुदान के अन्दर बहुत मामूली तरीके से एक स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट खुल रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया था आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में क्या-क्या कार्य हो रहे हैं उनके लिये सेन्टर को इस बात के फिगर्स की आवश्यकता पड़ती है। चारों तरफ से उनको इकट्ठा किया जाता है और बहुत समय लगता है। तो इन तमाम बातों के लिये इस विभाग की आवश्यकता है।

एक बात यह कही गई कि नानकसागर में दरार पड़ गई यह बिलकुल गलत है। जब मिट्टी डाली जाती है तो उस मिट्टी पर बरसात का पानी जब पड़ता है तो वह मिट्टी नीचे को दबती है। प्रतापसिंह जी इसको जानते हैं।

जहां तक कर्मचारियों की बात है माननीय प्रताप सिंह इस बात को पूरे तरीके से जानते हैं कि इस प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बहुत से कार्य हुये। वे बहुत से कार्य जब समाप्त होते हैं तो एक साथ समाप्त नही होते हैं। कोई कार्य एक साल में समाप्त होता है तो कोई कार्य दो साल में समाप्त होता है और किसी किसी काम में पांच साल लग जाते हैं। तो कार्य समाप्त होने के बाद वे कर्मचारी भी खाली हो जाते हैं क्योंकि वह कार्य हमेशा नहीं चल सकता। लिहाजा नियम यह बनाया गया है कि यदि एक स्थान पर कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं और उनका रिट्रेन्चमेंट होता है तो दूसरी स्कीम यदि सिंचाई विभाग द्वारा लागू होती है तो इस बात की कोशिश की जाती है कि उन पुराने कर्मचारियों को उस काम में लगायें।

एक बात कही गई कि जो वेतन बढ़ा है वह वर्तमान वेतन में नहीं बढ़ाया गया है। इस तरह से विभाग में होता नहीं है। अगर वे कोई स्पेसिफिक बात कहते तो उस पर विचार किया जाता और कोई बात उन्होंने नहीं कही जिससे विरोध की बात पैदा हो।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की छटनी व महंगाई व बढ़ा हुआ वेतन न मिलना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षकः १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक १८--अभियंत्रण संस्थाएं

श्री धर्मसिंह--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२-अभियन्त्रण संस्थाएं-लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ७२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है यह बहुत ही सिम्पिल है और इसमें छानबीन की कोई बात नहीं है और न बहस की आवश्यकता है। अगर माननीय सदस्य इसको पढ़ने की कृपा करें तो

[श्री धर्मसिंह]

मालूम होगा कि रुड़की यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत ४८ वां इंडियन साइन्स कांग्रेस का जलसा हो रहा है जिसमें प्रदेश के साइन्टिफिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये विचार होगा, उसके लिये कुछ रुपया मांगा गया है। तो यह प्रदेश के हित में है कि हमारा प्रदेश और देश साइन्स और इंडस्ट्री इत्यादि में आगे बढ़े। इस प्रकार का यह सेमीनार होने जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि यह प्रदेश और देश के लिये एक अच्छी बात है और इसलिये मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसको पारित करने की कृपा करें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य —नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन का अनौचित्य।

श्रीमन्, इस अनुदान के अन्तर्गत दो खर्चे विशेषतौर पर रखे गये हैं। एक तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन के लिये सवा लाख रुपये की मांग है और दूसरे वाटर मेन्स लगाने के सम्बन्ध में खर्च की मांग है। पहली साइन्स कांग्रेस में कहा जाता है कि ८५ हजार रुपया तो आमदनी हो जायगी और बाकी ३७ हजार रुपया सरकार अपनी तरफ से खर्च करेगी। इन साइन्स कांग्रेस अधिवेशनों के औचित्य पर मैं वाद-विवाद नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि इन अधिवेशनों में बाहर से आ कर बड़े-बड़े एक्सपर्ट भाषण देते हैं और उनके स्वागत का अश्याम बन जाता है और इससे कुछ अधिक होता है, इसमें मुझे शंका है। हमारे देश में बाढ़ों पर बाढ़ आ रही हैं और हर पिछले साल से अगले साल ज्यादा बाढ़ आती है। जितना नहरों और रेलवे लाइनों का फैलाव हो रहा है उन्हीं के द्वारा जो जल का नेचुरल फ्लो है वह बिगड़ता जा रहा है और उसी के कारण यह बाढ़ें इतना भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। यह साइन्स कांग्रेस रोज-रोज होती हैं, लेकिन वे इतनी मामूली-सी बात को नहीं समझ पायीं। जब यह हाल है तो मैं नहीं समझ पाता कि वे देश के हित में और क्या कर पायेंगे? आप मजे से कांग्रेस का अधिवेशन यहां करें लेकिन देश का गरीब किसान जानना चाहता है कि आपका यह साइन्स देश की कितनी उन्नति कर रहा है। जब वह देखता है कि उसका गांव पानी में डूब गया और रातों-रात उसकी खटिया बह गयी और विज्ञान कोई सहायता नहीं दे सका तो उसे दुख होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की मांग का औचित्य कहां तक है।

दूसरे, रुड़की कालेज में एक ट्यूबवेल था। इसलिये कि उसमें बालू आने लगी यह खर्च किया गया। यह खर्च क्यों हुआ इसका स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिला कहीं भी। अगर यही हाल रहा तो यह ३५ हजार रुपये का खर्च भी साल, ६ महीने में समाप्त हो जायगा। लेकिन पिछला रुपया बर्बाद क्यों हुआ इसकी इन्क्वायरी क्या आपने करायी? उस ट्यूबवेल ने कितने साल काम किया, उसमें बालू क्यों आने लगी, इसका स्पष्टीकरण हमारे सामने होना चाहिये था। इस प्रकार रुपये का दुरुपयोग हो यह ठीक नहीं है और जनता से और किसान से प्रदेश के इस प्रकार के खर्च के लिये इतना धन मांगना उचित नहीं है।

यद्यपि यहां दो ही आइटम हैं लेकिन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं दो, एक बातें और कहना आवश्यक समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं थोड़े में रेफर करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन उसमें वह व्यापक हो जायगा। वह आइटम इन्हीं दो के बारे में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो इन दो के बारे में मैंने कहा कि यह उचित नहीं है। अतः मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मद को स्वीकार न करे।

श्री धर्मसिंह—जो माननीय अवस्थी जी ने कटौती का प्रस्ताव किया है मैं उसका विरोध करता हूं। जो बातें उन्होंने कहीं उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं था और सिद्धांततः वह इस बात को महसूस करते हैं कि जहां तक साइन्स कांग्रेस का अधिवेशन रुड़की में होने जा रहा है इसके लिये रुपये की आवश्यकता है। इसके अलावा जो वहां की यूनीवर्सिटी है, वह भी अपना कुछ रुपया इकट्ठा करेगी। फिर वहां क्या होगा, क्या नहीं होगा उसके लिये तो एजेन्डा तैयार होगा, उस पर फ्री तरीके से विचार होगा। तो उसमें किसी तरह की कोई एप्रोच का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक ट्यूबवेल की बात है, वे काफी दिनों से बने हुए हैं। अगर उन्होंने इसमें पढ़ने की कोशिश की होती तो उन्हें मालूम होता कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि जितना वे पानी देते हैं वह देने के बाद भी कमी रह जाती है।

दूसरे वहां पर १२० विद्यार्थियों के लिये एक डिप्लोमा होस्टल बन रहा है उसके लिये रुपये की आवश्यकता है। इसलिये इन सब जरूरतों के लिये यह मांग की गयी है और जो बातें माननीय अवस्थी जी ने कहीं वे ऐसी नहीं हैं जिनका उत्तर देने की जरूरत हो। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाय।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही उसको सुन कर ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बातों को सुना ही नहीं। मैं उनसे आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे मेरी बातों को ध्यान से सुन तो लिया करें, और इधर-उधर न भटका करें। मैं अपनी बातों का स्पष्ट स्पष्टीकरण मांग रहा था और यह पूछा रहा था कि जो ट्यूबवेल था वह क्यों खराब हो गया, वह कितना चला और उसमें क्या खराबी आ गयी ? इसका कोई उत्तर माननीय मंत्री जी ने देने की कृपा नहीं की। वह उसको बतला यूं नहीं सके कि वे खुद उसको स्टडी करके आये ही नहीं थे। यह कहा कि छात्रावास बन रहा है, तो यह तो हम जानते हैं। साइन्स के बारे में पूछा, उसके बारे में कुछ उत्तर नहीं दिया। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और आप इधर-उधर बगली काट रहे हैं। देश में जो बड़ी-बड़ी कलैमिटीज आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, जो चारों तरफ से देश को घेर लेते हैं, उनको रोकने के लिये क्या कमी आपने बैठकर यह सोचा कि इस विषय पर विचार करने के लिये लोगों को इनवाइट करें ? जो देश की बड़ी-बड़ी प्राब्लम्स हैं उन पर बहस करने का असल में माद्दा नहीं रखते हैं। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री धर्मसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोतीलाल जी ने कोई नयी बात नहीं कही है जिसका उत्तर देना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन का अनौचित्य।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—अभियंत्रण संस्थाएं—लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ७२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०—६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, अनुदान संख्या १३ और १४ साथ ही ले ली जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप १३ और १४ को साथ ले लें ।

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मुझे कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०—६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

माननीय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,८४,१५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०—६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

माननीय, इन दो मांगों के सम्बन्ध में सारी बातें इस सदन को मालूम हैं, चाहे छोटे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के सम्बन्ध में हों, सचिवालय के कर्मचारियों के लिये ठंडे पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में हों, चाहे हमारे प्रदेश के जो सीमान्त प्रदेशीय इलाके हैं उनकी सुव्यवस्था और उनके द्वारा सुरक्षा और देश की व्यवस्था का प्रश्न हो—ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके प्रति सदन हमेशा उदारता और सहानुभूति रखता आया है । इसलिये अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि इन मांगों के अन्तर्गत सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि सदन इन अनुदानों को स्वीकार करके हमें और प्रदेश को कृतार्थ करेगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । विभाग की गलत नीति व भ्रष्टाचार व जातिवाद की चर्चा ।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । इसमें श्रीमन्, गलत छपा है, मैं बाद में लिख कर भेज दूंगा, ऐसा होना चाहिये कि "उत्तराखंड की सीमा निर्धारण की त्रुटियां व प्रशासन की खराबियां बतलाना" । खैर, मैं लिख कर भेज दूंगा ।

श्रीमन्, इसमें जो पहला अनुदान आया है इसमें स्वयं आप देखें, लिखा है—

"स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के कार्यकलापों के वार्षिक प्रतिवेदनों से असंख्य ऐसे उदाहरण सामने आए जिनमें स्थानीय निकायों के सार्वजनिक धन को बड़ी असावधानी से व्यय किया गया था । स्थानीय निकायों द्वारा लेखा-परीक्षा की टिप्पणियों और आपत्ति सम्बन्धी विवरणों की ओर उचित ध्यान न दिये जाने के फलस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और गबन हुए । बहुत से मामलों में लेखा-परीक्षा की आपत्तियां, उनके निराकरण की ओर

उदासीनता दिखाने के कारण एकत्रित होती गयीं और इस तरह लेखा-परीक्षा की उपयोगिता निष्फल हो गयी ।"

इस बहाने से कर्मचारी मांगे हैं और आठवें पेज पर भी इसमें लिखा है कि जिला-परिषदों में स्थानीय विकास कार्य जुड़ गये हैं तो ५ करोड़ से भी अधिक रुपया अन्तर्ग्रस्त है उन अधिकारियों के पर्सनल लेजर में । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी धनराशि को आप स्वायत्त शासन के मातहत हैंडिल करने लगे हैं और इतने बड़े पर्सनल लेजर भी होने लगे हैं तो इसमें वही कड़ाई रहनी चाहिये जो शुद्ध सरकारी हिसाब रखने में होती है । यह रुपया सरकार का है चाहे स्थानीय निकायों के पास जाय लेकिन होता प्लानिंग पर ही खर्च है । अगर इस पर ठीक तरह से फायनेंशल कंट्रोल नहीं होगा तो बड़ा अनर्थ हो सकता है । जैसे पब्लिक एकाउंट्स कमेटी है वह सरकार की सारी इस तरह की चीजों की जांच करती है जो महालेखापाल के यहां से सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में आती है । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी उन पर सोच-विचार करके अपना निर्णय देती है । इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह चाहें तो ऐसे मामलों को भी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दें या किसी और समानान्तर कमेटी के । लेकिन जांच जरूर होना चाहिये क्योंकि इस तरह से ५ करोड़ रुपयों का पर्सनल लेजर एकाउंट्स में पड़े रहना ठीक नहीं है । यह गलत बात है कि वह गलत खाते में रहे ।

अब असल बात है उत्तराखंड में विकास योजनाओं की । इसमें कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष विकास कार्यक्रम आरम्भ करने के बावजूद वे क्षेत्र दीर्घकाल से पिछड़े हुये हैं, किन्तु ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि जिससे उस क्षेत्र का तेजी से विकास करना वहां की जनता की सुविधाओं के लिये नितान्त आवश्यक हो गया है । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, इसमें २ आइटम्स हैं इसलिये मुझे कुछ ज्यादा समय दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---परन्तु आपने पहले से टाइम को बचाया नहीं । ४ बजकर १० मिनट से गिलोटीन हो जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अच्छा चार मिनट ही दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---केवल २ मिनट में आपको समाप्त करना है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---तो अब सरकार को यह हो गया है कि चूंकि नार्थ से हमला होने वाला है इसलिये कुछ करो । अगर यह हमला न हुआ होता तो वह हमारे सारे क्षेत्र पिछड़े के पिछड़े ही रह गये होते । इसके साथ-साथ जो वहां बाल्कनाइजेशन हो गया है वह उचित नहीं है । उन जिलों में चाहे उत्तराखंड या पिथौरागढ़ या चमोली या कोई भी हो सब में गरीबी समान है । उन सब को समान रूप से डेवलप करने की जरूरत है क्योंकि सभी समान रूप से पिछड़े हुये हैं । मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिये तो ध्यान दिया जा रहा है ऐसा कहा जाता है लेकिन मेरा कहना यह है कि कहीं विकास के कार्य में और बाकी क्षेत्र पिछड़े के पिछड़े न रह जांय और इनको सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था न हो । इस आदरणीय सदन के ४० सदस्यों ने जिनमें से ३० कांग्रेस दल के सदस्य हैं यानी कुछ में से तीन चौथाई कांग्रेस दल के ही हैं, सब ने लिख कर भेजा कि वहां पर बाड़े छोना से बेरीनाग-थल तक एक पक्की मोटर सड़क बनाई जाय । मगर उसका कोई नतीजा न निकला । भगवान् न करे हमला हो लेकिन अगर हो तो यह डाइरेक्ट रोड होगी जो काठगोदाम को जो सबसे निकट का रेल स्टेशन भी है, पक्का भी

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

है सीमा ज्वाइन करेगी और उससे विकास के कार्यों में भी बहुत लाभ होगा। न मालूम मंत्री जी क्या कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि मैंने जो विचार रखे हैं उसको देखते हुये मंत्री जी उसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

इसके अलावा रानीखेत, कुमायूं रेजीमेंट के तथा अल्मोड़ा गोरखा राइफल्स के सिपाही व सामान इस रास्ते सब से कम समय में सीमा पर पहुंचाया जा सकता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय, इस अनुदान के सम्बन्ध में जो तकरीर मेरे लायक दोस्त बिष्ट जी ने की है उसको सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई दूसरा व्यक्ति उन सब बातों को कहता तो मुझे उतनी तकलीफ न होती लेकिन उनके विचारों से मैं थोड़ा-बहुत जानकार हूं उसको देखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने चाहे किसी और मतलब से की हो, चाहे गवर्नमेन्ट को बुरा-भला कहने की दृष्टि से की हो लेकिन जो उनके विचार हैं उससे यह सही नहीं है। यह कहना सत्य से बिलकुल परे है कि हम इन क्षेत्रों की तरक्की इसलिये सोच रहे हैं कि उत्तर या किसी दूसरी तरफ से इस देश पर गलत दिशा में कदम उठाने की कोशिश की गई है। हमारे देश के विरुद्ध दुश्मनी के परिणामस्वरूप हम चेते हैं यह भी कहना अनुचित होगा। देश के प्रेमी और वह लोग जिनको कि स्वाभिमान हो वह अगर ऐसी बात कहें तो उचित नहीं होगा। इस क्षेत्र की सेवाओं के सम्बन्ध में, चाहे सड़कों के बनाने का प्रोग्राम रहा हो, हार्टिकल्चर का प्रोग्राम रहा हो, भेड़ों की नस्ल सुधारने का सवाल रहा हो, वन-सम्पत्ति के विकास का प्रश्न रहा हो और चाहे लोगों को खुशहाल बनाने और नयी-नयी बातों में समन्वय और सामंजस्य लाने की बात रही हो, इस प्रदेश की सरकार ने इस क्षेत्र के लिये जो कार्य किये हैं उनकी गिनती कराना इतने थोड़े समय में सम्भव नहीं होगा। आज बहुत सारे देश विरोधी ऐसे लोग हैं जो कि सीमान्त प्रदेश के लोगों में यह प्रचार कर रहे हैं कि यह सारे कार्य इसलिये हो रहे हैं क्योंकि सरकार खतरे से डरी हुई है। हम डरे हुये लोग नहीं हैं। हमने बहादुर मुल्क और कौम होने के नाते वहां पर यह कार्य करने की कोशिश की है और उसका कारण यह भी है कि हम जानते हैं कि यह बहादुर इलाके के नौजवान जो वहां के और इस देश के ढाल और तलवार रहे हैं उनकी सेवा करना भी उचित है, स्वाभाविक है, हम उनकी सेवा जरूर करेंगे। यह जरूर है कि कुछ सड़कों की भी योजना है और हमने उस हिस्से को कुछ जिलों के अन्तर्गत भी बांटने की कोशिश की है। हर देश में ऐसा होता है कि जब कभी सीमाओं पर खतरा होता है तो शासन में परिवर्तन होते हैं, उतना परिवर्तन हमने भी किया है लेकिन वह परिवर्तन किसी लालच में या डर के मारे नहीं किया है बल्कि मुकाबिला करने की दृष्टि से किया है। देश के मजबूत लोगों को और मजबूत कर ने के लिये हमने ऐसा किया। इसमें तो हमारी सराहना करना उपयुक्त था।

अब मैं इस सम्बन्ध में कुछ और अधिक न कह कर यही कहना चाहता हूं कि ऐसी जो बातें कही गई उनके लिये मुझे दुख है। उन्होंने सुरक्षा का प्रश्न उठाया, सदन में बार-बार उसकी चर्चा की और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो बार-बार कह चुके हैं कि हमारी सीमाओं पर जो सिपाही हैं, जो व्यवस्था है वह आवश्यकता के अनुरूप है। हमारे देश की यह परम्परा नहीं रही है, हमारी परराष्ट्रनीति ऐसी नहीं है, हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपने शासन काल में कभी यह स्वीकार नहीं किया है कि हम किसी को शक्ति से डराने की कोशिश करें। हमने एक ढंग से काम करना सीखा है। हम बिना किसी घमंड के मजबूती के साथ उस इलाके पर डटे हुये हैं। हमने उस इलाके की सुरक्षा और देश की सुरक्षा सबसे आगे रखी है और हमेशा आगे रहेगी और हमें सन्तोष है कि उस इलाके के बहादुर लोग इस देश की सुरक्षा करने में पूरी तरह से जागरूक हैं।

सड़कों की बाबत कहा गया कि कहां-कहां सड़कें बननी चाहिये उसकी परिभाषा में तो मैं इस समय पड़ना नहीं चाहता। कोई भी देश अपने सीमांत क्षेत्र में जो सड़कों की योजना हो उसकी बार बार चर्चा करे यह ठीक नहीं है। मैं माननीय बिष्ट जी से कहूंगा कि ऐसी बातों को

वह अपने और हमारे बीच में ही रखें सदन में इस पर खुली चर्चा न की जाय जिससे कि दुश्मन उसका नाजायज फायदा उठा सके। मुझे पूरा भरोसा है कि सदन इन बातों को मानते हुये इन मदों को स्वीकार करने की कृपा करेगा और माननीय विष्ट जी अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री गोविंद सिंह विष्ट से) अब केवल इतना ही समय है कि आप बता दीजिये कि इसको आप वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, दो एक मिनट का तो समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग में, जो वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये है, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---विभाग की गलत नीति व भ्रष्टाचार व जातिवाद की चर्चा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। उत्तराखंड की सीमा-निर्धारण की त्रुटियां व प्रशासन की खराबियां बताना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,८४,१५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २८---जेल

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल के अन्तर्गत २,५०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३७-शिक्षा

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०---शिक्षा-लेखा शीर्षक ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १३,८४,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—चिकित्सा—लेखा शीर्षक: ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ३१,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—जन-स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक ३९—जन—स्वास्थ्य के अन्तर्गत ५०,८३,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि विकास, अभियंत्रण और शोध

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—कृषि विकास, अभियंत्रण और शोध—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत २६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुपालन

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—पशुपालन—लेखा शीर्षक ४१—पशु-पालन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—उद्योग—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—श्रम

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—श्रम—लेखा शीर्षक: ४७—प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ५०—क—राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २७,८३,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,४४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन रक्षित निधि, राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं । हम जा ही रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जब अध्यक्ष खड़े हों तो किसी शख्स को बीच में नहीं बोलना चाहिये।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण व्यय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—प्रकीर्ण व्यय—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत ६,२०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०१,
विपक्ष में—२९ ।)

श्री देवनारायण भारतीय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, आप बोल नहीं सकते जब कि मैं खड़ा हूं।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं आपकी आज्ञा से बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं आपके खड़े होने से पहले ही खड़ा हो गया था ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये, मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—समाज कल्याण—लेखा शीर्षक—५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास परियोजनायें

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोतर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास परियोजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य के अन्तर्गत ५,०९,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—१०७ ,
विपक्ष में—३४ ।)

अनुदान संख्या ४७–लेखा शीर्षक ६८–सिंचाई, नौचालन बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—११३,
विपक्ष में—३६ ।)

विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा सदन त्याग

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मान्यवर, ४ करोड़ से ऊपर का बजट बगैर हम लोगों के अपनी राय प्रकट किये हुये सरकार पास कर लेना चाहती है, अतः इसके विरोध में हम अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, ४ करोड़ का यह बजट है । पहले यह तय था कि दो दिन में इस पर विवाद होगा, लेकिन दो दिन में न होकर यह कहा गया कि कल को जिला परिषद् विधेयक के बारे में डिबेट होगी । इतना बड़ा बजट है और लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाया । प्रजातंत्र की हत्या इस सदन में की जा रही है बहुमत दल के द्वारा, इसलिये इसके विरोध में हम जन संघ दल वाले वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, यह ४ करोड़ का बजट है और एक दिन में पास कराया जा रहा है । केरल जैसी रियासत जिसका पूरा बजट ही लगभग चार करोड़ का होता है जिस बजट को महीने भर में पास करते हैं। इस प्रकार से इतने बड़े बजट को इतनी जल्दी से पास करके जो जनतंत्र की हत्या की जा रही है, इसके विरोध में स्वतंत्र पार्टी आज के लिये वाक–आउट करती है ।

(स्वतंत्र–पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

१९६०-६१ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--औद्योगिक विकास--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ७,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत--लेखा शीर्षक: ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक ८२--कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२--कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत--लेखा शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३,५०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५--लेखा शीर्षक: त--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक: त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत १,०४,१२,७०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६०

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (First Supplementary 1960-61) Bill, 1960] को पुर:स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1960-61) Bill, 1960] को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(कुछ देर बाद)

[श्री सैयद अली जहीर]

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० The U. P. Appropriation (First Supplementary 1960-61) Bill, 1960] को पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (First Supplementary 1960-61) Bill, 1960] पर विचार किया जाय ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसका कारण मैं बाद को बताऊंगा । एक बात की तरफ मैं सर्वप्रथम इशारा करना चाहता हूं । यह सरकार जब कभी इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयक लाती है या बजट के समय अनुदान रखती है तो इतना कम समय देती है जिससे इन चीजों पर उचित विवाद नहीं किया जा सकता है । इस तरफ इशारा करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हम लोग वाक आउट्स का सहारा नहीं लेते हैं वहां इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो तानाशाही प्रवृत्ति सरकार की इस प्रकार कम समय देकर अधिक से अधिक रकम के अनुदान पास कराने की बढ़ती जा रही है उसको हम बरदाश्त करते जायेंगे । उसको बरदाश्त करना अब धीरे-धीरे हमारे वश के बाहर होता जा रहा है । हमारे बगल के बैठने वालों ने जो वाक आउट अभी किया है वह भी इस ओर इशारा करता है । इसलिये मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह आयन्दा ऐसा मौका नहीं आने देगी ।

जो ऐप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने पेश हैं ऐसे मौके पर हम लोग आमतौर से जिन रकमों को मन्जूरी दिया करते हैं ,अगर उनके खर्चे के सम्बन्ध में आमतौर से आने वाली शिकायतें दिन पर दिन कम होती जातीं तो मैं यह जरूर कहता कि बिला किसी विवाद के ही इस बिल को पास कर दिया जाय । हम लोगों ने पिछले मौकों पर हमेशा इसी तरह की रकमों की स्वीकृति दी है लेकिन बाद में हमने देखा कि जिस धन की मन्जूरी हम लोगों की तरफ से दी गई है उसका दुरुपयोग बराबर बढ़ता जा रहा है । इस समय जो ४,१७,६६,००० रुपये की रकम लिखित रूप में हमारे सामने है सही माने में अगर देखा जाय तो वहां पर पचासों हजार रुपये का खर्चा है वहां केवल सौ रुपये की टोकेन ग्रान्ट मांग कर सरकार यह चाहती है कि हम उस मद को मन्जूर कर लें और उसके बाद मनमाने तरीके से सरकार जितना पया चाहे उस पर खर्च करे । इस प्रकार की जितनी मांगे हैं अगर उन सब को देखा जाय तो सुबह हम लोगों ने हिसाब लगाया था कि ११ करोड़ से ऊपर की मांगें इस समय हमारे सामने मौजूद हैं ।

अब यह जो प्रणाली बजट पेश करने की है यह स्वतः दोषपूर्ण है इस संबंध में हमारे कई मित्रों ने सुबह प्रकाश डाला है । मैंने भी सवेरे इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगी थी और उस प्रस्ताव को रखते हुये मैंने यह कहा था कि एस्टीमेटस कमेटी इसीलिये बनी हुई है कि वह देखे कि जो अनुमानित आंकड़े सरकार हमारे सामने पेश करती है वे कहां तक सही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था सरकार को शीघ्र से शीघ्र करना चाहिये कि जो एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं वे सदन में पेश होने के पहले एस्टीमेट्स कमेटी के सामने विचारार्थ पेश होने चाहिये और ऐसी परम्परायें मौजूद भी हैं । जिस हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं के आधार पर हम अपने यहां की परम्परायें स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं वहां पर जैसा मैंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से रेफरेन्स दिया था इस प्रकार की एक प्रथा सी हो गयी है । वैसी प्रथा यहां भी चलनी चाहिये और अगर ऐसा नहीं होता है तो एस्टीमेट्स कमेटी अपना काम सही मानों में नहीं कर पायेगी ।

इसके अतिरिक्त मैं एक-आध बातों की तरफ और इशारा करना चाहता हूं । हमें उत्तराखंड के जिलों के सम्बन्ध में थोड़ा पुनर्वीक्षण करना चाहिये क्योंकि बजट दर्पण होता है सारी योजनाओं का जो सरकार के दिमाग में होती हैं । इन जिलों के निर्माण के बाद यह पहला बजट है जो हमारे सामने पेश हुआ है लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख कर आये हैं उसको कहना

ही पड़ता है । वहां अभी तक भारत-चीन सीमा विवाद के संबंध में चीनी दृष्टिकोण समर्थक चीन की भूगोलें बिकती हैं । उसको तथा अन्य राष्ट्रद्रोही कार्य रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है उसका कोई निर्देश हमें इसमें नहीं मिलता । जानते हुये भी सरकार ऐसी घातक चीजों के प्रति सचेत नहीं रहती यह एक बड़ी भयंकर भूल है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इसके अलावा और भी कई बातों की तरफ यदि समय होता तो मैं इशारा करता । मिसाल के लिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्वी अंचल में हर साल लगभग १० करोड़ रु०की क्षति बाढ़ से हुआ करती है । लेकिन इस बजट से या जो सूचनायें हमारे सामने हैं उनसे हमें यह नहीं मालूम होता कि उस क्षति को रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि हमारे देश की आमदनी को बढ़ाना है तो सरकार को अपने बजट का सिस्टम बदलना पड़ेगा सरकार को ऐसी योजनायें स्पष्ट रखनी पड़ेगी ताकि बजट पढ़ने वालों को मालूम हो जाय कि सरकार क्या चाहती है । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह शिकायत है कि इसके लिये बहुत कम वक्त दिया गया है आप जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि वक्त निर्धारित होता है और उसी के मुताबिक सदन में बहस होती है । कितना वक्त किस काम के लिये दिया जायगा इसके लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अलग से है और जो वक्त मंजूर हो जाता है वह दिया जाता है । उसी हिसाब से पहले जनरल डिस्कशन होता है उसके बाद कटमोशन होते हैं और फिर थर्ड रीडिंग होती है । यह कह देना कि गवर्नमेंट वक्त निर्धारित करती है, ठीक नहीं होगा । ऐसी बात नहीं है बल्कि गवर्नमेंट तो वही करती है जो सदन मंजूर कर देता है । रह गया यह कि जो शिकायतें हैं वह ऐसी हैं जो तमाम देश के लिये एक ही तरह की हैं । देश के जितने सूबे हैं उनमें अलग-अलग बजट पेश होते हैं लेकिन उनके लिये कायदे बने हुये हैं और आडीटर जनरल हैं । उसी हिसाब से काम होता है । बजट की मद भी वहीं से तय होती है । हम उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं । वह यह चाहते हैं कि भारतवर्ष में जितने प्रदेश हैं सबका बजट एक ही उसूल पर बने । इसलिये यह बात होती है । कोई नई बात ऐसी नहीं जिसे गवर्नमेंट करती हो और जगह न होती हो ।

अब सवाल यह रहा कि आपको डिसकशन के लिये मौका नहीं मिलता है । इसके लिये आप रिजोल्यूशन ला सकते हैं, बिल पेश कर सकते हैं और किसी मामले को उठाने के लिये हाउस में मुख्तलिफ तरीके हैं । प्लेन डिसकशन के लिये आने वाला है । उसके सिलसिले में सारी बहस होगी । आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर सदन गौर कर सकता है मैं अर्ज करूंगा कि इसमें किसी लम्बी तकरीर की जरूरत नहीं है । यह तो बिल की शक्ल में वही मांगें हैं जिन पर हाउस में डिसकशन हुआ है यह कोई नई चीज नहीं है । लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि यह मंजूर किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1960-61) Bill, 1960] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६०

३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय :

अतएव, भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६०-६१ के लिये ४,१७,६६,००० रुपए का विया जाना।

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ४,१७,६६,००० रु० (चार करोड़, सत्रह लाख, छियासठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३	४
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक	
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	१००	..	१००
५	वन	७,१०,३००	..	७,१०,३००
६	निबन्धन	५,०००	..	५,०००
११	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय	१००	..	१००
१२	अभियंत्रण संस्थायें ..	७२,०००	..	७२,०००
१३	सामान्य प्रशासन का व्यय ..	२५,४००	..	२५,४००
१४	कमिश्नरों और जिला प्रशासनका व्यय	१,८४,१५,१००		१,८४,१५,१००
१७	जेल	२,५०,५००	..	२,५०,५००
२०	शिक्षा	१३,८४,७००	..	१३,८४,७००
२१	चिकित्सा	३१,४००	..	३१,४००
२२	जन-स्वास्थ्य	५०,८३,२००	..	५०,८३,२००
२३	कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) और शोध	२६,५००	..	२६,५००
२५	पशु-पालन	२००	५,३००	५,५००
२९	उद्योग	७००	..	७००
३०	श्रम	२००	..	२००
३४	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	२७,८३,८००	..	२७,८३,८००

१	२	३		४
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
३७	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	१,४४,५००	..	१,४४,५००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	२००	..	२००
४२	प्रकीर्ण व्यय	६,२०,८००	..	६,२०,८००
४४	समाज कल्याण ..	१००	..	१००
४६	नियोजन और समन्वय ..	५,०९,२००	८००	५,१०,०००
	ऋण पर व्याज और अन्य दायित्व	..	९,६००	९,६००
४७	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन ..	६००	..	६००
४९	औद्योगिक विकास ..	७,६०,०००	..	७,६०,०००
५०	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत ..	२,३००	५२,४००	५४,७००
५२	कृषि अभियंण (इंजीनियरिंग), सरकारी बस सेवाओं आदि पर पूंजी की लागत	३,५०,२००	१,०८,१००	४,५८,३००
५५	व्याज वाले ऋण और अनृऋण	१,०४,१२,७००	..	१,०४,१२,७००
	योग ..	४,१५,८९,८००	१,७६,२००	४,१७,६६,०००

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (First Supplementary 1960—61) Bill, 1960] पारित किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस विधेयक के पहले वाचन में यह कहा कि सारे देश में बजट की यही प्रणाली है जिस तरह से बजट यहां पेश होता है। मुझे तो श्रीमन, ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मन्त्री जी को इस विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। श्रीमन, हमारे इस प्रदेश में बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां प्रतिवर्ष एक-एक विभाग में लाखों और करोड़ों रुपये बिना इस्तेमाल किये ही र जाते हैं। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के सामने ऐसे मामले नित्य आते रहते हैं। एक-एक

[श्री गौरी शंकर राय]

कलेक्टर के यहां १०/५ लाख रु० बिना इस्तेमाल हुये बच जाता है। ऐसी दशा में जब कि हमारे सूबे का डेफीसिट बजट है और हमारे यहां प्लान पीरियड चल रहा है उसमें आपके सारे काम बिना ऐस्टीमेट्स के चल रहे हैं, इसका नतीजा यह होता है कि सारे का सारा रुपया उपयोग में नहीं आ पाता है। एक तरफ तो श्रीमन, रुपया बेकार पड़ा रहता है और दूसरी तरफ हमारे नियोजन के काम रुपए बिना सफर करते हैं।

श्रीमन, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार के पास कोई-निश्चित योजना नहीं है। उसके दिमाग में चीजें हैं लेकिन कोई एस्टीमेट नहीं है। इसीलिये यह लोग कभी तो कहते हैं कि जमीन ले ली गई है। फिर कहते हैं कि इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। इन सब का क्या अर्थ है? जब आप के पास कोई निश्चित स्कीम नहीं है तो आप रुपया क्यों मांगते हैं? जब आप किसी योजना के लिये रुपया मांगें और मांग सदन के सामने प्रस्तुत करें तो आप के दिमाग में यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि आपकी योजना क्या है। आप क्या करना चाहते हैं? कभी-कभी होता यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि यह रुपया मांग लेते हैं, और उसके बाद समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय। उसके बाद दो-दो तीन-तीन साल हो जाते हैं, उसको एक न एक तरीके से टालते चले जाते हैं। यह समझ में नहीं आया कि विनियोग के प्रस्ताव पर मन्त्री जी ने कैसे कह दिया कि फाइव इयर प्लान पर बहस होने वाली है। अगर प्लांड इकानमी होती तो किसी तरह की बात नहीं पैदा होती। अगर देश के किसी दूसरे प्रदेश में ऐसा है, जो मैं नहीं जानता, कि जहां करोड़ों रुपये बिना इस्तेमाल किये रह जाते हैं, तो वह आदर्श तरीका नहीं है, बल्कि गलत तरीका है, जिसको बदलने की जरूरत है। जल्दी में रुपया ले लिया, न नक्शा है, न इस्टीमेट है। एक योजना है जो दस लाख में बनने वाली होती है वह पन्द्रह, बीस लाख की हो जाती है।

माताटीला और रिहन्द बांधों की बात आया करती है। बजट में क्या था और क्या कर दिया गया है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह कह देना कि सारे देश के सभी प्रदेश निकम्मे हैं, ऐसी इकानमी में जब कि एक पैसा इतनी मुश्किल से आता है, और एक-एक पैसे का सदुपयोग करने की आवश्यकता है, ऐसे युग में अपने रुपयों को डम्प करके अगर बेकार कर देते हैं तो एक क्राइम करते हैं, क्रिमिनल नेग्लीजेंस करते हैं। अगर दूसरे प्रदेश ऐसा करते हैं तो वह भी निन्दनीय हैं। यह कोई औचित्य नहीं है कि दूसरे सूबे भी ऐसा ही करते हैं जैसा हम करते हैं। यह कोई डिफेंस, लाजिक और तर्क नहीं है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन जब रुपया देने लगता है तो इस बात को सोचे कि जो हमारी योजनायें हैं, उनके सिलसिले में कितनी ग्रांट आवश्यक होगी। यह नहीं कि बादशाह को ख्वाब आया कि कुछ होना चाहिये। सुबह उन्होंने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि कल यह ताज बन जाना चाहिये। इतना कहना था कि एक मुश्त रकम मंजूर हो गई। सदन को सबसे बड़ा अधिकार यह है कि योजनाओं के लिये रुपया ग्रान्ट करे। उस समय इन सारी चीजों को समझना चाहिये और सरकार को भी इन बातों को स्पष्ट करना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, माननीय गौरीशंकर राय ने बहुत साफ तरीके से कह दिया है कि आये दिन सरकार को रुपये की जरूरत पड़ती है। कल आपने देखा कि झांसी जिले का एक सवाल माननीय सुदामाप्रसाद जी का था। वहां के पिछड़े इलाके के विकास के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ४ करोड़ रुपया दिया है। उसमें से मुश्किल से २२-२३ लाख रुपया खर्च हुआ है। १८ करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछड़े इलाके के विकास के लिये दिया। इसलिये कम से कम जो रुपया सदन से मंत्री जी लेते हैं उसको इस्तेमाल टाइम से हो जाना चाहिये। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मुश्किल से सब विभागों में कहीं ४५ फीसदी रुपया खर्च हुआ कहीं ३६ फीसदी खर्च हुआ है। सारा का सारा रुपया आज भी बाकी पड़ा है। कोई स्कीम सरकार के सामने नहीं है कि जो रुपया लेते हैं सदन से उसको ठीक वक्त से इस्तेमाल करें और जनता को ठीक से फायदा पहुंचायें। इसलिये मैं

कहता हूं कि कम से कम जो रुपया लेते हैं वह समय से खर्च करें। इसी तरह से आप देखेंगे कि सब काम खटाई में पड़ा है। माताटीला बांध १९६१ तक बनने वाला था। काल(मंत्री जी ने जवाब दिया कि १९६४-६५ तक बन पायेगा। इसी तरह से शारदा सागर कैनाल की साख मेरे जिले में गई है उसमें एक भी माइनर नहीं लगायी गयी। कहा जाता है कि अभी वहां पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है। किसान उसके लिये लालायित हैं। ट्युबवेल भी नहीं लगाया जा रहा है। वहां पानी नहीं मिलता। इतना रुपया खर्च करने के बाद किसानों को सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम रुपया लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उस रुपये का टाइम के अन्दर इस्तेमाल हो सके, ताकि किसानों को सही मानी में सुविधा पहुंच सके।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने कही थी वह यह थी कि बजट, तमाम जितने सूबे हैं सब के यहां एक उसूल से बनते हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि अगर दूसरे सूबे नहीं खर्च करते हैं तो हम भी न खर्च करें, या उस रुपये के इस्तेमाल करने का तरीका एक है। यह बात नहीं है। सवाल था बजट का, उसको माननीय सदस्य ने उलटकर के यह कह दिया कि हमने कहा कि सबके सब सूबे इसी तरीके के हैं और हम उनकी नकल कर रहे हैं। यह बात नहीं है।. जहां तक बजट के बनाने का और ऐसी बातों का ताल्लुक है उसके लिये कुछ कायदे बने हुये हैं कांस्टीट्युशन में प्राविजन है कि वह एक खास ढंग से बनाया जायगा और जो आडीटर जनरल और एकाउन्टेंट जनरल अप्रूव करते हैं उसके अनुसार बजट बनता है। उसके ऊपर शिकायत यह की गई कि बजट का तरीका ऐसा है कि उसमें पूरी तफसील नहीं होती। यह कह दिया गया कि उत्तर काशी के डेवलपमेंट के लिये आपने जो रखा है उसकी कोई तफसील नहीं है। उसमें मैंने कहा था कि थर्ड फाइव ईयर प्लान का तस्किरा जब होगा तो उसमें सब बातें डीटेल्स में आवेंगी कि कहां के लिये कितना-कितना रुपया है, सब बातों का जिक्र उसमें होगा। उस सिलसिले में मैंने उस बात का तस्किरा किया था। वह बात इधर की उधर कर दी गयी। इसी वजह से उसमें कन्फ्यूजन हुआ और उसी की वजह से उन्होंने यह सारी बातें कह डालीं।

रह गया यह कि रुपया खर्च नहीं होता है तो यह सही है कि बाज दफा ऐसा होता है कि किसी-किसी मामले में देर हो जाती है। मसलन माताटीला का एस्टीमेट पहले से बढ़ गया है और उसके ऊपर पर खर्च भी जल्दी नहीं हो सका जिसकी वजह यह थी कि फारेन एक्सचेंज का मामला पड़ गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं मिली थी जिससे बहुत दिनों तक काम बन्द रहा और वह काम वक्त पर खत्म नहीं हो सका। लेकिन उसकी कोशिश होती रही बराबर और हर ऐसे मामले में पूरी कोशिश होती है। इसलिये एक ऐसी जनरल बात कह देना कि फलां काम आपका नहीं चल सका या फलां काम जल्दी नहीं हो सका, इसलिये आपका सारा काम ऐसा ही है, यह तो कोई मानी नहीं रखता। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी सारी योजनायें चल रही हैं। अगर हर चीज को देखा जाय तो मालूम होगा कि सैकड़ों, हजारों काम ऐसे हैं जो निहायत तेजी के साथ और वक्त पर हुये हैं और हो रहे हैं। उसमें दो, कोचार काम ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कि कुछ देर हो जाती है जिसके कि कुछ मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, कुछ ऐसे असबाब होते हैं जिनसे वह वक्त पर पूरे नहीं हो पाते। हमारे यहां जब मैन पावर की इतनी कमी है, टेक्निशियन्स की इतनी कमी है, साधनों की इतनी कमी है, तो ऐसी बातों को देखते हुये अगर किसी मामले में कुछ देर हो जाती है तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उस पर यह कह देना कि हर मामले में देर होती है और हम कोई परवाह नहीं करते हैं यह बात गलत है। हम बराबर जांच करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो। जहां देरी होती है वहां उसका जवाब पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है और इसमें इस किस्म के जो एतराजात किये गये हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसे पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (First Supplementary 1960—61) Bill, 1960] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ सितम्बर, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९–४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

जुलाई के प्रथम पक्ष में अति वृष्टि से हुई हानि तथा दी गयी सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल एकड़ में	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	जन धन की हानि	पशुधन की हानि	अहेतुक सहायता तथा अन्य कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि	तकावी वितरण के लिये स्वीकृत धनराशि	—
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							०	०	
१	मेरठ ..	५१	७१३१	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	१०,०००	२०,०००	—
२	जौनपुर	..	..	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	१०,०००.००	३३,०००	—
३	लखनऊ	२००	४३,०००	३४०६	४	२२०	३५,०००	८६,०००	—
४	रायबरेली	१३९	१४,६६१	२२३८	१	१५	२,५००	४७,३५०	—
५	हरदोई ..	१८३	..	..	..	..	१०,०००	९०,०००	—
			नोट:––कुछ मकानों को क्षति पहुंची है व जहां पानी भर गया था वहां बुआई फिर से करनी पड़ी।						
६	बहराइच	५४	..	१२	..	७	१०,०००	५०,०००	—

नत्थियां

६१७

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१७ पर ।)

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०-६१) का प्रथम प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३४ तथा १६ में निम्नलिखित दो संशोधनों की सूचना उपर्युक्त नियमावली के नियम ३११ के अन्तर्गत क्रमशः ६ अप्रैल, १९६० तथा २८ अप्रैल, १९६० को प्राप्त हुयी थी :—

१—श्री बसन्त लाल तथा श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन ।

'नियम ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३४—प्रश्नों की संख्या की परिसीमा—एक सदस्य एक सप्ताह में ४ तारांकित एवं २ अल्पसूचित प्रश्नों से अधिक की सूचना नहीं देगा । अध्यक्ष किसी ऐसे प्रश्न को अग्राह्य कर सकेंगे जिसमें एक से अधिक विषयों पर सूचना मांगी गयी हो ।"

२—श्री देवनारायण भारतीय ।

"नियम १६ के उपनियम (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'पूर्वान्ह से' के पश्चात् और '५ बजे अपरान्ह' के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :

'सवा दो बजे अपरान्ह तक और फिर सवा दो बजे अपरान्ह से ।"

उपर्युक्त दोनों संशोधनों की सूचना श्री अध्यक्ष ने विधान सभा की २८ अप्रैल, १९६० की बैठक में दी, और सदन की अनुमति से उन्हें प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१२ के अन्तर्गत नियम समिति के सुपुर्द किया गया ।

नियम समिति ने उपर्युक्त दोनों संशोधनों पर अपनी २३ जुलाई, १९६० की बैठक में विचार किया और उपर्युक्त प्रथम संशोधन को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया तथा दूसरे संशोधन पर विचार अगली बैठक तक के लिये स्थगित कर दिया गया :

"नियम ३४ को निम्नलिखित प्रकार संशोधित कर दिया जाय :

'३४—प्रश्नों की संख्या की परिसीमा—

एक सदस्य एक सप्ताह में ७ तारांकित एवं ३ अल्प सूचित प्रश्नों से अधिक की सूचना नहीं देगा और किसी भी दिन की कार्य सूची में ९० से अधिक तारांकित तथा १० से अधिक अल्प सूचित प्रश्नों की संख्या नहीं होगी ।'

श्री देवनारायण भारतीय के नियम १६ में संशोधन पर विचार करने के लिये समिति की बैठक २ दिन (दिनांक ३१ अगस्त, १९६० तथा ६ सितम्बर, १९६०) कोरम न होने के कारण स्थगित हो गयी और तत्पश्चात् उसने अपनी ७ सितम्बर, १९६० की बैठक में उस पर विचार किया और उसे निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया :

"नियम १६ के उपनियम (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'पूर्वान्ह से' के पश्चात् और '५ बजे अपरान्ह' के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जांय :

'एक बजे अपरान्ह तक और फिर दो बजे अपरान्ह से' ।

(आत्माराम गोविन्द खेर)
सभापति,
नियम समिति,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२६ पर)

विधान सभा की १४ अप्रैल, १९६० की बैठक में श्री गणेश चन्द्र काछी द्वारा पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १–२ का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :

प्रश्न	उत्तर
१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव के काश्तकारों ने गत शुरू जनवरी में और बाद में भी ऐसी दरख्वास्तें जिलाधीश, प्लानिंग आफिसर व एल० आर० सी० मैनपुरी को दी हैं, कि दो साल बारिश अधिक हुई और इस साल सूखा रहा, इसलिये तकावी की वसूली रोक दी जावे ?	१—केवल १२ ऐसे काश्तकारों ने गत मार्च, १९६० को सम्मिलित रूप में कथित प्रार्थना-पत्र जिला प्लानिंग आफिसर को दिया था ।
२—यदि हां, तो उन दरख्वास्तों में क्या हो रहा है ?	२—प्रार्थना-पत्र कृषि अधिकारी, मैनपुरी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

उक्त उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न का उत्तर इस प्रकार था :

अनुपूरक प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार बतलाते की कृपा करेगी कि इस समय तकावी की वसूली बन्द है या हो रही है ? यदि हो रही है, तो क्या मंत्री जी जांच के द्वारा उसको बन्द करने की कृपा करेंगे ?	मैनपुरी जिले में गत १३६७ और १३६६ फसली में खरीफ में मालगुजारी की कोई छूट नहीं दी गई इसलिये तकावी में भी कोई छूट या मुल्तवी नहीं की गई । जहां कहीं भी रुपये में ८ आने से अधिक क्षति हुई होगी फसल में वहां कायदे से मुल्तवी होगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० ए० पी० ए० पी०—१६२ एल० ए०—१९६०—८४५ ।